लोक-सभा

वाद-विवाद

गुरुवार,
२८ जुलाई, १९५५

1st Lok Sabha

(भाग १– प्रश्नोत्तर)

खंड ४, १९५५

(२५ जुलाई से २० अगस्त, १९५५)

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
3-4-97
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

दशम सत्र, १९५५

(खण्ड ४ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

842 LSD

विषय-सूची

	स्तम्भ
अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से १५, १७ से २२, २४, २५, २७, २९ से ३३, ३६ और ३७	१–४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १६, २३, २६, २८, ३४, ३५ और ३८ से ५२	४५-४८
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १४	४८-६६
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ५५, ५६, ५८, ७३, ५९ से ६८, ७०, ७२ से ७५, ७८ और ८०	६७–१११
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४, ५७, ६९, ७१, ७६, ७७, ७९ और ८१ से ११७	१११–१३५
अतारांकित प्रश्न संख्या १५ से ४२, ४४ और ४५	१३५–१५२
अंक ३—बुधवार, २७ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८ से १२५, १२७ से १२९, १३१ से १३४, १३६ से १३८, १४१, १४२, १४४ से १५५	१५३–१९७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १	१९७-२०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३५, १३९, १४०, १४३, १५६ से १६३	२०३–२१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ७३	२१०–२२४
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६४ से १६९, २०२, १७० से १७२, १७४ से १७७, १७९ से १८१, १८३ से १८५, १८७, १८८ और १९० से १९२	२२५–२६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७८, १८२, १८६, १८९, १९३ से २०१, २०३ से २१६	२६६–२८२
अतारांकित प्रश्न संख्या ७४ से ९१	२८२–२९२

अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २२१, २२३ से २२७, २२९ से २४०, २४२, २४५, २४८ से २५४ . . . २९३ ३४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२२, २२८, २४१, २४३, २४४, २४६, २४७, २५५ से २७३ . . . ३४४–३५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२५ . . . ३५८–३८२

अंक ६—सोमवार, १ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७७, २८० से २८२, २८५ से २९२, २९५ से २९९, ३०३ से ३०५, ३०७, ३०९, ३११, ३१२, ३१४, २७६, २८३, २९३, ३०६, ३१३ और ३०८ . . . ३८३–४२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७८, २८४, २९४, ३००, ३०१ और ३१० . . . ४२१–४२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६ से १४७ . . . ४२४–४३६

अंक ७—मंगलवार, २ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३३२, ३३४, ३३५, ३३७, ३३८, ३४०, ३४२, ३४४ से ३४९, ३५१, ३५२ और ३५४ . . . ४३७ ४८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२१, ३३३, ३३६, ३३९, ३४१, ३४८, ३५३, ३५५ और ३५६ . . . ४८१ ४८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६७ . . . ४८५–४९९

अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३५९, ३६४ से ३६८, ३७० से ३७५, ३७७, ३७९ से ३८४, ३८६ से ३९२, ३९५, ३९८ से ४०० और ४०२ . . . ४९९ ५४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . ५४५ ५४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६०, ३६१, ३६३, ३६९, ३७६, ३७८, ३८५, ३९३, ३९४, ३९६, ३९७, ४०३ से ४११ और ४१३ से ४१८ . . . ५४९ ५६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १९८ . . . ५६२ ५८४

अंक ९—गुरुवार, ४ अगस्त, १९५५ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१९, ४२०, ४२४ से ४२९, ४३१, ४३२, ४३४ से ४३७, ४४०, ४४३, ४४५, ४४७, ४५० से ४५६, ४५९ से ४६१ और ४२३ — ५८५-६२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२१, ४३०, ४३३, ४३८, ४३९, ४४१, ४४२ ४४४ ४४९ और ४५७ . . — ६२५ ६३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९ से २१४ — ६३१-६४२

अंक १०—शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६३, ४६२, ४६४ से ४६७, ४९३, ४६९, ४६८, ४७१ से ४७५, ४७७ से ४८१, ४८४ से ४८६ और ४८८ से ४९२ — ६४३ ६८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७०, ४७६, ४८३, ४८७, ४९४ से ४९६, ४९८ और ५०० से ५०२ . . — ६८९ ६९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २२८ — ६९५ ७०४

अंक ११—सोमवार, ८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०४ से ५०६, ५०८ से ५१४, ५१६. ५१९ से ५२२, ५२६ से ५३१, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२, ५४४ से ५४६ और ५४८ से ५५० . — ७०५ ७४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०३, ५०७, ५१५, ५१७, ५१८, ५२४, ५२५,५३२ से ५३५, ५३९, ५४३, ५४७ और ५५१ से ५६० — ७५०-७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २५७ . . — ७६३-७८०

अंक १२—मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५६४ से ५६७, ५६९, ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८, ५८१, ५८२, ५८४ से ५९०, ५९७, ६००, ५९८,५९२ ५९३, ५९१ और ५९३ . — ७८१-८२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . — ८२४-८२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५७१, ५७२, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९८ और ५९९ ८२६–८३२

अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ से २८३ ८३२–८४८

अंक १३—बुधवार, १० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६०१ से ६०३, ६०५ से ६१५, ६१८, ६२० से ६२२, ६२६, ६२७, ६३१ से ६३३, ६३५ से ६३७, ६३९ से ६४२ और ६४४ . . . ८४९–८९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६१६, ६१७, ६१९, ६२३ से ६२५, ६२९, ६३०, ६३४, ६३८, ६४३, ६४५ से ६५७, ६५९ और ६६०. ८९२–९०६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८४ से ३०३ . ९०६–९१८

अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ से ६६७, ६६९, ६७२ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८८ और ६९० से ६९३ . . . ९१९ ९६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६८, ६७०, ६७१, ६७९, ६८१, ६८९ और ६९४ से ७०२ . . . . . ९६१–९६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०५ से ३०८, ३१० से ३१२ और ३१४ से ३४३ . ९६९–९९४

अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७०४, ७१०, ७०५ से ७०७, ७११, ७१३, ७१५ से ७१७, ७१९, ७२२, ७२४, ७२५, ७३०, ७३१, ७३४, ७३५, ७३७ से ७३९, ७०९, ७२९ और ७३२ ९९५–१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . १०३२ १०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०८, ७१२, ७१४, ७१७, ७१८, ७२०, ७२१, ७२३, ७२६ से ७२८, ७३३, ७३६ ७४०, २७९ और ३०२ . १०३५–१०४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ३५६ . १०४३–१०५०

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५ — स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४५, ७४६, ७४९, ७५३ से ७५५, ७५७ से ७५९, ७६२, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२ से ७७४, ७७६ से ७८०, ७८९, ७८२, ७८४ से ७८६, ७८८, ३१८, ४९७ और ७६४. — १०५१-१०९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . — १०९७–११००

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ से ७४४, ७४७, ७४८, ७५० से ७५२, ७५६, ७६०, ७६१, ७६३, ७६५, ७६६, ७६९, ७७१, ७७५, ७८१, ७८३, ७८७ और ३४३ . . . — ११००–१११३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३८१ — १११३–११२८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ७९२, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०९, ८११, ८१२, ८१४ से ८१६, ८१८, ८२२, ८२३ और ८२५ से ८२९ — ११२९–११७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३ से ९९५, ७९८, ८१०, ८१३, ८१७, ८१९ से ८२१, ८२४, ८३० से ८५१, ३६२ और ४०१ — ११७३–११९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८२ से ४३५ — ११९३–१२२८

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५३, ८५४, ८५७ से ८६५, ८६९, ८७०, ८७२, ८७३, ८७६, ८७७, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४, ८८८, ८५५, ८७१, ८८०, ८८७ और ८७५ . — १२२९-१२७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५२, ८५६, ८६६ से ८६८, ८७४, ८७८, ८८३, ८८५ और ८८६ . . — १२७६–१२८२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३६ से ४५१ . — १२८२–१२९२

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८९, ८९३, ८९८, ९००, ९०२ से ९०४, ९०६ से ९१०, ९१२, ९१३, ९१६, ९१७, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६ से ९२८, ९३०, ४८२, ८९९, ८९४, ८९७, ८९५, ९०५ और ९१४ . . — १२९३–१३३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८६० से ८९२, ८६६, ६०१, ६११, ६१८, ६१६, ६२१, ६२२, ६२५ और ६२६ . . . १३३६–१३४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५२ से ४७२ . . . १३४५ १३५८

अंक २०—शनिवार, २० अगस्त, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३३ से ६३५, ६४०, ६४१, ६४३ से ६४५, ६४७, ६४८, ६५० से ६५३, ६५७, ६५६ से ६६२, ६६८, ६७०, ६७१, ६७४, ६७५, ६३१, ६३८, ६३६, ६४६, ६५४, ६६५ और ६७२ . . . १३५६-१४०३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . १४०३–१४०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३२, ६३७, ६३६, ६४२, ६४६, ६५५, ६५८, ६६३, ६६४, ६६६, ६६७, ६६६ और ६७३ . . . . . १४०८–१४१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७३ से ५१३ . . . . १४१४–१४३८

समेकित विषय सूची . . . . . .

लोक सभा

गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रुओवोलफिया सर्पेंटाइना

*१६४. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २२ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १३२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुओवोलफिया सर्पेंटाइना के निर्यात पर किन कारणों से रोक लगाई गई है; और

(ख) क्या यह सच है कि कुछ भारतीय निर्यातक इस रोक का उल्लंघन कर रहे हैं और "एन्टीरेस रैबलेट्स" के नाम से इसका निर्यात कर रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) इसके भारी निर्यात को देखते हुए थोड़ी अवधि के लिये पूर्णतः रोक लगाना आवश्यक समझा गया था, जिससे देश की आवश्यकताओं के लिये यह उपलब्ध होती रहे। अब इस रोक में कुछ ढील कर दी गई है और थोड़े परिमाण में इसे निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

168 LSD—1

श्री एम० एल० द्विवेदी : अभी तक है दवा कितनी मात्रा में बाहर भेजी गई है और कितने मूल्य की भेजी गई होगी ?

श्री करमरकर : मैं मात्रा बता देता हूं। १९५४ में ५४० टन और १९५५ में ५५ टन दवा बाहर भेजी गई।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या इस देश में इसका प्रयोग बढ़ाया जा रहा है, यदि हां, तो किस तरह से ?

श्री करमरकर : जी हां, बढ़ाया जा रहा है।

श्री कासलीवाल : क्या मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि चूंकि यह दवा बहुत ही इम्पार्टेन्ट और इसकी यहां बहुत शार्टेज है, इसलिये क्या यहां पर इसकी खेती का प्रबन्ध किया जायगा ?

श्री करमरकर : यह ठीक है कि यह बहुत इम्पार्टेन्ट दवा है और इसकी यहां पर शार्टेज है और इसके बढ़ाये जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

सरदार हुक्म सिंह : १५ अप्रैल को माननीय मंत्री ने अनुदानों की मांगों सम्बन्धी चर्चा का उत्तर देते हुए यह कहा था कि इसका निर्यात उस समय तक प्रतिबन्धित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उससे भारत में क्षारामों (एल्कालाइड्स) के देशी उत्पादन पर प्रभाव न पड़े। क्या प्रतिबन्ध के शिथिल किये जाने से पूर्व यह शर्त पूरी हो गई थी ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मंत्रियों द्वारा सभी वक्तव्य अन्य अवस्थाओं के

एक समान होने की शर्त के अधीन दिये जाते हैं। स्पष्टतः इस मामले में अन्य अवस्थायें एक समान नहीं थीं।

मंडी की नमक की खानें

*१६५. **श्री बर्मन** : क्या उत्पादन मंत्री २ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडी क्षेत्र में सेंधा नमक के निक्षेपों के विस्तार का पता लगाने के प्रयोजन से किया जा रहा भूमि बरमाने का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो नमक के निक्षेपों की मात्रा का क्या अनुमान है; और

(ग) उसे निकालने की किस पद्धति का अनुसरण करने का विचार है और उस पर क्या लागत आयेगी ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां, जून, १९५५ के अन्तिम सप्ताह में।

(ख) १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में किये गये मुख्य भंडर को खोदने के कार्य के आधार पर यह अनुमान है कि वह संचय ६६,००० टन शुद्ध नमक प्रति वर्ष निकाले जाने की दर से १० वर्ष तक चलेगा। भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण १९५४-५५ में किये गये अग्रेतर खुदाई कार्य के आधार पर निक्षेप का अनुमान लगा रहा है और उसने बताया है कि नमक की और अधिक मात्रा अधिक समय तक कार्य करने से उपलब्ध हो सकेगी।

(ग) इस प्रयोजन के लिये ब्राइन चैम्बर पद्धति द्वारा आर्द्र खनन विधि को अपनाने की सिफारिश की गई है। योजना की कुल लागत का अनुमान एक करोड़ रुपया है।

श्री बर्मन : क्या यह सच है कि यह ब्राइन चैम्बर पद्धति के अपनाये जाने से हमारी बेरोज़गारी की समस्या के हल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ? यदि हां, तो किस सीमा तक ?

श्री सतीश चन्द्र : किसी कम विकसित क्षेत्र उदाहरणार्थ हिमाचल प्रदेश में जहां यह खनिज कार्य किया जायगा तो स्थानीय लोगों को सारवान रोज़गार मिलने की संभावना है।

श्री बर्मन : क्या यह सच है कि अब भारत में नमक का पर्याप्त अतिरेक है, और यदि हां, तो क्या मंडी में सेंधा नमक के इस एकमात्र निक्षेप को भविष्य में प्रयोग किये जाने के लिये रक्षित नहीं रखा जा सकता है ?

श्री सतीश चन्द्र : यह सच है कि भारत में पिछले एक या दो वर्षों से समुद्री नमक के सम्बन्ध में कुछ अतिरेक है। उसी के साथ सेंधा नमक की कुछ मात्रा का पाकिस्तान से भी आयात किया जा रहा है और उत्तर भारत में सेंधा नमक की, जिसके मंडी में निक्षेप पाये गये हैं, पर्याप्त मांग है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि यह बरमाने का कार्य कब आरम्भ हुआ था और जो रकम १९५२-५३ में आवंटित की गई थी क्या वह खर्च हो गई ?

श्री सतीश चन्द्र : बरमाने का कार्य १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में किया गया था। और आवश्यक जानकारी इकट्ठी कर ली गई है। मंडी क्षेत्र में निकाले जाने के लिये नमक का पर्याप्त निक्षेप है। इस समय अग्रेतर बरमाने का कार्य जारी है ताकि पता चल सके कि क्या और निक्षेप भी उपलब्ध हैं।

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि इसके लिये फ़ैक्टरी कहां लगाई जायेगी ?

श्री सतीश चन्द्र : द्रांग में, जो कि योगेंद्रनगर के पास है, सब से पहले काम शुरू होगा।

निर्यात संवर्धन परिषद्

***१६६. श्री ए० के० गोपालन :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि

(क) क्या सरकार ने काली मिर्च, काजू आदि वस्तुओं के लिये निर्यात संवर्धन परिषदें बनाने की योजना के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, क्या वह बना दी गई हैं और किन किन उत्पादों के लिये बनाई गई हैं; तथा

(ग) इन परिषदों के सदस्यों के क्या नाम हैं तथा उनके दफ्तर किन किन स्थानों पर हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). हां, श्रीमान् । यह विचार है कि शीघ्र ही काजू तथा काली मिर्च के लिये निर्यात संवर्धन परिषद् बनाई जाये ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि इस परिषद् के बनाये जाने में इतना विलम्ब क्यों हुआ जबकि आवश्यक विधान पर्याप्त समय पूर्व बनाया जा चुका था ?

श्री करमरकर : इस परिषद् की नियुक्ति के लिये आवश्यक किसी विधान के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है ।

श्री पुन्नूस : निर्णय तो बहुत पहले ही किया जा चुका था । परिषद् के बनाये जाने में इतना विलम्ब क्यों हुआ ?

श्री करमरकर : क्योंकि बहुत से सम्बद्ध हितों का परामर्श करना था । जैसा कि माननीय मित्र को भली भांति विदित है, काजूओं के उत्पादकों, आयातकों, तैयार करने वालों तथा निर्यातकों से परामर्श किया जाना था; फिर हमने अपने प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में निर्णय करने में भी समय लिया । माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यह कार्य शीघ्र ही होने वाला है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : दक्षिण अफ्रीका से कच्चे फल प्राप्त करने में हो रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार परिषद् के कृत्यों में आन्तरिक उत्पादन के विकास के प्रश्न को भी सम्मिलित करने पर विचार करेगी ?

श्री करमरकर : यह विषय बहुत अच्छा है, यदि इसे भी परिषद् के कृत्यों में सम्मिलित कर लिया जाये ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि इस परिषद् में किन किन हितों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा, क्या उत्पादकों को भी प्रतिनिधित्व दिया जायेगा, यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

श्री करमरकर : मेरे विचार में हमें परिषद् के सदस्यों के नामों की घोषणा होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिये । अभी से यह बताना समय से बहुत पूर्व की बात है । मैं माननीय मित्र से प्रार्थना करता हूं कि वह घोषणा होने तक प्रतीक्षा करें ।

श्री पुन्नूस : प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : परिषद् की अभी घोषणा नहीं हुई है ।

श्री पुन्नूस : मुझे खेद है कि मुझे समझा नहीं गया है । मैं यह जानना चाहता था कि क्या उत्पादकों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायगा ।

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जी हां, विचार यही है कि उत्पादकों का भी प्रतिनिधित्व होगा ।

श्री ए० एम० थामस : मसाला जांच समिति ने यह सिफारिश की थी कि निर्यात

संवर्धन परिषदों के निर्माण के अतिरिक्त न्यूयार्क जैसे महत्वपूर्ण नगरों में निर्यात संवर्धन अभिकरण भी नियुक्त किये जाने चाहियें। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ऐसा कोई इरादा है, और यदि हां, तब ऐसे अभिकरणों के कब तक बनाये जाने की संभावना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सम्बद्ध सरकारों से इन समस्त मामलों पर बातचीत की जा रही है। मैं इस समय नहीं कह सकता कि अभी इन मामलों पर कोई निर्णय हुआ है अथवा नहीं।

मशीनी औज़ार

*१६७. **श्री पुन्नूस** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में मशीनी औजारों की आवश्यकता के सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, क्या सर्वेक्षण पूरा हो चुका है;

(ग) उसका परिणाम क्या निकला है; तथा

(घ) सरकार उस पर क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) सर्वेक्षण अभी जारी है और उसके शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) तथा (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री पुन्नूस : यह सूचना मिली है कि कुछ विदेशी निर्माता कतिपय मशीनी औजारों के निर्माण के सम्बन्ध में भारतीय निर्माताओं के साथ सहयोग कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि अब यह मामला किस अवस्था पर है ?

श्री कानूनगो : उन संस्थापनों का जो इन औज़ारों का प्रयोग कर रहे हैं उनकी सम्भाव्य मांग के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जा रहा है निर्माण का प्रश्न एक पृथक् प्रश्न है।

श्री पुन्नूस : यह सूचना भी मिली है कि बिरला ने सोवियत रूस के साथ मशीनी औज़ारों का कारखाना खोलने का एक समझौता किया है। क्या मुझे इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी दी जा सकती है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री तुलसीदास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् ने मशीनी औज़ार बनाने के लिये अनुज्ञप्तियां दी हैं ? यदि हां, तो कितनी अनुज्ञप्तियां दी जा चुकी हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री तुलसीदास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने मशीनी औज़ारों के विशेषज्ञों मैसर्ज जौस दी स्केफ, एम० आई०, एम० ई० एच० और एम० आई० प्रौड, का इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है, और क्या मैं जान सकता हूं कि इन तीनों विशेषज्ञों ने मशीनी औज़ारों के उद्योग का विकास करने के लिये किस मार्ग के अपनाये जाने के सम्बन्ध में क्या क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य ने जिन विशेषज्ञों की ओर निर्देश किया है, उन्होंने मशीनी औज़ारों की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन दिया है। अंशतः इन विशेषज्ञों के प्रतिवेदन के कारण ही हम ने सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ किया है, और सर्वेक्षण के परिणाम ज्ञात होने के बाद ही सरकार कोई निर्णय कर सकती है।

विदेशी व्यापार

***१६८. श्री नानादास :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तूतीकोरिन–श्रीलंका चालू निर्यातक तथा आयातक चैम्बर ने उनके सामान्य व्यापार में आने वाली कठिनाइयों के बारे में भारत सरकार से कोई अभ्यावेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन कठिनाइयों का निर्देश किया है; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). तूतीकोरिन–श्रीलंका चालू निर्यातक तथा आयातक चैम्बर ने हाल ही में कुछ अभ्यावेदन भेजे हैं जिनमें प्याज़ तथा मिर्च के निर्यात के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयों का वर्णन किया है; और इन सब पर विचार कर लिया गया है और इनका उत्तर दिया जा चुका या दिया जा रहा है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस अभ्यावेदन विशेष की ओर निर्देश कर रहे हैं । यदि वह आवश्यक जानकारी भेजेंगे तो मैं उस की जांच करूंगा ।

श्री नानादास : क्या यह सच है कि श्रीलंका के निर्यातकों ने अप्रैल में प्याज़, मिर्च चावल, दालें तथा खली के निर्यात में होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में उप-नियंत्रक को अभ्यावेदन दिया था, और यदि हां, तो सरकार ने इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं जानकारी मंगवाऊंगा तथा सभा के सामने स्तुत करूंगा ।

श्री नानादास : क्या यह सच है कि अभ्यंश तथा अनुज्ञप्तियां देने में विलम्ब होने के कारण हमारे निर्यातकों को युक्तियुक्त मूल्य नहीं मिलते हैं तथा वस्तुओं की ठीक ठीक मांग भी नहीं होती है ?

श्री करमरकर : प्याज़ तथा मिर्चों जैसे उत्पादों के बारे में हमें आन्तरिक आवश्यकताओं का ध्यान भी रखना पड़ता है और उसमें थोड़ा समय लग जाता है तथा इस देरी को रोका भी नहीं जा सकता है ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि इन चारों वस्तुओं का देश में कितना अतिरेक उपलब्ध है ?

श्री करमरकर : मैं आपको जनवरी से जून १९५५ तक के आधे साल सम्बन्धी अपनी नीति बता सकता हूं । मिर्च का कुल अभ्यंश लगभग ७,१५० टन था और प्याज़ का ५८,००० टन था । क्योंकि निर्यात की गति मंद रही इसलिये हमने अवधि को सितम्बर १९५५ के अन्त तक बढ़ा दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री कामत : क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि प्रश्न संख्या १७८ तथा २०२ को इस प्रश्न संख्या १६९ के साथ लिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या १७८— श्री कृष्णाचार्य जोशी यहां नहीं हैं । प्रश्न संख्या २०२ श्री डी० सी० शर्मा का है । यदि माननीय प्रधान मंत्री को इनका उत्तर देने में सुविधा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : हम उन का उत्तर एक साथ देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या १६९ और २०२ एक साथ लिये जायेंगे ।

श्रीलंका नागरिकता अधिनियम

*१६९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** ६ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका तथा भारत सरकार के मध्य श्रीलंका नागरिकता अधिनियम में किये गये संशोधन करने के बारे में कोई पत्र-व्यवहार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

श्रीलंका में भारतीय

*२०२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** २१ मार्च, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में राज्यविहीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच तब से कोई निश्चय हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस निश्चय का स्वरूप क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). जी नहीं । दोनों सरकारें इस बात से सहमत हो गयी हैं कि दो वर्ष की निश्चित अवधि में श्रीलंका के नागरिकों के रूप में और भारत के नागरिकों के रूप में उनका पंजीयन पूर्ण हो जाने के बाद इस मामले पर विचार किया जायेगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या श्रीलंका नागरिकता अधिनियम के उपबन्धों का अध्ययन कर लिया गया है और क्या यह भी पता लगाया गया है कि वहां बसे हुए भारतीयों पर इन उपबन्धों का सिद्धान्त रूप से और व्यावहारिक रूप से क्या क्या प्रभाव पड़ता है ?

श्री सादत अली खां : सम्पूर्ण मामले का अध्ययन सावधानीपूर्वक किया गया था और उसके उपरान्त यह महसूस किया गया कि इस संशोधन अधिनियम से, जिसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य कह रहे हैं, हमारा कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सच है कि इस विधान के कारण वहां रहने वाले भारतीयों को मतदाताओं और नागरिकों की सूची में अपना पंजीयन कराने पर रोक लगा दी गयी है ?

श्री सादत अली खां : हमें कोई जानकारी नहीं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या एक तामिल संसद्-सदस्य ने श्रीलंका संसद् से इस बात के विरुद्ध अपना विरोध प्रगट करने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हमारे विचार से श्रीलंका में भारतीय उद्भव के लोगों की स्थिति बड़ी असंतोषजनक है । माननीय सदस्य इस विशेष अधिनियम के सम्बन्ध में पूछ रहे थे और मेरे सहकारी ने बताया कि उस अधिनियम का हमसे कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है; हां, अप्रत्यक्ष रूप से हमारा उससे सम्बन्ध अवश्य है । वहां के भारतीय उद्भव के लोगों का महत्त्वपूर्ण प्रश्न तो हमारे सामने है ही और इससे हमारा सम्बन्ध भी है ।

श्री कामत : क्या प्रधान मंत्री यह बता सकते हैं कि भारतीय उद्भव के कितने व्यक्तियों ने अभी तक श्रीलंका की नागरिकता के लिए आवेदन पत्र दे दिया है, कितने व्यक्तियों को

नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है और कितने व्यक्ति अब भी राज्यविहीन हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस समय यकायक आंकड़े नहीं दे सकता । मैं समझता हूं कि पूर्व के एक प्रश्न के उत्तर में आंकड़े दिये जा चुके हैं । मैं कह सकता हूं कि गत दो-तीन महीनों में पंजीयन की संख्या बहुत ही थोड़ी रही है और श्रीलंका सरकार ने एक भी व्यक्ति के पंजीयन की स्वीकृति नहीं दी है ।

श्री कामत : क्या श्रीलंका के साथ चलने वाली वार्ता के दौरान या उसके पूर्व किसी समय श्रीलंका प्रजातंत्रात्मक कांग्रेस ने सरकार से अभ्यावेदन की प्रार्थना की ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया ।

श्री कामत : अभ्यावेदन नहीं; बल्कि परामर्श ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीलंका प्रजातंत्रात्मक कांग्रेस संस्था श्रीलंका में है, भारत में नहीं ।

श्री कामत : क्या उस संस्था ने सरकार से प्रार्थना की थी कि भारत सरकार श्रीलंका सरकार से बातचीत करने के पूर्व उससे परामर्श कर ले ? श्री अजीज़ उस संस्था के प्रधान हैं ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या कोलम्बो शक्ति, भारत और श्रीलंका जिसके दो सदस्य हैं, ने परस्पर देशों के बीच समान नागरिकता का कोई उपाय निकालने की कोशिश नहीं की ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कोलम्बो शक्ति का इस या इस प्रकार के विवादों से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि सीलोन में सटीज़नशिप के लिए लोग जो दरख्वास्तें देते हैं उनकी सुनवाई की जो तारीख मुकर्रर की जाती है, उसकी सूचना दरख्वास्त देन वालों को वह तारीख निकल जाने के बाद मिलती है, और इस तरह उनकी दरख्वास्तें खारिज कर दी जाती हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, ऐसी शिकायतें सुनी हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या उस अधिनियम का प्रयोग भारतीय उद्भव के उन लोगों के विरुद्ध किया जाता है जो असनिक श्रीलंका नागरिकता प्राप्त नहीं कर सके हैं ?

श्री सादत अली खां : ऐसा ही मालूम होता है—भारतीय उद्भव के उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो श्रीलंका के भारतीय तथा पाकिस्तानी निवास नागरिकता अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन द्वारा श्रीलंका की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सके हैं । यदि वे श्रीलंका के नागरिकों के साथ विवाह करके चालाकी करें तो वे कदाचित् इस अधिनियम के अन्तर्गत आ सकते हैं ।

श्री बोगावत : क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार लगभग ५०,००० व्यक्तियों को अवैध रीति से श्रीलंका के बाहर भेज रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं माननीय सदस्य की इस बात "अवैध रूप से बाहर भेजे" का अर्थ नहीं समझता । मैं नहीं जानता कि वह किसके बारे में कह रहे हैं । वहां बहुत प्रकार के व्यक्ति हैं । कुछ ऐसे लोगों को भी निकाला गया है, जिन्होंने श्रीलंका में अवैध प्रवेश किया है । उनकी संख्या अब तुलनात्मक रूप में कम हो गयी है । श्रीलंका सरकार को पूर्ण अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्तियों को बाहर निकाल दे जिन्होंने श्रीलंका में अवैध प्रवेश किया है । कोई व्यक्ति अवैध रूप से प्रविष्ट हुआ है या नहीं, यह तथ्य-सम्बन्धी बात है ।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अन्य लोगों के सम्बन्ध में कह रहे थे ।

श्री बोगावत : "अवैध रूप से" का अर्थ है "बिना उनकी बात सुने या बिना किसी प्रकार का न्याय किये" । क्या यह सच है कि लगभग ५०,००० व्यक्तियों को अवैध रूप से बाहर भेज दिया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं अब भी माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं समझ पाया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस प्रश्न के उत्तर दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं समझता । अगला प्रश्न ।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनायें

*१७०. **डा० सत्यवादी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना केन्द्रों में हरिजनों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये क्या विशेष कार्यक्रम पूरा किया गया है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में परियोजना पदाधिकारियों को कोई विशेष निदेश दिये गये हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) और (ख) सामुदायिक परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यक्रमों का प्रयोजन ग्रामीण समाज का सामूहिक विकास है । इसलिए इन विकास क्षेत्रों में रहने वाले भिन्न-भिन्न ग्रामीण वर्गों के प्रति भेद भावना की दृष्टि न रख कर समानता का व्यवहार किया जाता है । किन्तु आदिवासी क्षेत्रों में उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अन्तर्गत एक उपयुक्त विकास क्रम लागू करने का विचार किया जा रहा है ।

डा० सत्यवादी : क्या यह बात सही है कि पक्की गलियां और नालियां बनाने की इंडस्ट्रीज़ और दूसरे ऐसे कामों में इन केन्द्रों में हरिजन आबादियों के साथ आमतौर पर सौतेली मां जैसा सलूक किया जा रहा है ?

श्री एस० एन० मिश्र : जी, इसकी बुनियाद तो कोई मालूम नहीं होती ।

डा० सत्यवादी : इस बुनियाद के मालूम करने के लिए क्या सरकार ऐसा मुनासिब समझती है कि हरिजन अपलिफ्ट के कामों के मुताल्लिक़ कोई प्राग्रेस रिपोर्ट अलग मांगी जाय ?

श्री एस० एन० मिश्र : ऐसी प्राग्रेस रिपोर्ट मांगने की तो कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं की जाती, लेकिन जहां इस तरह की शिकायतें हों, उनकी सूचना सरकार को देनी चाहिए ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के आयव्ययकों में विशेष रूप से हरिजनों और अन्य ऐसे पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कोई राशि निश्चित की गयी है ?

श्री एस० एन० मिश्र : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह कार्यक्रम क्षेत्रों में किसी प्रकार कभी भेदभाव न मानते हुए सम्पूर्ण ग्रामीण समुदायों के विकास के लिये है । अतः किसी विशेष वर्ग के लिये कोई भी ऐसी राशि निश्चित नहीं की जाती ।

योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : ऐसी कोई भी राशि देते समय या ऐसे किसी भी कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि व्यय उन्हीं क्षेत्रों और वर्गों पर किया जाय जिन्हें उन की सर्वाधिक आवश्यकता हो और जहां विकास कार्य में विलम्ब हो गया हो ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या सामुदायिक परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों

में चेरियों को हटाने के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है. और यदि हां, तो क्या ?

चेरी एक ऐसा स्थान होता है जहां हरिजनों को पृथक् से बसाया जाता है और सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में हजारों चेरियां होंगी । क्या उन्हें हटाने के लिये कोई विशेष सावधानी रखी जा रही है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

श्री बी० एस० मूर्ति : कुछ समय पूर्व प्रधान मंत्री ने कहा था की चेरियों का होना भारत के लिये भद्दी बात है । उस बात को ध्यान में रख कर क्या पृथक् क्षेत्रों अर्थात् चेरियों को जहां पर केवल हरिजनों को ही बसाया जाता है, हटाने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री एस० वी० रामस्वामी : वह हरिजन बस्ती है ।

श्री एस० एन० मिश्र : जहां तक इस पृथ्यकरण का सम्बन्ध है, मैं बता चुका हूं कि यह कार्यक्रम सम्पूर्ण ग्रामीण समुदाय के विकास के लिये है और यदि ऐसे क्षेत्र जिन का नाम माननीय सदस्य ने लिया है, उस क्षेत्र में हैं तो उन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

अणु-शक्ति

*१७१. **श्री एस० एन० दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मिश्र आपस में अणु-शक्ति के सम्बन्ध में जानकारी का विनिमय करने पर सहमत हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई विशेष कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलालनेहरू): (क). और (ख). भारत और मिश्र के बीच अणु-शक्ति सम्बन्धी जानकारी के विनिमय के लिए कोई औपचारिक करार नहीं हुआ है । भारत मिश्र को विशेषतया आण्विक विज्ञान, एलेक्ट्रानिक्स यंत्रों का प्रयोग और भूतत्वीय सर्वेक्षण में प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध करा के सामान्यतया अणु-शक्ति के क्षेत्र में सहायता करने के लिये राजी हो गया है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मिश्र से कुछ व्यक्ति इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिये भारत आये हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं समझता हूं कि अभी कोई भी नहीं आया है ।

श्री कामत : क्या मिश्र की सरकार ने हमारी तरह कोई अणु-गवेषणा विभाग या अणु-शक्ति आयोग नियुक्त कर दिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या मिश्र या अन्य किसी देश ने भारत से मोनाज़ाइट खरीदने की बात की और क्या सरकार का विचार इसे उन में से किसी के हाथ बेचने का है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मिश्र ने नहीं । पर कुछ देश हम से मोनाज़ाइट खरीदना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि इस समय मिश्र की अवस्था ऐसी नहीं है कि वह उस का उचित उपयोग कर सके ।

ग्रामोद्योग गवेषणा केन्द्र

*१७२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या उत्पादन मंत्री ८ नवम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तब से सरकार ने ग्रामोद्योगों के लिये एक पृथक् गवेषणा संस्था स्थापित करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कहां ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) हां, जी ।

(ख) वर्धा, मध्य प्रदेश ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस के लिये कोई प्रारम्भिक कार्यवाही कर ली गई है और अगर कर ली गई है तो उस का विवरण क्या है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : यह तय हुआ है कि वर्धा में जो मगनवाड़ी का प्रबन्ध खादी बोर्ड अपने हाथ में ले लेगा और उस के लिये सब बातचीत तय हो चुकी है।

श्री आर० एस० दीवान : क्या यह एक सरकारी संस्था होगी और, यदि यह एक सरकारी संस्था होगी, तो क्या इस की देखभाल उत्पादन मंत्रालय के अधीन होगी या किसी अन्य मंत्रालय के अधीन ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह संस्था खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन होगी पर सर्वोच्च देखभाल उत्पादन मंत्रालय की होगी।

श्री डाभी : क्या हमें इन केन्द्रों में किये गये गवेषणा कार्य तथा अनावर्तक व्यय के सम्बन्ध में कुछ बताया जायेगा ?

श्री सतीश चन्द्र : प्राक्कलित अनावर्तक व्यय लगभग ४·३४ लाख और आवर्तक व्यय लगभग ४·३८ लाख होगा । उस के कार्य के स्वरूप के सम्बन्ध में मैं केवल इतना कह सकता हूं कि औजारों और नवीन कार्यविधियों के विकास जिन का प्रयोग ग्राम उद्योगों को अधिक सुचारु और बचतपूर्ण बनाना है, से सम्बन्धित गवेषणा कार्य की देखभाल करेगा ।

श्री चट्टोपाध्याय : जब यह गवेषणा संस्था स्थापित होगी तो क्या गांव के कुशल शिल्पिकों का सहयोग इस गवेषणा कार्य में किया जायेगा ?

श्री सतीश चन्द्र : सहायता कर सकने वाले सब व्यक्तियों का सहयोग लिया जायेगा—खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ऐसे सभी व्यक्तियों को आमंत्रित करेगा । पर यह संस्था मुख्यतया इसी बोर्ड द्वारा चलायी जायेगी ।

तम्बाकू का आयात

*१७४. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तम्बाकू के आयात को कम करने के लिए कुछ कार्यवाही की जा रही है या की जाने वाली है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : भारत में अच्छे प्रकार का तम्बाकू पैदा करने और उसके अभिसाधन के ढंगों का सुधार करने के लिये उपाय किये जा रहे हैं । भारतीय तम्बाकू की विशेषता बढ़ जाने के साथ साथ आशा है कि आयात कम हो जायेगा ।

श्री सी० आर० चौधरी : सिगरेट बनाने के लिए किन किन देशों से तम्बाकू का आयात किया जाता है और उसका मूल्य क्या है ?

श्री करमरकर : सिगरेट बनाने के और पाइप में पिये जाने वाले तम्बाकू के आंकड़े हमारे पास हैं । १९५४–५५ में ब्रिटेन से आयात की गयी मात्रा १०,००० पौण्ड थी जिसकी लागत १५०,००० रुपये थी । अन्य देशों से आयात की मात्रा २,००० पौण्ड थी जिसकी लागत १०,००० रुपये थी । ब्रिटेन से १९५४–५५ में सिगरेट बनाने के तम्बाकू के आयात की मात्रा १२१,००० पौण्ड थी और उसका मूल्य १,३८९,००० पौण्ड था । संयुक्त राज्य अमेरिका से किये गये आयात की मात्रा ९,००० पौण्ड है जिसकी लागत ४४,००० रुपये है । अन्य देशों से आयात की मात्रा १,००० पौण्ड थी जिसकी लागत १६,००० रुपये थी ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या यह सच कि हमारे यहां आवश्यकता से अधिक

तम्बाकू पैदा होता है, और यदि हां, तो सिगरेट बनाने के तम्बाकू के आयात की अनुमति क्यों दी जाती है ?

श्री करमरकर : हम अच्छी प्रकार की सिगरेट तैयार करने के पक्ष में हैं, अतः इस समय इस काम के लिये कई प्रकार के तम्बाकू का आयात करना आवश्यक समझते हैं ।

श्री नानादास : सरकार ने हमारे देश में तम्बाकू की जाफना किस्म का विकास करने के लिये क्या कार्यवाही की है और उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री करमरकर : भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति और उसके गवेषणा केन्द्र इस बात का आश्वासन दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भारत इस सम्बन्ध में आत्म-निर्भर है । उदाहरण के लिए, दिन्हाता के रैपर (सिगरेट लपेटने के काग़ज़) और तम्बाकू गवेषणा केन्द्र ने कुछ ऐसी प्रकार के तम्बाकू की पत्तियां पैदा की हैं जो विदेशों से आयात की गयी पत्तियों के टक्कर की हैं पर उसकी जलने की विशेषता में अग्रेतर सुधार की आवश्यकता है । तो इस प्रकार हम प्रगति कर रहे हैं ।

बाढ़ नियंत्रण योजनायें

*१७५. **श्री इब्राहीम** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन राज्यों ने बाढ़ नियंत्रण योजनायें कार्यान्वित करने के लिये अभी तक ऋण मांगे हैं उनके नाम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : १९५४–५५ में बाढ़ संरक्षण कार्यों के लिये आसाम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों को ऋण दिये गये । जहां तक १९५५–५६ की ऋण की सहायता का प्रश्न है, २८ मार्च १९५५ को केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने अपनी तीसरी बैठक में यह निश्चय किया कि सम्बन्धित राज्यों को सितम्बर १९५५ तक का कुल कार्यक्रम भेजना चाहिये । अभी तक केवल उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से ऐसे कार्यक्रम आये हैं ।

श्री एस० एन० दास : जब केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ नियंत्रण कार्य को अपने हाथ में लिया है तो मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों में जो योजनायें बन चुकी हैं उनकी संख्या कितनी है और बाढ़ रोकने में वे कहां तक सफल सिद्ध हुई हैं ?

श्री हाथी : जहां तक विभिन्न राज्यों की विभिन्न योजनाओं का प्रश्न है, उन की ठीक-ठीक संख्या देना संभव नहीं । केन्द्रीय सरकार ने तो इन योजनाओं के लिये राज्यों को आर्थिक सहायता देने का कार्य किया है । उन्हें अपना कार्यक्रम भेजना पड़ता है । बाढ़ से रक्षा करने के लिये आसाम, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश की विशेष योजनायें हैं । ऐसी योजनाओं में इस वर्ष के कार्य का लक्ष्य पूरा हो गया है । किन्तु मैं विभिन्न राज्यों में योजनाओं की संख्या नहीं बता सकता ।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने यह देखने के लिये क्या कदम उठाये हैं कि वर्षाकाल से पूर्व जो काम अधूरा रह गया है उसके अपर्याप्त परित्राण के कारण हानि तो नहीं हो रही है ?

श्री हाथी : सरकार इस बात की पूरी देखभाल करती है । लक्ष्य निश्चित करने से पहले हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं । हो सकता है कि पूर्ण संरक्षण का कार्य एक ऋतु में कभी पूरा न हो सके, किन्तु हम इसके लिये यथाशक्ति प्रयत्न करते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जानना चाहती हूं कि क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने तिस्ता नदी पर काबू पाने के लिये कोई ऋण या बाढ़ रक्षा सहायता नहीं मांगी है ?

श्री हाथी : १९५५–५६ के लिये उन्होंने अभी तक कोई सहायता नहीं मांगी है, किन्तु १९५४–५५ के लिये उन्होंने ५० लाख रुपये मांगे थे ।

योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि बंगाल के लिये कार्यक्रम बन गया है और चालू वर्ष के लिये उपबन्ध भी कर दिया गया है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं जानना चाहता हूं कि बिहार सरकार को १९५४–५५ के लिये जो रुपया दिया गया था, क्या वह सब खर्च कर दिया गया या उसमें से अभी कुछ खर्च होना बाकी है ?

श्री हाथी : मेरे विचार से उन्होंने ३५ लाख रुपये खर्च किये हैं ।

तुंगभद्रा परियोजना

*१७६. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुंगभद्रा परियोजना के अन्तर्गत कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की गई है;

(ख) अभी तक कुल कितने मील लम्बी नहरें बनाई गई हैं; और

(ग) इन नहरों से निकलने वाली शाखा नहरों की संख्या कितनी है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) १९,६०० एकड़ ।

(ख) २३१ मील ।

(ग) २०४ शाखा नहरें ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : यद्यपि परियोजना कार्य दो वर्ष पहले समाप्त हो गया था, तथापि इतनी कम भूमि में सिंचाई किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री हाथी : इसके अनेक कारण हैं । पिछले वर्ष जुलाई से पानी दिया गया था तब तक पानी बरस चुका था और किसान पानी नहीं लेना चाहते थे ।

दूसरा कारण यह था कि सिंचाई की जाने वाली भूमि तैयार नहीं थी । शाखा नहरों से पानी लेने के लिये भूमि को समतल बनाने की जरूरत थी और उसके लिये श्रम और धन की आवश्यकता थी । तीसरा कारण यह था कि उस क्षेत्र के लोगों को सिंचाई करने की आदत नहीं थी । वे बिना सिंचाई के खेती करते थे । राज्य सरकारों द्वारा उन्हें उसकी शिक्षा देने तथा भूमि को समतल बनाने के लिये ऋण देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस क्षेत्र के लिये राज्य सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है और सहायता पाने के लिये केन्द्र को भेजी गई है ?

श्री हाथी : उन्होंने इस उद्देश्य के लिये ऋण मांगा है ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस की मंजूरी दी गई है ?

श्री हाथी : मैसूर तथा हैदराबाद दोनों के लिये ऋण की मंजूरी दी गई है ।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम् : क्या यह सच है कि मसूर सरकार ने केंद्रीय सरकार से निवेदन किया है कि विकास कार्य के लिये किसानों को कर्ज़ देने के लिये उसे एक करोड़ रुपये का ऋण दिया जाय ?

श्री हाथी : हो सकता है कि मेरे आंकड़े सही न हों किन्तु मेरे विचार से हैदराबाद राज्य को ५४ लाख रुपये का ऋण दिया गया है ।

पेट्रोल

*१७७. **श्री पी० सी० बोस** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोल के मूल्य मई १९५५ से बढ़ा दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भाग (क) के बारे में मैं यह और कह दूं कि २०-६-५५ से, वास्तव में, पेट्रोल के दाम घटा दिये गये हैं ।

श्री पी० सी० बोस : मुझे मई के महीन में अधिक मूल्य देना पड़ा था । क्या माननीय मंत्री कुछ पूछताछ करेंगे ?

श्री करमरकर : मेरे माननीय मित्र को दाम देने से पहले अधिक सचेत रहना चाहिये और केवल विहित दर के अनुसार ही पैसे देने चाहियें ।

श्री नटेशन : मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में पेट्रोल का उच्चतम मूल्य किस आधार पर निश्चित किया जाता है ?

श्री करमरकर : इसकी परिगणन-प्रक्रिया को मूल्यांकित भांडार परिगणन प्रणाली कहते हैं । यदि मेरे मित्र इसके बारे में प्रश्न करेंगे तो उसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

इस्पात

*१७९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में इस्पात की कुल अनुमानित आवश्यकता कितनी है ?

वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : लगभग २५ लाख टन ।

श्री विभूति मिश्र : सरकार अपने देश के उत्पादन से इस के लिये कितना लेगी और बाहर से कितना मंगायेगी ?

श्री कानूनगो : देश का उत्पादन १२ लाख टन है । इस के अलावा जितनी जरूरत पड़ेगी वह बाहर से मंगाना पड़ेगा ।

श्री विभूति मिश्र : सरकार ने जो इस्पात की आवश्यकता निश्चित की है उसमें क्या यह भी निश्चित किया गया है कि इतना देहात के खर्चे के लिये दिया जायेगा और इतना शहर के खर्च के लिये दिया जायेगा ?

श्री कानूनगो : जब स्टेट गवर्नमेन्ट अपनी मांग करती है खेती बाड़ी के लिये और घर बनाने के लिये, तो वही तय करती है कि देहात को कितना स्टील दिया जायेगा और शहरों को कितना दिया जायेगा ।

सरदार हुक्म सिंह : इन आवश्यकताओं का अनुमान लगाते समय क्या रक्षा, रेलवे विकास योजनाओं तथा विस्थापितों की आवास योजनाओं की मांगों को भी ध्यान में रखा गया या उनकी मांगों में कमी की गई ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): जितना संभरण प्राप्त था उसी के अनुसार मांगें स्वीकार की गई हैं ।

सेठ गोविन्द दास : जितना लोहा अभी बाहर से आता है, उसको हिन्दुस्तान में तैयार करने के लिये कितनी फैक्ट्री और बनानी पड़ेंगी और कब तक यह आशा की जाती हैं कि हमारी जितनी जरूरत है उसको हम यहीं से पूरा कर सकेंगे ?

श्री कानूनगो : अभी तो दो फैक्ट्रियां बन रही हैं, और उनके अलावा तीसरी की चर्चा हो रही है । इन तीन फैक्टरियों के चलने से अपनी सब जरूरत पूरी हो जायगी और ज्यादा जरूरत होगी तो और दूसरे कारखाने खोलन होंगे ।

ग्रामोद्योग

***१८०. श्री गार्डिलिंगन गौड़ :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामोद्योग में उन्नति के लिये क्षेत्र विशेष में अधिक कार्य योजना नाम की एक योजना पन्द्रह केन्द्रों में चालू की गई है;

(ख) इस योजनान्तर्गत आंध्र में खोले गये केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) इन क्षेत्रों को किस आधार पर छांटा गया है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :

(क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक ।

(ग) इन क्षेत्रों को चुनने का आधार रचनात्मक कार्यकर्ताओं की प्राप्ति और लोगों की कार्य करने की इच्छा ही है ।

श्री गार्डिलिंगन गौड़ : मैं जानना चाहता हूं कि यदि आंध्र में कार्यकर्त्ता मिल जायें तो क्या इस योजना को और एक या दो स्थानों पर चलाने की संभावना है ?

श्री सतीश चन्द्र : यदि कार्यकर्त्ता मिलें तो खादी बोर्ड इस पर विचार करेगा ।

श्री गार्डिलिंगन गौड़ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आंध्र राज्य में ग्रामोद्योगों के लिये एक राज्य बोर्ड बनाया गया है; यदि हां, तो कहां पर और कर्मचारीवर्ग में कौन-कौन व्यक्ति हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या इस प्रयोजन के लिये कोई राज्य बोर्ड है, और यदि हां, तो कहां पर । मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने बताया है कि यह मामला खादी बोर्ड के अधीन है ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : हां, श्रीमान् । खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन ।

श्री हेम राज : बाकी राज्यों में भी इस किस्म के कोई सेन्टर खोले गये हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : ३५ सेन्टर खोले जा रहे हैं जिनमें से १५ पिछले वर्ष स्वीकृत हुए, खुल चुके हैं । २० इस साल शुरू किये जा रहे हैं, लेकिन खादी बोर्ड को तय करना है कि वह किन किन जगहों पर खोले जायेंगे ।

श्री हेम राज : क्या पंजाब में कोई खोला गया है ?

आज़ाद काश्मीर

***१८१. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में "आज़ाद काश्मीर" के अनेक नागरिक भाग कर भारत में आ गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). जम्मू और काश्मीर राज्य का जो हिस्सा अब पाकिस्तान के कब्ज़े में है, मालूम हुआ है कि वहां से हाल में ही लगभग तीन हज़ार आदमी इधर आ गये हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : इन आदमियों के यहां भाग कर आने का कारण क्या है ?

श्री सादत अली खां : : यह बात तो आनरेबुल मैम्बर खुद समझते है । वहां के हालात ऐसे ही होंगे कि लोग भागें, क्योंकि कोई खुशी से तो भाग कर आता नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या पाकिस्तान में उन लोगों पर फायरिंग हुई थी जिस के कारण वह लोग भाग कर यहां आये हैं ?

श्री सादत अली खां : यह मैं नहीं जानता ।

पंडित डी० एन० तिवारी : जो लोग यहां भाग कर आये हैं क्या उन्होंने इंडियन सिटिज़ेनशिप के लिये कोई दर्ख्वास्तें दी हैं ?

अख़बारी कागज़ के कारखाने

*१८३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक किन-किन राज्यों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अख़बारी कागज़ के नये कारखाने स्थापित किये जाने के लिये अपने सुझाव भेज दिये हैं;

(ख) विभिन्न योजनाओं के ब्योरे क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने अन्तिम निर्णय क्या किया है ?

वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). पंजाब और हिमाचल प्रदेश के राज्यों ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में अपने प्रदेशों में अखबारी कागज़ के कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव योजना कमीशन को भेज दिये हैं । पंजाब सरकार के प्रस्ताव के अनुसार सरकारी क्षेत्र में अखबारी कागज़ के ऐसे कारखाने की योजना दी गई है जिसमें आरम्भ में ५० टन प्रति दिन अख़बारी कागज़ तैयार किया जायगा । बाद को साथ के एक अन्य कारखाने रेयन श्रेणी की लुगदी तैयार करने का भी प्रस्ताव है । हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रस्ताव बांस, भभर घास आदि से अख़बारी कागज़ बनाने का कारखाना खोलने के विषय में है, जिसकी उत्पादन क्षमता १०० टन प्रति दिन है और ये दोनों ही प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं और उन्होंने कोई ठोस रूप में नहीं ग्रहण किया है । योजना कमीशन ने उपर्युक्त राज्य सरकारों को लिखा है कि सम्बद्ध राज्यों के कच्चे माल के साधनों के बारे में और अधिक व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध होते ही उनके प्रस्तावों पर, अन्य प्रस्तावों के साथ उचित विचार किया जायगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस बात का पता लगाने की कोशिश की गई है कि हमारे देश को कितने अख़बारी कागज़ की आवश्यकता है और उसके मुकाबले में हमारे देश में अब कितना उत्पादन हो रहा है और अगले दो या चार वर्षों के अन्दर हम कितना उत्पादन कर सकेंगे ?

श्री कानूनगो : हमारे देश के अन्दर एक कारखाना है और वह इस साल के आखिर तक ५० हज़ार टन कागज़ तैयार कर सकेगा जब कि हमारी जरूरत बहुत ज्यादा है, तकरीबन ७०,००० टन प्रति वर्ष ।

श्री रघुनाथ सिंह : हम कितना आयात कर रहे हैं ?

श्री कानूनगो : लगभग ७०,००० टन ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस बात का पता लगाने की कोशिश की गई है कि इन दो राज्यों के अलावा जिन का कि माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है, यानी पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दूसरे राज्यों में भी जहां कच्ची सामग्री उपलब्ध है कारखाने खोल कर इस सामग्री का उपयोग किया जायेगा ?

श्री कानूनगो : जो चीज़ अखबारी कागज़ बनाने के लिए जरूरी है वह सब प्रान्तों में नहीं मिलती है । मद्रास में युक्लिपटस से कागज़ बनाने की कुछ चर्चा हो रही है ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार को मद्रास सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव मिला है कि मलबार में एक दूसरी फैक्टरी खोली जाय ?

श्री कानूनगो : जी नहीं ।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक

*१८४. **श्री राधारमण** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा पाकिस्तान के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रियों ने इकट्ठे ही पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्रों के कुछ छांटे गये क्षेत्रों का भ्रमण किया; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने वहां क्या देखा और क्या सिफारिशें कीं ?

कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). श्री गयासुद्दीन पठान, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री तथा श्री अनिल के० चन्दा जो हमारे अल्पसंख्यक कार्य मंत्री का भार संभाले हुए थे, ने इकट्ठे ही अप्रैल १९५५ में पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में भ्रमण किया। अप्रैल १९५० के, प्रधान मंत्रियों के क़रार के अनुसार अल्पसंख्यकों में विश्वास उत्पन्न करने तथा पूर्वी खण्ड की परिस्थिति से परिचित होने के लिये, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रियों द्वारा ये सामयिक भ्रमण किये जाते हैं । मंत्रियों द्वारा कोई संयुक्त प्रतिवेदन नहीं दिया गया है ।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने श्री चन्दा के व्यक्तिगत अनुभवों से पाकिस्तान के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री को अवगत करा दिया है, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सरकार पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की कठिनाइयां दूर करने की सक्रिय चेष्टा कर रही है ।

श्री राधारमण : जहां तक लोगों के पूर्वी पाकिस्तान से निष्क्रमण कर के भारत आने का सम्बन्ध है, क्या समय-समय पर किये जाने वाले इन दौरों का कोई ठोस परिणाम निकला ?

श्री सादत अली खां : जी हां । वस्तुत: पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं का निष्क्रमण फरवरी और मार्च १९५५ में क्रमशः २४,९८३ और ३०,१८१ था जब कि अप्रैल और मई में यही संख्या घटकर क्रमशः १९,३७६ और २०,६४७ रह गई ।

श्री मेघनाद साहा : क्या यह सच नहीं कि इन्हीं दौरों के फलस्वरूप एक मंत्री ने यह कहा कि जब तक पाकिस्तान इस्लामी राज्य रहेगा, वहां हिन्दुओं का ठहरना असम्भव होगा; और यदि यह सच है तो भारत सरकार इस आपात का सामना करने के लिये कौनसी दीर्घकालीन योजना बना रही है ? क्या यह भी सच नहीं कि प्रति सप्ताह सियालदा स्टेशन पर लगभग ३,००० शरणार्थी और त्रिपुरा में लगभग २,००० शरणार्थी इसलिये आया करते हैं कि उन के लिये पूर्वी पाकिस्तान में रहना असंभव हो गया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य का प्रश्न तो प्रश्न से कहीं बढ़ कर है । जहां तक अन्तिम भाग का सम्बन्ध है, अर्थात् निष्क्रमणार्थी अथवा शरणार्थी बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, चाहे इस प्रकार की बात सियालदा स्टेशन पर हो अथवा किसी अन्य स्टेशन पर, यह सच है । यह एक कटु तथ्य है जिससे दुःख होता है । मेरे सहयोगी ने जो आंकड़े दिये हैं वे आने वाले लोगों की संख्या में कुछ कमी बताते हैं; लेकिन इतनी अधिक कमी नहीं । इस के सभी कारण तो ज्ञात नहीं किन्तु अधिकांश कारण ज्ञात हैं । उन के आने का मुख्य कारण यह है कि सामान्य रूप से वहां की परिस्थितियां उन के रहने के उपयुक्त नहीं हैं । ये परिस्थितियां क्या हैं इन पर हम चर्चा कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य ने इस्लामी राज्य के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा है, व्यक्तिगत रूप से —यह नितांत व्यक्तिगत मत है—उस से कोई भी अर्थ नहीं निकलता । महत्व तो परिस्थितियों का होता है । यदि वहां की परिस्थिति अच्छी हो तब तो कोई बडी बात

नहीं है । यदि परिस्थितियां खराब हों तो व्यक्तियों पर इस का भी बहुत प्रभाव पड़ता है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या यह सच नहीं है कि सब से बड़े मुसलमान दल के नेता श्री फज़लुल हक ने उस दिन यह दोहराया था कि पाकिस्तान एक इस्लामी राज्य बनने जा रहा है तथा इस्लामी राज्य में अल्पमत वालों का स्थान पराश्रित की तरह होगा जिन की रक्षा की जायेगी । उन के कोई नागरिक अधिकार नहीं होंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या अन्तिम अंश भी फज़लुल हक़ ने ही कहा था अथवा यह माननीय सदस्य का अनुमान है ? यह कहना कि पाकिस्तान एक इस्लामी राज्य है, फज़लुल हक़ या किसी दूसरे नेता का वाक्पाटव और वाक-आडम्बर हो सकता है । लेकिन माननीय सदस्य ने प्राचीन इस्लाम के इतिहास के आधार पर जो अनुमान लगाया है, वह इस युग में असंगत है ।

श्री गिडवानी : क्या पाकिस्तान के पदाधिकारियों ने, नौकरी तथा व्यापार में विभेदपूर्ण व्यवहार के सम्बन्ध में, जो कि अब अल्पमत वालों के निष्क्रमण का मुख्य कारण है; कठिनाइयां दूर करने के लिये कुछ कार्यवाही की है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कदाचित् ऐसा किया गया है ।

टिटानियम (रज्जातु)

*१८९. **श्री मातन** : क्या प्रधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि टिटानियम (रञ्जातु) धातू विमानों के निर्माण के लिये आधारभूत वस्तु बना है;

(ख) सरकार की, अमेरिका की नेशनल लैंड के साथ, त्रावनकोर-कोचीन में कारखाने के निर्माण में समझौता करने की योजना में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) त्रावनकोर-कोचीन का अंग्रेजी सार्थ, मैसर्ज होपकिन एन्ड विलियस्, लिमिटेड को जो कि इलमेनाइट मोनाजाईट, रुटाइल की कच्ची धातु तैयार कर रहे हैं को अपने अधिकार में लेने की वार्ता का क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ।

(ख) नेशनल लैंड कम्पनी का त्रावनकोर-कोचीन राज्य में कारखाना खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) खनिज रेत उद्योग के राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय कर लिया गया है । गैर सरकारी सार्थों से प्रारम्भिक वार्तायें, त्रावनकोर-कोचीन सरकार कर रही है ।

श्री मातन : क्या माननीय प्रधान मंत्री को यह ज्ञात है कि हमारे यहां इलमेनाइट की अत्यधिक––लगभग असीमित––राशि है, जिस से टिटानियम बनाया जाता है और यह संसार में सब से सस्ती है तथा उस में टिटानियम की भी अधिकतम मात्रा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या प्रधान मंत्री को यह पता है कि एक प्रकार का अयस्क, जिस से यह धातु निर्मित की जाती है, भारत में उपलब्ध है तथा सब से सस्ते प्रकार की है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं प्रश्न को ठीक से नहीं समझ सका । अस्तु, मुझे इसका पता नहीं । मैं इसके सम्बन्ध में नहीं जानता ।

श्री मातन : क्या प्रधान मंत्री को यह पता है कि अमेरिका तथा ब्रिटेन दोनों ने हमारे द्वारा सस्ती कीमत पर दिये गये इलमे-

नाइट से, अपने संयंत्रों के द्वारा टिटानियम (रञ्जातु) निर्मित करना प्रारम्भ कर दिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं । मुझे इस बात की ठीक ठीक जानकारी नहीं है।

श्री मेघनाद साहा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि टिटानियम आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया है तथा भारत के पास टिटानियम की बहुत खानें हैं, का राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अथवा किसी अन्य प्रयोगशाला में इन साधनों से टिटानियम निकालने के लिये कोई गवेषणा की जा रही है जैसा कि एक प्रचलित विधि द्वारा अमेरिका या अन्य देशों में किया जा रहा है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यदि किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला को टिटानियम (रञ्जातु) निकालने वाले संयंत्र की आवश्यकता हो तो क्या सरकार द्वारा उसे प्रोत्साहन मिलेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इन विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त रीति से देने के लिये इस विषय पर मुझे पूरी जानकारी चाहिये । टिटानियम का महत्व भली भांति विदित है और यह काम किया जा रहा है किन्तु मैं माननीय सदस्य को यह ठीक ठीक नहीं बता सकता कि किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : इस वर्ष के बजट में जो २ करोड़ रुपये का उपबन्ध एक संयंत्र का ढांचा खरीदने के लिये किया गया था उसका उपयोग हो चुका है; और क्या वह संयंत्र आकर स्थापित हो चुका है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : ये सामान्य प्रश्न हैं । कोई विशिष्ट जानकारी नहीं मांगी जा रही है । अगला प्रश्न ।

चाय

*१८७. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय की कीमतें गिरने का भारतीय उत्पादन-कर्त्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ा;

(ख) सरकार ने कीमतों को गिरने से रोकने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की; और

(ग) क्या भारतीय तथा श्रीलंका के व्यापारियों ने इस सम्बन्ध में कोई संयुक्त कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) चाय की कीमतें गिरने से भारतीय उत्पादन-कर्त्ताओं का मुनाफा कम हो गया । साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि अब बाजार-भाव बहुत कुछ स्थिर हो गये हैं ।

(ख) सरकार द्वारा कोई विशेष कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया । चाय पर निर्यात शुल्क सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार घटा दिया गया ।

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मई १९५५ में जोज़फ लियोन्ज़ ग्रप कम्पनियों ने चाय की कीमत इसलिये घटा दी थी कि भारत से सस्ती किस्म की चाय प्राप्त हो सके अथवा इसका कोई अन्य कारण था, और यदि कोई अन्य कारण थे तो वे क्या थे ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : माननीय मंत्री कदाचित् इस बात को जानते हैं कि चाय की कीमत बहुत ऊंची थी और बढ़ रही थी । मैं सोचता हूं कि जो देश चाय का उपयोग करता है उसे चाय की कीमतें गिराने के लिये उपयुक्त सावधानी बरतनी चाहिये ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मई १९५५ में क्या कीमतें थी और वे क्यों गिरीं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सब सस्ती चाय पाने के लिये किया गया था अथवा किन्हीं दूसरे कारणों से हुआ था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जिसकी जेब से पैसा जाता है उसी को अनुभव होता है, और इसीलिये वह चाहता है कि कीमतें गिरें। इसीलिये सम्बन्धित सरकार तथा सम्बन्धित व्यक्ति चाय की कीमतें गिराने का प्रयत्न करते हैं।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच नहीं है कि जोज़फ लियोन्ज़ कम्पनियों के संयुक्त होने पर ही इंगलैंड की सभी चाय वाली कम्पनियां श्रीलंका को सबक सिखाने के लिये संयुक्त हो गई। क्या यह बात मंत्री जी. को मालूम है ?

श्री करमरकर : मेरे विचार से आपको यह प्रश्न श्रीलंका की संसद् से पूछना चाहिये।

श्री कामत : क्या यह सच है कि अधिकांश ऊंची किस्म की तथा अच्छी क़िस्म की चाय निर्यात की जा रही है और निर्यात नीति के कारण वह देश के अन्दर उपलब्ध नहीं है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी।

सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

*१८८. **श्री हेम राज** : क्या योजना मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) वर्ष १९५५-५६ में, राज्यवार, कितनी सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोले जायेंगे; और

(ख) ऐसे प्रत्येक खंड पर कितनी राशि व्यय करने का विचार है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४५**]

(ख) प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड और सामुदायिक विकास खंड पर क्रमशः ७ १/२ लाख और १५ लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि साढ़े सात लाख और पंद्रह लाख रुपये में से, जो कि एक ब्लाक पर खर्च किया जायगा, सरकारी कर्मचारियों पर कितना खर्च होगा और वास्तविक काम पर कितना खर्च होगा ?

श्री एस० एन० मिश्र : इसके बारे में तफ़सीलात कई बार इस सभा में दी गई हैं। इस वक्त वे मेरे पास नहीं हैं और नोटिस मिलने पर दे दी जायेंगी।

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसा ही बजट हर एक ब्लाक के लिए बनाया गया है ? पर्वतीय क्षेत्रों की समस्यायें मैदानों की समस्याओं से मुख्तलिफ़ हैं। ऐसी सूरत में क्या वहां का बजट मुख्तलिफ़ तरीके से बनाये जाने की योजना विचाराधीन है ?

श्री एस० एन० मिश्र : उन अंचलों के बारे में, जिनकी खास समस्यायें हैं, विचार किया जा रहा है कि वहां पर राष्ट्रीय विस्तार योजना का क्या आकार-प्रकार हो। कुछ दिनों के बाद जब हम विचार कर लेंगे, तो पूरा विवरण इस सभा के सामने रख देंगे।

श्री हेडा : क्या ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने ग्रामसेवकों की कमी के कारण इतने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड तथा सामुदायिक परियोजना केन्द्र खोलने में असमर्थता प्रगट की है, और यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं और कितने ग्रामसेवकों की कमी है ?

श्री एस० एन० मिश्र : प्रगति, विस्तार, जनता में जागृति की सीमा तथा उपलब्ध

कर्मचारियों को ध्यान में रख कर ही राज्यों को खंड बांटे गये हैं। हम शिल्पिक कर्मचारी-वर्ग की उपलब्धि के आधार पर इस प्रकार का बंटवारा करते हैं और जहां कहीं भी कमी ज्ञात हुई है, वहां उसको दूर किया जा रहा है।

डाम्बरू जल-प्रपात

*१९०. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के डाम्बरू जल-प्रपात के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री बीरेन दत्त : क्या जांच करने का कोई विचार है ?

श्री हाथी : इस समय वर्षा के कारण उस स्थान की जांच करना सम्भव नहीं है।

श्री बीरेन दत्त : क्या बहुत दिन पूर्व किसी अन्य जांच समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रकाशित किया था ?

श्री हाथी : भूतपूर्व त्रिपुरा राज्य ने १९४८ में एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

इस्पात संयंत्र

*१९१. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने दक्षिणी अर्काट में लिगनाइट तथा सैलम में लोहे की उपलब्धि के आधार पर दक्षिण में एक इस्पात संयंत्र को खोलने की योजना को द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया गया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) दक्षिणी अर्काट की लिगनाइट की खानों की परियोजना अभी प्रारम्भिक अवस्था में है इसलिये मद्रास में इस्पात परि-योजना की विस्तृत जांच को अभी द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करना समय से पहले की बात होगी।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मद्रास सरकार ने जिस इस्पात संयंत्र का प्रस्ताव किया है, वह किस प्रकार का होगा। क्या यह साधारण उच्च खड़ी भट्टी वाला संयंत्र होगा अथवा विशेष निम्न खड़ी भट्टी वाला ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रत्यक्षतः मद्रास सरकार को विभिन्न प्रकार के संयंत्रों की शिल्पिक संभावनाओं का पता नही है। इस सम्बन्ध में उसने कोई सुझाव नहीं दिया है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : इस्पात विकास कार्य में शीघ्रता लाने के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह प्रश्न मेरे माननीय सहयोगी उत्पादन मंत्री से पूछा जाना चाहिये।

उड़ीसा की नमक फैक्ट्रियां

*१९२. **श्री संगण्णा** : क्या **उत्पादन** मंत्री उड़ीसा की नमक फैक्ट्रियों के संकट के सम्बन्ध में १५ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२४४ के सम्बन्ध में

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न नमक की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूरों की मज़दूरी की दरों और अन्य प्रासंगिक पारिश्रमिक के सम्बन्ध में २० मार्च, १९५५ को हुई बैठक में पारित संकल्पों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या परिणाम निकले हैं ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) मज़दूरों के विवादों का निपटारा राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर आता है। मज़दूरी की दरों और अन्य प्रासंगिक पारिश्रमिक के सम्बन्ध में मज़दूरों द्वारा पारित संकल्पों में की गई प्रार्थनाओं पर राज्य सरकारें विचार कर सकती हैं।

(ख) यथा संभव जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६]**

श्री संगण्णा : इस प्रकार के मामलों में भारत सरकार का क्या सम्बन्ध होता है ?

श्री सतीश चन्द्र : ये गैर-सरकारी व्यक्तियों के स्वामित्व में छोटी नमक फैक्ट्रियां हैं। नियोजकों और नियोजितों के बीच कुछ विवाद हैं। भारत सरकार का इसके अतिरिक्त और कोई सरोकार नहीं कि वह यह देखे कि नमक के उत्पादन में कोई विघ्न नहीं पड़ता। नमक आयुक्त मौके पर उपस्थित थे। उन्होंने दोनों दलों को समझौता करने के लिये अपने प्रभाव का प्रयोग करने का प्रयत्न किया, और चालू वित्तीय वर्ष के अन्दर बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हुई है।

श्री संगण्णा : क्या फैक्ट्री स्वामियों के निर्णय अन्तिम हैं, और क्या भारत सरकार अथवा संबद्ध राज्य सरकारों के प्रभाव डालने से उनमें कुछ अन्तर हो सकता है ?

श्री सतीश चन्द्र : सम्बन्धित पक्षों के बीच कुछ निर्णय हुए हैं और मैं समझता हूं उन्हें अवश्य कार्यरूप दिया गया होगा। यदि ऐसी बात नहीं है, तो इस मामले में राज्य सरकारों से पूछताछ की जायेगी।

श्री नानादास : नमक उद्योग में मज़दूरों की मज़दूरी को घटाने के लिये मालिक उन्हें निश्चित काम के अनुसार निश्चित मज़दूरी देने का सहारा लेते हैं, इसको लक्ष्य रखते हुए, क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस उद्योग के मज़दूरों के लिये न्यूनतम मज़दूरी निश्चित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाहियां कर रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) कुछ राज्यों ने नमक फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूरों के मामले में न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम लागू कर दिया है। मुझे इस समय मालूम नहीं है कि किन किन राज्यों ने न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम लागू किया है, किन्तु हम विभिन्न राज्यों को अपने अपने राज्यों में ऐसा विधान लागू करने के लिये जोर दे रहे हैं।

श्री नानादास : कितने राज्यों ने नमक उद्योग के लिये न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम लागू किया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

श्रीलंका में भारतीय

*१७८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका में भारतीय उद्‌गम वाले व्यक्तियों की नागरिकता सम्बन्धी भारत-लंका सन्धि को

क्रियान्वित करने के मामले में अवरोध बढ़ गया है;

(ख) सन्धि को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) सन्धि के क्रियान्वित होने में क्या मख्य कठिनाइयां उपस्थित हो रही हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). भारत-लंका करार के अधीन यह समझौता हुआ था :

(१) श्रीलंका की सरकार एक वयस्क पंजी तैयार करेगी;

(२) वह अपने आप्रवासी तथा उत्प्रवासी अधिनियम में अभियुक्त पर यह सिद्ध करने का भार डालते हुए कि वह अवैध आप्रवासी नहीं था, संशोधन करेगी;

(३) लोगों को श्रीलंका के नागरिक के रूप में पंजीबद्ध करने का काम दो वर्ष के अन्दर पूरा हो जायेगा।

(४) १० वर्ष तक पंजीबद्ध नागरिकों के लिये एक पृथक् निर्वाचक पंजी होगी।

(५) श्रीलंका की विधान सभा में भारत के प्रधान मंत्री के परामर्श से पंजीबद्ध नागरिकों के प्रतिनिधियों के लिये कुछ स्थान रक्षित होंगे।

(६) श्रीलंका की सरकार, भारतीय उद्गम वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीबद्ध होने के लिये प्रोत्साहन देने के निमित्त प्रलोभन देगी।

किन्तु श्रीलंका की सरकार ने वयस्क पंजी तैयार किये बिना ही अपने आप्रवासी तथा उत्प्रवासी अधिनियम में संशोधन कर लिया है। श्रीलंका के अधिकारी प्रार्थनाओं को सामूहिक रूप से रद्द कर रहे हैं। १२ वर्ष के लिये पृथक् निर्वाचक समूहों का उपबन्ध किया गया है। उसने भारत के प्रधान मंत्री के परामर्श के साथ वहां की लोक-सभा में चार स्थान निश्चित किये हैं।

श्रीलंका की सरकार ने जो कार्यवाही की है वह भारत-लंका करार के अनुरूप नहीं है इस कारण इस सन्धि की कार्यान्विति में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं।

कैंटन (चीन) में भारतीय

*१८२. **श्री भागवत झा** आजाद : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रजनों को जिनकी कैंटन (चीन) में मकान भूमि आदि सम्पत्तियां हैं, अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिये वहां के अधिकारियों के सामने लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी, हां।

(ख) क्योंकि भारतीय राष्ट्रजनों के स्वामित्वाधीन समझी जाने वाली सम्पत्तियां कैंटन राष्ट्र की सरकार के गृह तथा भूमि सम्पत्ति नियंत्रण विभाग, कैंटन द्वारा, स्वामित्व के अपर्याप्त प्रमाण के कारण, अधिग्रहीत कर ली गई थीं, इसलिये दावेदारों को अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिये लिखित साक्ष्य देने की आवश्यकता पड़ी है।

चलचित्र विवाचन

*१८६. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चलचित्रों के अधिक तीक्ष्ण विवाचन के निमित्त कुछ उपाय करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो वे उपाय कैसे होंगे और कब किये जायेंगे; और

(ग) क्या इस विषय में चलचित्र बनाने वालों और कलाकारों के विचार जाने लिये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). केन्द्रीय चलचित्र विवाचक बोर्ड द्वारा अपनी निरीक्षण समितियों को दिये गये अनुदेशों के अनुसार चलचित्रों का विवाचन किया जाता है। उसके अन्दर बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई तालिकाओं के सदस्य उचित ध्यान और सावधानी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं।

कांग्रेस कार्यकारिणी समिति से चलचित्रों के अधिक तीक्ष्ण विवाचन का सुझाव देने वाला संसूचना पत्र हाल ही में प्राप्त हुआ है। उस संसूचना पत्र में दी गई कुछ बातों का स्पष्टीकरण करवाया जा रहा है और वह विचाराधीन है।

कोयला धोने के कारखानों सम्बन्धी समिति

*१८९. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** क्या **उत्पादन** मंत्री २१ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १२६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला धोने के कारखानों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या क्य सिफारिशे स्वीकार की जा चुकी हैं; और

(ग) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) : (क) तथा (ख). प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है, किन्तु सरकार इस विषय में बहुत शीघ्र ही अन्तिम निर्णय पर पहुंचने की आशा करती है;

(ग) प्रतिवेदन की प्रतियां पहले से संसद् के पुस्तकालय में रखी जा चुकी हैं।

उद्योगों का वैज्ञानिकन

*१९३. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस निमित्त कोई कार्यवाही की है कि सितम्बर १९५४ में लोक-सभा द्वारा पारित, वस्त्रनिर्माण तथा पटसन उद्योगों के वैज्ञानिकन सम्बन्धी संकल्प में दी गई शर्तों का ठीक रूप से पालन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार की हैं ?

वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) तथा (ख). पटसन और सूती वस्त्रनिर्माण उद्योग के वैज्ञानिकन के सभी मामलों की, आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, १९४७, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ अथवा सूती वस्त्र निर्माण (नियंत्रण) आदेश, १९४८ के अधीन किसी न किसी कारण से, सरकार द्वारा पड़ताल होती है। आवश्यक अनुमति देने से पूर्व, सरकार इस बात की तसल्ली करती है कि प्रस्तावित वैज्ञानिकन देश के लिये लाभदायक है और इसे इस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा कि मज़दूरों को बहुत कम विस्थापित होना पड़ेगा।

नहरी जल विवाद

*१९४. **श्री बोगावत** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच नहरों का जल बांटने के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है और क्या अन्तिम समझौते की शर्तें आदि तैयार कर ली गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का समझौता किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). खरीफ १९५५ के लिये तदर्थ संक्रमणकालीन व्यवस्था के लिये एक अल्पकालीन समझौते पर २१ जून, १९५५ को हस्ताक्षर किये गये थे और उसकी प्रति २४ जून, १९५५ को प्रैस को दी गई थी । अभी वार्तालाप चल रहा है और अभी तक अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

कीनिया में भारतीय

*१९५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** २५ फरवरी, १९५५ को दिये ये तारांकित प्रश्न संख्या २५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नैरोबी के एक भारतीय बैरिस्टर, श्री जसवन्त सिंह को एक निषिद्ध आप्रवासी घोषित करने वाले और उसे कीनिया में प्रविष्ट न होने का आदेश देने वाले, कीनिया के मुख्य आप्रवासी अधिकारी के आदेश के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : इस मामले के विषय में ब्रिटेन सरकार के भारत स्थित उच्च आयुक्त द्वारा, वहां की सरकार से, बातचीत की गई है, किन्तु अभी तक कोई परिणाम नहीं निकले हैं ।

भारतीय चाय नीलाम समिति

*१९६. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १६ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १०६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय नीलामी समिति के प्रतिवेदन पर अभी तक कोई निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४७]**

भारतीय कॉफी बोर्ड

*१९७. **श्री एन० राचय्या** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ७ मार्च १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ६४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कॉफी बोर्ड पुनः स्थापित किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो नवीन स्थापित बोर्ड के सदस्यों के क्या नाम हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :(क) तथा (ख). नहीं, श्रीमान्, मामला अभी विचाराधीन है ।

हथकरघा उद्योग

*१९८. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्यों को १९५४–५५ और १९५५–५६ में अब तक हथकरघों के विकास के हेतु कितनी राशि प्रदान की गई है ; तथा

(ख) क्या कोई ऐसी प्रस्थापना है कि कपड़ा मिलों और हथकरघों के लिये उत्पादन क्षेत्रों की बांट कर दी जाये और इस प्रयोजनार्थ विभिन्न उद्योगों के लिये सूत्रांक रक्षित कर दिये जायें ?

वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४८**]

(ख) ऐसी कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना

***१९९. श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युत के विकास और बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में एक योजना प्रस्तुत की है; तथा

(ख) यदि की है तो उस योजना के मुख्य लक्षण क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४९**]

बृटिश इस्पात मिशन

श्री बर्मन :
*२००. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री इब्राहीम :
श्री झूलन सिंह :
श्री के० पी० सिन्हा :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १८ के प्रति ७ मई, १९५५ को दिये गये उत्तर का निर्देश करते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बृटिश इस्पात मिशन अपना प्रतिवेदन दे चुकी है;

(ख) उक्त मिशन ने इस सम्बन्ध में कौन कौन से स्थान देखे हैं; तथा

(ग) क्या उसने इस प्रयोजन के लिए किसी स्थान को चुन लिया है ?

वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) नहीं, श्रीमान्

(ख) उक्त मिशन ने बंगाल और बिहार का भ्रमण किया है और दुर्गापुर सिन्द्री, चित्तरंजन, बोकारो, जमशेदपुर और कुछ कोयला खानों का दौरा किया है ।

(ग) आशा है कि वे अपने प्रतिवेदन में उस स्थान के बारे में सिफ़ारिश करेंगे जिस पर संयंत्र की स्थापना की जानी है ।

नाहन ढलाईघर

***२०१. श्री पुन्नूस** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस समिति ने जो नाहन ढलाईघर के औद्योगिक विवाद की जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; तथा

(ख) यदि किया है तो क्या सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पहली पंचवर्षीय योजना

***२०३. डा० सत्यवादी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहली पंच-वर्षीय योजना म सामुदायिक परियोजनाओं

तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं के लिये निश्चित की गई राशि का बहुत थोड़ा भाग अभी तक व्यय हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि निश्चित की गई थी और अभी तक उस पर वास्तविक व्यय कितना हुआ है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) योजना में निर्दिष्ट ८६.३० करोड़ रुपयों में से २१.५८ करोड़ रुपये ३१ मार्च, १९५५ तक खर्च किये गये ।

भारत-ब्रिटेन व्यापार करार

*२०४. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत-ब्रिटेन व्यापार करार के पुनः निरीक्षण के बारे में बातचीत आरम्भ कर दी गई है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो किन किन मुख्य विषयों पर चर्चा की जाने वाली है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

महात्मा गांधी की समाधि

*२०५. { **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री एम० आर० कृष्ण :
श्री डाभी :
श्री भागवत झा आजाद : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ११ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २१५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से राजघाट पर बनने वाली महात्मा गांधी की समाधि का रूपांकन (डिज़ाइन) स्वीकार कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस समय निश्चयात्मक रूप से कुछ कहना कठिन है । नये रूपांकनों (डिज़ाइन्स) की मांग की गई है और आशा की जाती है कि ये सितम्बर के अन्त तक आ जायेंगे । उसके पश्चात् सरकार उन पर जितनी जल्दी हो सकेगा, विचार करेगी ।

रेशम कृमि-पालन

*२०६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष किसी राज्य को रेशम कृमि-पालन के विकासार्थ कोई अनुदान दिया है;

(ख) यदि दिया है तो किन किन राज्य को; तथा

(ग) प्रत्येक राज्य को दिये गये अनुदानों की कुल राशि क्या है ?

उत्पादन मंत्री (श्री सी० रेड्डी) के (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) मैसूर ।

(ग) ३.५५ लाख रुपया ।

सामान क्रय समिति (स्टोर्स परचेज़ कमेटी

*२०७. { **श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
श्री गिडवानी :
श्री पी० एन० राजभोज
श्री विश्वनाथ रेड्डी : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री : २१ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १२३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान क्रय समिति (स्टोर्स परचेज़ कमेटी) ने, जिसे केन्द्रीय क्रय संगठन

के कार्य की जांच के लिये नियुक्त किया गया था, अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति की रिपोर्ट की प्रतियां सभा के पुस्तकालय में रख दी गई हैं । उनकी मुख्य सिफ़ारिशों का सारांश रिपोर्ट के अध्याय १५ में दिया हुआ है ।

छोटे पैमाने के उद्योग

*२०८. { **श्री नानादास** :
श्री गोपाल राव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के निमित्त १९५५-५६ के अन्दर कुछ अधिक सहायता की मंजूरी दी है;

(ख) इस सहायता द्वारा किन किन उद्योगों की सहायता करने का विचार किया गया है; और

(ग) राज्यवार प्रत्येक उद्योग को कितनी राशि मंजूर की गई है ?

वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५०**]

उत्तर-पूर्व सीमा अभिकरण

*२०९. { **पंडित डी० एन० तिवारी** :
श्री राघवय्या :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा राष्ट्रीय परिषद् द्वारा किये गये आन्दोलन की कार्यवाहियों ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया है;

(ख) मार्च १९५५ से लेकर अब तक आदिम जातियों के और सेना के कितने व्यक्ति मारे गये हैं; और

(ग) कितने व्यक्ति गिरिफ्तार किये गये हैं और कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी, हां । वहां हिंसात्मक कार्यवाहियों की कुछ घटनायें हुई हैं।

(ख) तथा (ग). जानकारी मंगवाई गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

लिगनाइट का खनन

*२१०. { **श्री टी० बी० विट्ठल** :
डा० रामा राव राव :

क्या **उत्पादन** मंत्री २९ मार्च, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १६४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण अर्काट में लिगनाइट के खनन और शोधण सम्बन्धी परियोजना का प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके प्राप्त होने की कब सम्भावना है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) अप्रैल, १९५६ तक ।

सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

***२११. श्री तुषार चटर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की वित्तीय सहायता के साथ मालिकों द्वारा किस मात्रा तक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना कार्यान्वित की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५१]**

बिजली के सामान का भारी संयंत्र

***२१२. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **उत्पादन** मंत्री २७ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २६४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के बड़े माल के लिये प्रस्तावित सरकारी फैक्ट्री लगाने के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जांच के लिये कोई शिल्पिक सलाहकार नियुक्त किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

सेवा नियोजन सर्वेक्षण

*२१३. { **श्री डी० सी० शर्मा** : **श्री झूलन सिंह** :

क्या **योजना** मंत्री २५ फरवरी, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जो सेवा नियोजन सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया गया था, क्या वह पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भवन निर्माण प्रशिक्षण की प्रारम्भिक योजना

*२१४. { **श्री एस० एन० दास** : **श्री विभूति मिश्र** :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भवन निर्माण प्रशिक्षण की प्रारम्भिक योजना के अधीन अब तक कितने प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा चुके हैं;

(ख) ये केन्द्र किन किन स्थानों पर खोले गये हैं; और

(ग) इस समय कितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) दो ।

(ख) (१) नई दिल्ली और (२) सरोजनी नगर (लखनऊ) ।

(ग) जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५२]**

हिन्दी में संधियां तथा करार

***२१५. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भविष्य में विदेशों से जो

सन्धियां अथवा करार होंगे उनका प्रारूप हिन्दी में भी तैयार होगा ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : कुछ समय हुआ, सरकार ने यह निश्चय किया था कि जहां तक हो सके, सन्धि का एक सरकारी रूप हिन्दी में भी होना चाहिये । इसका प्रयोग अबतक कई बार किया जा चुका है । कुछ खास कठिनाइयों की वजह से कभी कभी, खास तौर पर विदेशों में इस पर अमल करना सम्भव नहीं हो सका है । लेकिन भविष्य में इन कठिनाइयों के कम होने की आशा है । आम तौर पर सन्धि के तीन अलग अलग सरकारी रूप होते हैं, एक हिन्दी में, दूसरा अन्य देश की भाषा में और तीसरा अंग्रेजी में । ये सब रूप एक समान लागू होते हैं

हीराकुड बांध परियोजना

*२१६. **श्री बर्मन** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुंड बांध परियोजना में १९५५ की मौनसून ऋतु के अन्दर कोई ऐसी भूमि जलमग्न हो गई है, जहां लोग बसते हों;

(ख) उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं; और

(ग) उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). १९५५ की मौनसून ऋतु के अन्दर अभी तक कोई बस्ती वाली भूमि जलमग्न नहीं हुई है । तथापि, ४६ गांवों के जलमग्न होने की संभावना है । इन गांवों के २०,००० लोगों को वहां से निकाल लिया गया है ।

(ग) लोगों को अपने इच्छित पुनर्वास के स्थानों पर अपने निजी सामान आदि के साथ जाने के लिये निश्शुल्क परिवहन सुविधाएं प्रदान की गई हैं । किसानों के तीन सौ परिवारों और दो सौ खेती करने वाले मजदूरों के परिवारों के लिये सुधारे गये सरकारी क्षेत्रों में तीन सौ मकान बना दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त आमुक्त स्थानों पर अस्थायी रूप से ठहरने के लिये ५ संक्रमणकालीन शिविर खोले गये थे ।

जहाज निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण

७४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **उत्पादन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाज निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अभी तक कितने भारतीय विदेश भेजे जा चुके हैं;

(ख) उन पर कितना परिव्यय हुआ है; और

(ग) उनको किन किन देशों में भेजा गया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) ३६ निम्न प्रकार से ।

(१) सिन्धिया वाष्प नौवहन समवाय सीमति द्वारा भेजे गये---१९ ।

(२) हिन्दुस्तान शिपयार्ड (सीमित) द्वारा भेजे गये---१० और

(३) केन्द्रीय सरकार द्वारा (जहाज निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये सेवाओं द्वारा विदेश रक्षा में भेजे गये व्यक्तियों को छोड़ते हुए)---७ ।

(ख) सिन्धिया वाष्प नौवहन समवाय सीमित द्वारा भेजे गये १९ प्रशिक्षणार्थियों पर होने वाले परिव्यय का पता नहीं है । हिन्दुस्तान शिपयार्ड सीमित ने, सरकार द्वारा शिपयार्ड लिये जाने के पश्चात्, एक बैल्डर फोरमैन के प्रशिक्षण पर अब तक ३,४६२ रुपये १२ आने खर्च किये हैं । शेष ९ प्रशिक्ष-

णार्थियों सम्बन्धी परिव्यय उनके भारत लौट आने के पश्चात् ही जाना जा सकता है। सरकार द्वारा भेजे गये ७ प्रशिक्षणार्थियों के विषय में यह बात है कि अभी तक उनमें से ५ प्रशिक्षणार्थियों पर ७०,७७५ रुपये ८ आने ७ पाई खर्च हुए हैं।

शेष दो में से १ का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है किन्तु उस पर जो परिव्यय हुआ है वह अभी उपलब्ध नहीं हुआ है और इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरे प्रशिक्षणार्थी का जब तक प्रशिक्षण समाप्त नहीं हो जाता, तब तक उस पर होने वाले परिव्यय का लेखा नहीं दिया जा सकता।

(ग) ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमरीका।

इण्डिया स्टोर्स डिपार्टमेंट (भारत भण्डार विभाग), लन्दन

७५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत भण्डार विभाग, लन्दन में कुल कितने अफसर हैं और १९५४ के अन्दर उन्होंने कुल कितनी राशि का सामान खरीदा है; और

(ख) क्या वह विभाग अपने सौदों के सम्बन्ध में सरकार से पहले अनुमोदन प्राप्त करता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) वहां कुल ५३१ कर्मचारी हैं, जिनमें ११७ गज़टिड अफसर हैं। १९५४ में ३८ करोड़ रुपये का माल खरीदा गया था।

(ख) भारत भण्डार विभाग के अधिकारियों को एक निश्चित मात्रा तक, जहां आवश्यक हो वहां उच्च आयोग के वित्तीय परामर्शदाता के परामर्श के साथ, माल खरीदने की शक्तियां दी गई हैं। उस मात्रा से अधिक राशि का माल खरीदने के लिये सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। शक्तियों के वर्तमान प्रत्यायोजन को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५३]**

छोटे उद्योग

७६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जाने वाले या सहायता प्राप्त विविध संस्थाओं के क्या नाम हैं;

(ख) १९५४ में राज्य भर में कितने अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया था; और

(ग) उन पर कितना व्यय हुआ था ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पेनिसिलीन

७७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में पेनिसिलीन तैयार होती है; और

(ख) क्या यह गुण प्रकार में आयात की गई पेनिसिलीन जैसी ही होती है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) अभी हाल में ही राजकीय पेनिसिलीन फैक्ट्री ने बड़ी मात्रा में पेनिसिलीन तयार करना आरम्भ किया है, और पिछले चार महीनों के अन्दर इसने लगभग १० लाख पेगा यूनिट पेनिसिलीन तैयार की है।

(ख) हां, श्रीमान्।

चाय का निर्यात

७८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चाय के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : चाय के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये विदेशों में प्रचार ही मुख्य कार्यवाही है जो सरकार ने की है और करना चाहती है ।

सामुदायिक परियोजनायें

७९. **डा० सत्यवादी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में सामुदायिक परियोजना पर आरम्भ से अब तक प्रति वर्ष अनुमानतः कितना व्यय हुआ है; और

(ख) आगामी वर्ष के लिये कितना धन निश्चित किया गया है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) :

(क)

१९५२–५३ . .	०.८५ लाख रु०
१९५३–५४ . .	२.४२ लाख रु०
१९५४–५५ . .	२.३६ लाख रु०

(ख) आगामी वर्ष के सम्बन्ध में आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं । वार्षिक व्यय राशि राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाती है और यह १९५६–५७ का बजट तैयार होने पर उसमें सम्मिलित की जायेगी ।

अल्प-आय वर्ग गृह-निर्माण योजना

८०. **श्री बाल्मीकी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्प-आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अधीन स्थानीय निकायों को (राज्यवार) ऋण सहायता के रूप में अब तक कितना धन स्वीकृत हुआ है; और

(ख) मेहतरों तथा सफाई करने वालों की आवास आवश्यकता का कहां तक ध्यान रखा जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) स्थानीय निकायों को ऋण देने के लिये राज्य सरकारों को विशेष रक़मों की मन्जूरी नहीं दी गई हैं । यदि कोई राज्य सरकार चाहे तो वह केन्द्रीय सरकार से कर्ज़ में मिली हुई रक़म का चौथाई भाग तक स्थानीय निकायों को कर्ज़ दे सकती है । सभा की मेज़ पर एक विवरण रखा हुआ है जिससे यह मालूम होगा कि अब तक २४ राज्य सरकारों के लिये कितने कर्ज़ की मन्जूरी दी गई और उसमें से वे कितनी रक़म स्थानीय निकायों को कर्ज़ देना चाहती हैं । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५४**]

(ख) स्थानीय निकायें जब योजना के अनुसार अपने कम आमदनी वाले कर्मचारियों के लिये मकान बनायेंगी तो ये निस्सन्देह मेहतरों तथा सफ़ाई करने वालों की आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगी ।

अम्बर चर्खा

८१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड "अम्बर चर्खा" चालू करना चाहता है; और

(ख) यदि हां, तो साधारण चर्खे की अपेक्षा इसकी क्या विशेषतायें हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५५**]

वस्त्र निर्यात

८२. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार समझौतों के अधीन १९५४ में खाद्य और अन्य सारभूत पदार्थ क्रय करने के लिये तथा अन्य कारणोंवश मिलों तथा हाथ का बना कितना-कितना वस्त्र निर्यात किया गया; और

(ख) उपर्युक्त काल में कुल कितनी मात्रा निर्यात करने का वचन दिया गया था ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). १९५४ में भारत सरकार के कुछ व्यापारिक करारों में अन्यान्य विषयों में भारत से कपड़ा निर्यात करने और कुछ खाद्यान्नों तथा अन्य सारभूत पदार्थों का आयात करने की व्यवस्था की गई थी । कपड़े की निर्यात मात्रा के सम्बन्ध में अदला-बदली जैसे किसी निश्चित करार के लिये वचन नहीं दिया गया था । १९५४ में इन देशों को मिल और हाथ का बना कुल १० करोड़ ६० लाख गज़ सूती कपड़ा निर्यात किया गया था ।

मशीन औज़ार

८३. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री देश में १९५४ और १९४७ में मशीन औज़ारों के उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े बताने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५६**]

सामुदायिक परियोजनायें

८४. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र राज्य में दो सामुदायिक परियोजनाओं के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है और उसने अब तक वास्तव में कितनी राशि व्यय की है;

(ख) क्या कार्य निर्धारित क्रम के अनुसार चल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) चार वर्षों के लिये स्वीकृत की गई राशि १३० लाख रुपया है और ३१-३-१९५५ तक ३०.६ लाख रुपया व्यय किया गया है ।

(ख) और (ग). प्रगति काफी सन्तोषजनक समझी जाती है ।

भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां

८५. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों के आयात एवं निर्यात की मात्रा क्रमशः १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में क्या रही ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :

वर्ष	आयात	निर्यात
१९५३–५४	१३,०५६ टन	८,६९५ टन
१९५४–५५	१३,४५१ टन	८,०७० टन

विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर

८६. **श्री बी० के० दास** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे विस्थापित व्यक्ति भी हैं जो प्रतिकर योजना के तो बाहर हैं किन्तु जिनके निर्वाह भत्ते अभी जारी रहेंगे; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उनके मामलों में कितनी प्राक्कलित वार्षिक राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इस्पात समकारी निधि

८७. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात समकारी निधी की स्थापना कब हुई थी;

(ख) इस निधि में कुल कितना धन जमा है; और

(ग) १९५१–५२, १९५२–५३, १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में इस निधि में जमा किये गये तथा खर्च किये गये धन का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) (क) १ फरवरी, १९४३ ।

(ख) ४६,१४,६५,८१५ रु० ३१ मार्च, १९५५ तक ।

(ग) एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५७]

आकाशवाणी की पत्रिकायें

८८. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में कोई विज्ञापन छपते हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक से औसतन मासिक आय क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बी० वी० केसकर) : (क) जी, हां—अखिल भारतीय रेडियो के देशी कार्यक्रम पत्रिकाओं में विज्ञापन छपते हैं ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के मेज पर रख दी जायेगी ।

आवास योजनायें

८९. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में आवास की भिन्न-भिन्न श्रेणियों पर व्यय करने के लिये कुल कितनी राशि की व्यवस्था की गई है;

(ख) इस मद पर अब तक व्यय की गई कुल राशि क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये रखी गई राशि को व्ययगत होने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में आवास योजनाओं के लिये कुल ३८.५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । योजना में आवास की विभिन्न श्रेणियों पर व्यय की जाने वाली राशियों का कोई उल्लेख नहीं है ।

(ख) जून, १९५५ के अन्त तक स्वीकृत राशि ३९ करोड़ रुपये से अधिक है । परन्तु वास्तव में १२.१ करोड़ रुपये दिये गये हैं क्योंकि राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास तथा अल्प-आय वर्ग आवास योजनाओं के अधीन भुगतान निर्माण की प्रगति के अनुसार किया जाता है ।

(ग) राज्य सरकारों से अपने अपने आवास कार्यक्रमों को यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के लिये कहा गया है जिससे कि स्वीकृत राशि का यथासम्भव अधिक से अधिक अंश (अधिक से अधिक ३८.५ करोड़ रुपया तक) मार्च, १९५६ के अन्त से पहले राज्य सरकारों को दिया जा सके और उनके द्वारा उसका उपयोग किया जा सके ।

कुटीर तथा दस्तकारी उद्योग

९०. **श्री लक्ष्मीधर जेना : क्या उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुटीर तथा दस्तकारी उद्योगों के विकास के लिये विभिन्न राज्यों को १९५२–५३ से १९५५–५६ तक कितना धन अनुदान तथा ऋण के रूप में अब तक दिया गया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : जहां तक रेशम, दस्तकारी, खादी तथा ग्रामोद्योग का सम्बन्ध है एक विवरण सभा की टेबल पर रखा जा रहा है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५८]

नीलोखेड़ी उपनगर

९१. **श्री डी० सी० शर्मा:** क्या **पुनर्वास मंत्री** सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) नीलोखेड़ी उपनगर के निवासियों की संख्या;

(ख) उपनगर के निर्माण की आरम्भिक लागत; और

(ग) इस उपनगर को चलाने पर १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ में किया गया व्यय ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) ६,३१५ ।

(ख) ४५,४९,५९४ रुपये ।

(ग) १९५२–५३ . . ६,९६,३७७ रुपये
१९५३–५४ . . २,४९,०९३ रुपये
१९५४–५५ . १,०४,४९९ रुपये

लोक-सभा

वाद - विवाद

गुरुवार,
२८ जुलाई, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ५, १९५५

(२५ जुलाई से १३ अगस्त, १९५५)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

दशम सत्र, १९५५

(खंड [illegible] में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

Preservation Date 9.4.9
Fumigated On 11.11.83
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

	स्तम्भ
अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
उत्तर प्रदेश में बाढ़ें	१–३
श्री एन० एम० जोशी तथा श्री पतिराम राय का निधन	३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३–४
सभा पटल पर रखे गये गये पत्र—	
भारतीय विमान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम	४–५
नवम सत्र की समाप्ति पर प्रख्यापित अध्यादेश	५–६
सरकार द्वारा आश्वासनों, आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण	६–७
प्रथम साधारण निर्वाचन का प्रतिवेदन, खण्ड २	७
भारतीय आय कर अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की प्रगति का विवरण	७
सोदपुर ग्लास वर्कस सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय का संकल्प	८
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधि-सूचनायें	८
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें	९
पुनर्वास वित्त प्रशासन के विवरण और प्रतिवेदन	९–१०
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१०
गोआ की स्थिति	१०–२०
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२०
अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२०–२१
हिन्दु उत्तराधिकार विधेयक—संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत	२१–१०७
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१०७–१२८
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
त्रावनकोर खनिज व्यापार-संस्था, चवारा में हड़ताल	१२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन—	
(१) इस्पात का प्रतिधारण मूल्य निश्चित करने के लिये कोयला खान खण्ड मानने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१

	स्तम्भ
(२) कैलशियम क्लोराइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१
(३) सोडा ऐश उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में ;	१२९–१३१
(४) टिटेनियम डायक्साइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में; और	१२९–१३१
(५) हाइड्रोकुनीन उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१३१
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१३२
सदस्य द्वारा पदत्याग	१३२
समय के बंटवारे का आदेश—चर्चा असमाप्त	१३२–१३४
सभा का कार्य	१३४–१३५
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति	१३४–१४६
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पारित.	
विचार करने का प्रस्ताव—	१४६–१७०
खण्ड २ और १,	१७०–१७१
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७१–१७३
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक .	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१७३–१७७
श्री ए० सी० गुह	१७३–१७७
गोआ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—समाप्त	१७७–२३६
अंक ३—बुद्धवार, २७ जुलाई, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश	२३७–२३८
संख्या २४ से २६	
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास)	
अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें	२३८–२३९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२३९
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक.	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	२४०–३२६
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
सभा—पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क रियायतों का विश्लेषण	
विवरण	३२७

स्तम्भ

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

दसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ३२७–३२८

स्थगन प्रस्ताव—

महावीर जूट मिल्स लिमिटेड, गोरखपुर . ३२८–३२९

समय के बंटवारे का आदेश . ३२९–३४१

सभा का कार्य ३४२–३८१

औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक—

खण्ड २ से ६ ३४३

खण्ड ७ ३४३–३५१

खण्ड ८ से १५ ३५६–३५९

खण्ड १६ ३५९–३६१, ३७०

खण्ड १७ से २३ ३६२–३७०

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ३७०–३८१

भारतीय टंकन संशोधन विधेयक ३८१–४२०

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त ३८१–३९४

अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५

सभा–पटल पर रखे गये पत्र—

अनुदानों की मांगों (रेलवे) १९५५–५६, के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . . ४२१

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ४२१–४२२

भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ४२२–४३१

खण्ड २ ४३१–४५०

खण्ड १ ४५०–४५१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—

स्वीकृत . . ४५१

भू–सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ४५१–४६५

खण्ड २ और १ ४६५

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ४६५

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . ४६५–४६७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . ४६८

केन्द्रीय कृषि वित्त निगम के बारे में संकल्प—

वापस लिया गया ४६८–४९८

स्तम्भ

वतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प——
असमाप्त ४६८–५१०

अंक ६——सोमवार, १ अगस्त, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र——
१९५५–५६ के लिये एयर–इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के आय तथा व्यय के आयव्ययक प्राकलनों का सारांश ५११
बीमा अधिनियम, १९३८ के अन्तर्गत अधिसूचना . ५११–५१२
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) आध्यादेश प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण . . ५२४–५२५
अनुपस्थिति की अनुमति ५१२
समिति के लिये निर्वाचन——
लोक लेखा समिति ५१२–५१३
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५२——
वापस लिया गया ५१३–५१४
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५५——
पुरःस्थापित . . . .
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित . . ५१४
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक——राज्य–सभा को भेजने के बारे में अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य . . . ५१५
मद्यसारिक उत्पाद (अंतर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) संशोधन विधेयक—— ५१५–५७०
विचार करने का प्रस्ताव——स्वीकृत
खंड २ से १४ तथा १ ५३६–५६९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव——स्वीकृत ५७०
बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) विधेयक——
विचार करने का प्रस्ताव——पारित ५७०–५९५
खंड २ से १० तथा १ . . . ५९२–५९९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव——
स्वीकृत . ६००–६०२

अंक ७——मंगलवार, २ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव——
पुर्तगाली पुलिस द्वारा अमानुषिक अत्याचार . . . ६०३–६०४
संसद् भवन की सीमा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग ६०४–६०६
एयर-इंडिया इंटरनेशनल विमान के दक्षिण चीन सागर में गिरने के बारे में वक्तव्य ६०६–६०९

	स्तम्भ
उत्तर प्रदेश में बाढ़ों के बारे में वक्तव्य . . .	६०६–६१२
दिल्ली जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक— .	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	६१२–६१७
खण्ड २ से ६ और १	६३७
संशोधित रूप में पारित .	६३७–६३८, ६६१
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त	६३८–६६१, ६६१–६८६

अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघटन के अभिसमय संख्या ५ के अनुसमर्थन के बारे में वक्तव्य	६८७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बत्तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	६८७
पुर्तगाली पुलिस द्वारा सत्याग्रहियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में वक्तव्य	६८८–६८९
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	६८९
लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक	
विधेयक—पुरःस्थापित .	६८९–६९०
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त	६९०–७६०

अंक ९— गुरुवार, ४ अगस्त, १९५५

गोआ की सीमा पर घटनाओं के बारे में वक्तव्य	७६१–७६३
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक—	
पुरःस्थापित	७६३
सभा—पटल पर रखा गया पत्र—	
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन	
अध्यादेश, १९५५ के प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण	७६३
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन)	
विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपा गया	७६३–८१८
श्री पाटस्कर	७६३–८१७
दरगाह ख्वाजा साहब विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	८१९–८५१
खण्ड २ से २२ और १	८५१–८८१

स्तम्भ

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत ८८१-८८३

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत ८८४-८९६

अंक १०--शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति--

बाईसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित ८९७

विधि आयोग के बारे में वक्तव्य ८९७-९००

भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक--

खण्ड २ से ३ और १ ९००-९०१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत ९०१-९०५

नागरिकता विधेयक--

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--

असमाप्त ९०५-९३६

तीसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत . ९३६-९४१

बत्तीसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत . ९४१

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ४२९ का संशोधन)--पुरःस्थापित ९४१-९४२

बाल विवाह रोक (संशोधन) . .

विधेयक (धारा १२ का संशोधन)--पुरःस्थापित ९४२

कारखाना (संशोधन) विधेयक

(धारा ५९ के स्थान पर नई धारा रखना)--पुरःस्थापित . ९४२-९४३, ९५८-९५९

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ४३५ का संशोधन)--

विचार करने का प्रस्ताव--वाद-विवाद

स्थगित ९४३-९४७

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (नई धारा २० क का रखा जाना)

वापस लिया गया ९४७-९५८

कर्मकर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (नई धारा ३क का रखा जाना)

पुरःस्थापित . . . ९५९

बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक--

(धारा २ और ४ का संशोधन)--

पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव--प्रस्तुत नहीं किया गया ९५९

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक (धारा १७ का

स्तम्भ

संशोधन) विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . ९६२–९७२

भारतीय वयस्कता (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन)—

विचार करने का प्रस्ताव—वापिस लिया गया . ९७२–९७९

विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक—.

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त ९८०

अंक ११—सोमवार, ८ अगस्त, १९५५

सभा पटल पर रखा गया पत्र—

रक्षित तथा सहायक वायु सेना

अधिनियम के नियमों में संशोधन ९८१

कार्य मंत्रणा समिति— . .

बाईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . ९८१

नागरिकता विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—

असमाप्त ९८२–१०४८

अंक १२—मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र— . . . .

सान के पत्थर के उद्योग आदि को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में

प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन १०४९–१०५०

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण १०५०–१०५१

नागरिकता विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . १०५२–११००

औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ११००–११२९

खण्ड २ और ३ और १ . . . . ११२९–११३०

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ११२९–११३२

समवाय विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . ११३२–११३४

अंक १३—बुधवार, १० अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

नकली रेशम और सूत एवं नकली रेशम मिश्रित रेशा उद्योग आदि को

संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन ११३५–११३६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तेतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ११३६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कलकत्ता पत्तन पर जहाजों से माल उतारने और माल लादने वाले मज-

दूरों का 'धीरे काम करो' आन्दोलन ११३६–११३८

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त ११३८–१२१०

स्तम्भ

अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश में बाढ़ें १२११–१२१३

अपहृत व्यक्ति (पुनःप्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—

पुरःस्थापित . . . १२१३

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १२१४–१२४४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तेतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . १२४४–१२४५

वेतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . १२४५–१२८६

वैदेशिक व्यापार पर राज्य एकाधिकार के बारे में संकल्प—असमाप्त १२८७–१२८८

अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १२८९–१३४२

अनुक्रमणिका १–८

लोक-सभा

गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये—भाग १)

---

१२ मध्याह्न

पटल पर रखा गया पत्र

प्रशुल्क रियायतों का विश्लेषण-विवरण

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं भारत द्वारा अन्य संविदाकारी पक्षों को दी गई प्रशुल्क रियायतों के जुलाई, १९५५ के विश्लेषण-विवरण की एक प्रति पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस० २२४/५५].

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

दसवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : क्या पिछले प्रतिवेदन के बाद से इस सम्बन्ध में स्थिति सुधरी है ?

अध्यक्ष महोदय : इस सभा के सामने जो विभिन्न मामले आते हैं हम उन्हें निबटाने का भरसक प्रयत्न करते हैं और इस सम्बन्ध में ठीक ठीक स्थिति जानना कुछ वर्षों के बाद ही सम्भव हो सकेगा । अब तक सदस्यों के प्रार्थना पत्र आते रहे हैं और शिष्टाचार के नाते सभा यह मानती आई है कि अनुपस्थिति की अनुमति दे दी जानी चाहिये । इसलिये एक समिति बनाई गई जो प्रत्येक प्रार्थना पर विचार करती है और सिफारिश करती है, समिति लगभग दो वर्ष से काम कर रही है और यह जानना बहुत आसान है कि प्रस्तुत स्थिति क्या है ।

स्थगन प्रस्ताव

महाबीर जूट मिल्स लिमिटिड, गोरखपुर

श्री एस० एल० सक्सेना (जिला गोरखपुर—उत्तर) : मैं ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : यह स्पष्ट है कि यह प्रस्ताव ग्राह्य नहीं है । प्रस्ताव बड़ा लम्बा वक्तव्य सा है । इस में कई बातें बताई गई हैं जिन के ठीक होने के सम्बन्ध में किसी को पता नहीं । प्रस्ताव में जो कुछ कहा गया है उस की भाषा में सावधानी नहीं है । हम यह नहीं जानते कि जो कुछ कहा गया है,

[अध्यक्ष महोदय]

वह ठीक है या नहीं । इसलिये इसे मैं सिर्फ इस आधार पर अस्वीकार करता हूं कि यह राज्य का विषय है और केन्द्र के उत्तरदायित्व से इस का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

समय के बंटवारे का आदेश

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री सत्य नारायण सिंह द्वारा २६ जुलाई, १९५५ को प्रस्तुत प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :

> "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सरकारी विधान कार्य और अन्य कार्य के सम्बन्ध में प्रस्थापित समय के बंटवारे से सहमत है, जिस की घोषणा उपाध्यक्ष महोदय ने २६ जुलाई, १९५५ को की थी ।"

इस सम्बन्ध में भी मेरा विचार है कि या तो गलतफहमी हो रही है और या स्थिति को उचित रूप में नहीं समझा जा रहा । सभा को मालूम है कि उसे कुछ कार्य करना है और इसलिये यह सोचना है कि सब से अच्छा समय का बंटवारा कौन सा होगा । इस के लिये कार्य मंत्रणा समिति बनाई गई थी जिस में सभा के सभी दलों के प्रतिनिधि हैं । यह समिति प्रत्येक विधान कार्य के महत्व पर विचार करती है और तब निश्चय करती है कि किस कार्य के लिये कितना समय देना चाहिये । उस के सभी निर्णय एकमत से होते हैं इस बात का भरसक प्रयत्न किया जाता है कि समय के बंटवारे के प्रश्न पर मतैक्य रहे क्योंकि समिति सदस्यों द्वारा भाषण दिये जाने या संशोधन रख जाने के अधिकार को कम नहीं करना चाहती । उसके बाद यह प्रस्ताव सभा के सामने आता है । इस में सन्देह नहीं कि सदस्यों को किसी भी विषय पर बोलने का अधिकार है जो नियम ३७ में माना गया है परन्तु संसद् का कार्य उचित ढंग से और कुशलता से हो—इस के लिये यह आवश्यक है कि रूढ़ि के रूप में इस अधिकार को सीमित किया जाय । इसलिये ऐसे प्रस्ताव औपचारिक प्रस्ताव ही समझे जाते हैं क्योंकि समिति में सभा के सारे भाग या दल हैं और समिति सभी दृष्टिकोणों पर विचार कर के निर्णय करती है । मैं यह नहीं कहता कि सदस्यों को संशोधन रखने का अधिकार नहीं है । इसीलिये नियम ३७ में यह उपबन्ध भी है कि किसी सदस्य का भाषण ५ मिनट से अधिक न हो और चर्चा आधे घंटे से अधिक देर तक न चले । श्री कामत और एक अन्य सदस्य संशोधन रखना चाहते हैं जिन में कहा गया है कि नियत समय बढ़ाया जाय । माननीय सदस्य को संशोधन रखने का पूरा पूरा अधिकार है परन्तु मैं तो व्यावहारिक कठिनाइयां बता रहा हूं । सभा चाहे तो समय बढ़ा सकती है ; मैं तो यह बताने की चेष्टा कर रहा हूं कि यह समिति कैसे बनी और इसका उद्देश्य क्या है । मैं सभा के सामने यह सुझाव रख रहा हूं कि यह इस देश की पहली संसद् है और रूढ़ियां स्थापित कर रही है जिन का वह पालन करेगी । कुछ रूढ़ियां होनी चाहियें और इस प्रकार के संशोधन इस ढंग से नहीं रखे जाने चाहियें । रूढ़ि बन जाने से हमें सुभीता होगा जैसाकि विनियोग विधेयकों के सम्बन्ध में होता है । सदस्य का इस विधेयक पर बोलने का अधिकार तो हम मानते हैं परन्तु रूढ़ि यह है कि उस पर कोई भाषण नहीं देता और वह विधेयक दो तीन मिनट में पास हो जाता है ।

इस मामले का एक और पहलू भी है । वह यह है कि यदि सभा महसूस करे कि किसी कार्य पर और समय की जरूरत है तो समय बढ़ा दिया जाता है । प्रशुल्क

(संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में हमें और ही अनुभव हुआ। उस के लिय समिति ने ३ घंटे का समय नियत किया था परन्तु वह मामला डेढ़ घंटे में ही निबट गया। इस से मालूम हो जाता है कि समिति कैसे काम कर रही है। उस का विचार किसी को बोलने से रोकना नहीं है बल्कि यह है कि सभा का कार्य निबटने में सहायता मिले। पिछले सत्र में भी एक विधेयक के लिये पांच घंटे का समय रखा गया था परन्तु वह २ घंटे में ही समाप्त हो गया क्योंकि उस पर बोलने वाला कोई था ही नहीं। हम चाहते हैं कि ऐसी रूढ़ि बन जाय जिस के अनुसार सदस्य परस्पर किसी कार्यक्रम पर सहमत हो जायें और यदि आवश्यक हो तो अपने अधिकारों का कम किया जाना मान लें। अब मैं प्रस्ताव रखूंगा . . . . . .

श्री कामत (होशंगाबाद) : आप के निर्णय के प्रति आदर सहित मैं ......

अध्यक्ष महोदय : आप अपना संशोधन रख सकते हैं। आप को पांच मिनट मिलेंगे।

श्री कामत : मेरा संशोधन यह है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित रूपभेद किये जायें :

(१) भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक के लिये '३ घंटे' के स्थान पर, '५ घंटे'।

(२) अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक के लिये '३ घंटे' के स्थान पर '५ घंटे'।

(३) मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक के लिये '३ घंटे' के स्थान पर '५ घंटे'।

(४) व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव) के लिये '१० घंटे' के स्थान पर '१५ घंटे'।

(५) नागरिकता विधयक (प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव) के लिये '१० घंटे' के स्थान पर '१५ घंटे'।

(६) समवाय विधेयक (केवल सामान्य चर्चा के लिये) के लिये '२५ घंटे' के स्थान पर '४० घंटे' ; और

(७) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के, ३१ दिसम्बर, १९५३ और ३१ दिसम्बर, १९५४ के समाप्त होने वाले वर्षों के प्रतिवेदनों पर चर्चा के लिये '१० घंटे' के स्थान पर '२० घंटे'।

कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय के प्रति आदर सहित मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समिति भी गलती कर सकती है। श्रीमान्, आप ने जो कहा कि किसी विधेयक के लिये समय सभा में अधिकतर सदस्यों की राय से बढ़ाया जा सकता है, उस से इस संशोधन का आधार बहुत कुछ समाप्त हो गया है, मेरा विचार है कि नागरिकता विधेयक और समवाय विधेयक बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन के लिये समिति ने बहुत कम समय रखा है। मुझे याद है कि पिछली संसद में इस प्रकार समय नियत नहीं किया जाता था। यदि चर्चा बहुत लम्बी हो जाती थी तो समापन प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जाता था। मैं ने देखा है कि 'हाउस आफ कामन्ज़' में सदस्यों के भाषणों के लिये समय सीमा नहीं है जैसीकि इस सभा में है। मेरे विचार में यह ठीक नहीं है और यह सीमा नहीं रहनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि कार्य मंत्रणा समिति के प्रस्तावों पर भी सामान्य प्रस्तावों की तरह विचार किया जाय। यह तो मैं मानता हूं कि यह आवश्यक नहीं कि सभा सदा उस प्रस्ताव में परिवर्तन ही करे परन्तु ऐसी स्थिति हो सकती है जिस में उस प्रस्ताव में परिवर्तन करना आवश्यक हो।

[श्री कामत]

मैं इस बात पर ज़ोर नहीं देता कि मैं ने जिन परिवर्तनों का सुझाव दिया है उन सभी को स्वीकार कर लिया जाय परन्तु मैं यह अवश्य चाहता हूं कि नागरिकता विधेयक और समवाय विधेयक के लिये समय बढ़ा दिया जाय। मैं ने जितना समय बढ़ाने की मांग की है उस से अधिक से अधिक चार दिन का अन्तर पड़ेगा। पहले भी हम अधिक देर तक बैठते रहे हैं और शनिवार को भी सभा की बैठक होती रही है। इसलिये इस पूरे संशोधन को या कम से कम इस के नागरिकता विधेयक और समवाय विधेयक सम्बन्धी भाग को स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर ले।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री एम० ए० आय्यंगार (तिरुपति) : श्री कामत ने और सब कुछ कहा, केवल यही नहीं कहा कि ईश्वर एक दिन के ३० घंटे बना दे। वे पुरानी बातें करते हैं। उस समय यह समिति नहीं बनी थी और न ही इस सम्बन्ध में नियम बने थे। यह संशोधन प्रस्तुत करके वे नियमों पर आपत्ति नहीं कर सकते। नियमों का पालन तो उन्हें करना ही पड़ेगा। जब समिति किसी विधेयक पर विचार के लिये कोई विशेष समय निश्चित करती है तो भाषणों को सीमित करना आवश्यक हो जाता है। हम ने इस बात पर कभी ज़ोर नहीं दिया कि २० मिनट की सीमा का पूरी तरह पालन किया जाय। कल औद्योगिक वित्त निगम पर चर्चा के लिये ५ घंटे नियत किये थे परन्तु अधिकतर सदस्य एक दूसरे की युक्तियां दोहराते रहे। एक सदस्य को मैं ने ३५ मिनट तक बोलने दिया और दूसरे को ४० मिनट तक।

कार्य मंत्रणा समिति में सभी दलों के प्रतिनिधि हैं और कुछ अन्य सदस्यों को भी समिति की बैठक में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया गया था। मैं अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में समिति का सभापति था और मैं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी सदस्य जो जी चाहे सुझाव दे परन्तु समिति में उस के स्वीकार हो जाने पर उसे उस निर्णय का समर्थन करना पड़ेगा। समिति में जो भी सदस्य थे उन्हें चाहियें कि उस द्वारा बांटे गये समय का समर्थन करे। अन्यथा उन का समिति का सदस्य होना निरर्थक है।

जहां तक नागरिकता विधेयक का सम्बन्ध है, संसद-कार्य मंत्री ने उस के लिये पहले १५ घंट का समय रखने का सुझाव दिया था। उस का आधार यह था कि विधेयक के सभी प्रक्रमों पर यहीं विचार होगा। परन्तु इस के महत्व को देखते हुए हम सभी ने एकमत हो कर यह सुझाव दिया कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। उस अवस्था में १५ घंटे का समय अधिक होगा। इसलिये फिर उस के लिये १० घंटे का समय रखने का निर्णय किया गया।

हमें समितियों की बैठकों में भी जाना पड़ता है, इसलिये बैठक का समय बढ़ाते रहना ठीक नहीं है। मैं सभा के प्रत्येक सदस्य से कहूंगा कि मैं या अध्यक्ष महोदय जल्दबाजी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सभा के प्रत्येक भाग को और प्रत्येक सदस्य को वाद विवाद में भाग लेने का पूरा पूरा अवसर मिले। मैं सभा से प्रार्थना करूंगा कि वह प्रस्ताव को मल रूप में स्वीकार करे और माननीय सदस्य का एक भी संशोधन न माना जाये।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : कार्य मंत्रणा समिति में मैं और श्रीमती सुचेता

कृपलानी काफी समय से कार्य कर रहे हैं। आप ने इस सम्बन्ध में कई बार अमूल्य सुझाव भी दिये हैं। कार्यमंत्रणा समिति की पिछली बैठक में सारे निर्णयों पर परामर्श कर लिया गया था और पूर्ण सहमति मिल गई थी। समवाय विधयक के लिए नियत किये गये पच्चीस घंटे प्रथम प्रक्रम, सामान्य चर्चा, के लिये ही हैं। जैसाकि उपाध्यक्ष महोदय ने बताया, इस समय को बढ़ा कर ३० घंटे भी किया जा सकता था। सरकार ने स्वयं ६० घंटे का कुल समय रखने के लिये सुझाव दिया था किन्तु हम ने सोचा कि खण्डवार चर्चा के लिये अभी से समय निर्धारित कर देना समय से बहुत पूर्व होगा क्योंकि सामान्य चर्चा के दौरान में यह मालूम पड़ सकता है कि किन खण्डों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और उस के अनुसार आगे का कार्यक्रम बनाया जा सकता है।

इस प्रश्न पर भी चर्चा हुई थी कि क्या विधेयकों पर चर्चा के लिये अधिक समय दिया जाये अथवा कुछ समय विधेयकों पर चर्चा के लिये और कुछ नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने के लिये रखा जाये। कुछ समय पूर्व आर्थिक नीति पर वाद-विवाद हो चुका है, जो बड़ा लाभदायक था। उस समय आपन स्वयं ही कहा था कि इस समय केवल औद्योगिक नीति को ही लिया जाये, कृषि सम्बन्धी नीति पर बाद में विचार हो जायेगा। अन्य भी अनेक प्रश्न हैं, जिन के विषय में संक्षिप्त कार्यवाही में उल्लेख किया गया है किन्तु उस की प्रतियां सब सदस्यों को नहीं मिली हैं। मैं समझता हूं कि इस के लिये एक ऐसी रूढ़ि बना दी जाये जिस के अनुसार समिति की संक्षिप्त कार्यवाही सदस्यों की जानकारी के लिये उन्हें दे दी जाया करे।

मैं श्री कामत से यह भी निवेदन करूंगा कि वह अपने संशोधन पर आग्रह न करें। भविष्य में हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सम्मिलित होने से पूर्व अपने संसद् के साथियों से परामर्श लेते रहेंगे। इस बार संसद् आरम्भ होने के प्रथम दिन ही बैठक बुलाई गई थी, इस का मुझे हर्ष है। अनेक कारणोंवश हम सभी साथियों से परामर्श न कर सके। इस सम्बन्ध में यदि दोष किसी का है तो वह मेरा ही कहा जा सकता है।

मैं एक बार फिर श्री कामत से निवेदन करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें और आप से प्रार्थना करूंगा कि आप इसे श्री कामत द्वारा रूढ़ि का उल्लंघन किया जाना न समझें। यदि कोई ऐसी चीज़ हुई है जो नहीं होनी चाहिये थी तो वह मेरे उत्तरदायित्व को पूरा न कर सकने के कारण हुई है।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : हमें कार्य मंत्रणा समिति के निर्णयों का सम्मान करना चाहिये। यदि आज यह नई प्रक्रिया स्वीकार कर ली जाती है कि कार्य मंत्रणा समिति के निर्णयों में संशोधन हो सकता है तो फिर कार्य मंत्रणा समिति की कोई भी आवश्यकता नहीं रह जाती। इस कारण मैं चाहूंगा कि श्री कामत अपना संशोधन वापस ले लें।

कुछ नीतियों पर वाद-विवाद होना आवश्यक होता है। जैसाकि अभी श्री अशोक मेहता ने कहा है, कुछ विशेष विधेयकों की कुछ चीज़ों पर वाद-विवाद होना आवश्यक है। वाद-विवाद के पश्चात् हम यह भी देख सकते हैं कि वाद-विवाद के लिये पर्याप्त समय दिया गया है या नहीं।

कार्य मंत्रणा समिति के कार्य के विषय में मुझे यह कहना है कि कार्य मंत्रणा समिति में वाद-विवाद के समय में जहां तक समय के बंटवारे का सम्बन्ध है, प्रत्येक दल और पक्ष में विचारों की भिन्नता रहती है। इसलिये

[श्री ए० के० गोपालन]

हम लोग उन्हीं चीज़ों को लेते हैं जिन पर सामान्य सम्मति रहती है । इस में चाहे जो कठिनाइयां हों किन्तु कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय एक रूढ़ि के रूप में स्वीकार किये जाने चाहियें ।

वर्तमान स्थिति में यदि अलग अलग सदस्यों को कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों पर संशोधन रखने दिया जाये तब तो मंत्रणा समिति का कार्य ही रुक जायेगा । यदि हम चाहते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति बनी रहे, तो श्री कामत का संशोधन नहीं स्वीकार किया जाना चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब स्पीकर साहब, श्री कामत साहब की तकरीर को सुन कर मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ है । उस वक्त जब यह बिज़िनेस एड्वाइज़री कमेटी बनी थी हमारे दिलों में यह खयाल आया था कि जो बड़ी लम्बी चौड़ी तकरीरें करने वाले हैं, और जिन में से मैं भी एक हूं, उनका क्या बनेगा । मेरे लायक दोस्त क्योंकि नये आये हैं और उन के दिल में भी यही खयाल है और इसी प्वाइंट आफ व्यू को ले कर उन्हों ने यह तरमीमें पेश की हैं । लेकिन मैं उन से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं ने भी डिप्टी स्पीकर व स्पीकर साहब की एबसेंस में कई बार इस कमेटी पर प्रिज़ाइड किया है और मैं ने वहां पर कई कानूनों के लिये ज्यादा टाइम देने के लिये कहा भी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं भी उन मैम्बरों में से हूं जोकि लम्बी चौड़ी तकरीरें करते हैं । लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारे जो रूल्ज़ आज मौजूद हैं वे हाउस आफ कामन्स से डिफिरेंट नहीं हैं । हमारे रूल्ज़ के मुताबिक हर एक मम्बर को अख्तियार है कि अगर वह चाहे तो किसी भी बिल पर कितना ही बोल सकता है । रूल भी यह है और इस से डिफिरेंट नहीं है । लेकिन मैं अदब से अर्ज़ करता हूं कि अब रूल्ज़ का सवाल नहीं है अब तो सवाल यह है कि जितना टाइम बिज़िनैस एडवाईज़री कमेटी ने मकर्रर किया है हमें उस के मुताबिक एडजस्ट करना होगा । अब वह ज़माना नहीं है कि लोग आठ आठ घंटे बोल लिया करें । वह जमाना चला गया है अब हम आठ आठ घंटे बोल नहीं सकते हैं । एक ज़माना था जबकि मेरे जैसा एक अदने से अदना मैम्बर जब फाइनेंस बिल पेश हुआ करता था एक दो घंटे बोल लिया करता था । यह जो बिज़िनेस एडवाइज़री कमेटी अब बनाई गई है उस में सब पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद हैं । उन सब की राय को सुन कर यह कमेटी वक्त मुकर्रर करती है । इस वास्ते जब यह कमेटी सारे हाउस की एक रिप्रिज़ेंटेटिव कमेटी है और जिन फैसलों पर यह पहुंचती है उन में मज़ीद तरमीम पेश करने की या उन को फ्लाउट करने की कोई गुंजाइश नहीं है । मैं मानता हूं कि बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में हाउस के तमाम मैम्बर मौजूद नहीं हैं लेकिन हर एक पार्टी के नुमाइंदे हैं और मैम्बर्ज़ को हक हासिल है कि वह उस के फैसलों के अन्दर एमेंडमेन्ट ले आयें। लेकिन इस तरह की एमेन्डमेन्ट कि जिस के अन्दर हर एक बिल के वास्ते और ज्यादा वक्त मांगा गया है मैं समझता हूं वाजिब नहीं है । अगर कोई खास बिल हो जिस के अन्दर कोई मैम्बर यह फील करता हो कि इस के लिये और ज्यादा वक्त मिलना चाहिये और इस पर और बहस होनी चाहिये तो हम ने हाउस में देखा है और कई मर्तबा देखा है कि जनाब की तरफ से या डिप्टी स्पीकर साहब की तरफ से या जो कोई भी इस कुर्सी पर बैठा होता है उस की तरफ से इस बात की इजाज़त दे दी जाती है । इस बिज़िनेस

एडवाइज़री कमेटी के होते हुए भी जनाब ने, डिप्टी स्पीकर साहब ने, मैं ने, जब मैं चेयर में था या किसी और ने जो उस वक्त चेयर में था, मुकर्ररा वक्त से ज्यादा वक्त दिया है। और जो यह कहा गया है कि मज्ज़लिंग होता है.......

श्री कामत : मैं ने मज्ज़लिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जब यहां पर हाउस में मज्ज़लिंग होता है तो प्रोटेस्ट भी किया जाता है और कहा जाता है कि हम ज्यादा बोलना चाहते हैं।

अब जबकि यह कमेटी बनी है तो यही नहीं है कि इस के मैम्बर्स को ही बुलाया जाता है लेकिन खास खास मौकों पर दूसरे अशखास को भी बुलाया जाता है। जनाबेवाला, मैं कांग्रेस पार्टी का एक मैम्बर हूं और मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी की पालिसियां ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ें। और अच्छे कानून जल्द से जल्द पास हों लेकिन कई बार ऐसे मौके आये हैं जबकि मैं ने खुद कई बिलों के बारे में ज्यादा वक्त तलब किया है। लेकिन अगर हम हर एक मौके पर और हर एक बिल के बारे में इस तरह से एमेंडमेन्ट लाने लगें तो इस कमेटी का क्या फायदा रह जाता है.......

श्री कामत : केवल दो विधेयकों के लिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : और हम किसी तरह से भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। जनाबेवाला, इस तरह से हर बिल के बारे में एमेंडमेन्ट्स लाना मेरे विचार में वाजिब नहीं है। हम ने देखा है जनाब ने या डिप्टी स्पीकर साहब ने या मैं न जब म चेयर में था अगर कोई मैम्बर ज्यादा वक्त लेना चाहता था और रेलेवेंट बोलता था, कोई नई बातें कहता था, रेपीटीशन नहीं करता था तो ऐसे मौकों पर उस को काफी समय तक बोलने की इजाज़त दी जाती रही है हालांकि स्पीच करने का टाइम भी मैम्बर साहिबान की मर्ज़ी से ही फिक्स किया जाता था। ऐसे हालात में किसी ने ज्यादा टाइम देने के लिये आबजक्ट नहीं किया।

इस वास्ते मैं कामत साहब से कहूंगा अब जबकि सारी पोज़ीशन एक्सप्लेन कर दी गई है सारी चीज़ उन के सामने आ गई है, वे अपनी एमेंडमेंट्स को वापस ले लें और जो हाउस के नये ज़माने में कनवेंशन हो चुकी हैं उस को उन्हें मान लेना चाहिये।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं समझता हूं कि जब कार्य मंत्रणा समिति में त्रुटियां हों तो फिर उस की सिफारिशों पर टीका-टिप्पणी करने का अधिकार इस सभा को सुरक्षित रखना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मेरा एक सुझाव यह है कि यदि किसी सदस्य को समय के बंटवारे के सम्बन्ध में कुछ आपत्ति हो, तो संशोधन प्रस्तुत करने के बजाय उसे यह बात अपने पक्ष के नेता से कहनी चाहिये। वह उस से पूछ सकता है कि इस के लिये इतना समय क्यों रखा गया। इसका उचित उपाय संशोधन प्रस्तुत न कर के यही है।

श्री कामत : क्या इस सभा के उन सदस्यों को जो इस विषय में रुचि रखते हैं, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उपस्थित रहने की अनुमति मिल सकती है?

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य किसी विधेयक विशेष में या विषय रुचि रखता है तो उसे विचार के समय उपस्थित रहने के प्रश्न पर कार्य मंत्रणा समिति विचार

[अध्यक्ष महोदय]

करेगी । माननीय सदस्यों को यह स्मरण रखना चाहिये कि समितियों की बैठकों में हम किसी पक्ष विशेष का प्रतिनिधित्व न न कर सम्पूर्ण सभा का प्रतिनिधित्व करते ह ।

श्री कामत : जो आश्वासन और नवीन सूचना मुझे मिली है उस से मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है । अतः मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता । मुझे संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति दी जाये ।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सरकारी विधान कार्य और अन्य कार्य के सम्बन्ध में प्रस्थापित समय के बंटवारे से सहमत है, जिस की घोषणा उपाध्यक्ष महोदय ने २६ जलाई, १९५५ को की थी ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब यह समय के बंटवारे का आदेश बन गया है ।

सभा का कार्य

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : आप की अनुमति से मैं कार्य की प्राथमिकता की भी घोषणा करना चाहता हूं । मैं सभा को सूचना देना चाहता हूं कि सरकार विधायी कार्य को, जिस के सम्बन्ध में कार्य मंत्रणा समिति ने समय के आवण्टन की सिफारिश की है, निम्न क्रम से लेना चाहती :

(१) औद्योगिक तथा राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार ;

(२) भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक ;

(३) स्थल सीमा शुल्क (संशोधन) विधयक;

(४) मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य नियंत्रण विधयक

(५) बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) विधेयक

(६) दिल्ली का जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक ;

(७) व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक ;

(८) दरगाह ख्वाजा साहब विधेयक ;

(९) भारत का राज्य बक (संशोधन) विधेयक, और

(१०) औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : मेरी प्रार्थना ह कि कार्य मंत्रणा समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के संक्षप को सदस्यों में परिचालित किया जाया करे ।

अध्यक्ष महोदय : संसद्-कार्य मंत्री द्वारा अभी घोषित की गई कार्य-प्राथमिकता को सदस्यों में परिचालित किया जायगा, परन्तु प्रत्येक कार्यवाही के संक्षेप के बारे में श्री कामत की प्रार्थना को स्वीकार करना कठिन है ।

औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम संशोधन विधेयक

अध्यक्ष महोदय : सभा अब औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ तथा राज्य

वित्त निगम अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

खंड २ से ६

२ से ६ तक के खण्डों को विधेयक में जोड़ लिया गया ।

खंड ७--(१९४८ के ५वें अधिनियम की दसवीं धारा में संशोधन)

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ की पंक्ति ७ में "A Chairman" (एक सभापति) शब्दों के स्थान पर "A whole time Chairman" [एक पूर्णकालिक सभापति] शब्द रखे जायें ।

इस संशोधन का उद्देश्य जांच समिति की सिफारिश को कार्यान्वित करना है । जहां इस पदाधिकारी की उच्च योग्यतायें हों, वहां यह भी आवश्यक है कि वह बहुत ईमानदार हो । इस अभिप्राय से सभापति का पूर्ण काल अधिकारी होना जरूरी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली): मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

(१) पृष्ठ २ पर पंक्ति १२ में,

(३) वर्तमान परन्तुक के स्थान पर ये शब्द रखे जायें :

"Provided that a concern in which a Director is a Managing Director or a Director/ Partner/ Shareholder in the Managing Agency Concern shall not be eligible for loan".

[इस उपबन्ध के साथ कि कोई ऐसा व्यवसाय, जिस का प्रबन्ध-अधिकरण में औद्योगिक वित्त निगम का कोई निदेशक प्रबन्ध-निदेशक / पत्तीदार / अंशधारी हो, ऋण पाने का पात्र नहीं होगा ।]

(२) पृष्ठ २ पर पंक्ति १० में, अन्त में ये शब्द जोड़ जायें : --

"Of whom one or more shall be economist, Chartered accountants and managerial experts".

[जिन में एक या अधिक सदस्य अर्थ शास्त्री, अधिकृत लेखा-पाल तथा प्रबन्ध-कार्य विशेषज्ञ हों ।]

मेरा दूसरा संशोधन बहुत सीधा है; अतः मैं इस के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगी पहले संशोधन पर भी मैं कल काफी कह चुकी हूं । सारी मुसीबत इसलिये उठी कि प्रायः सन्देह किया जाता है कि औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक ऐसे व्यवसायों को ऋण देते हैं जिन में उन का अपना हित होता है । इस संशोधन से सामान्य जनता को यह विश्वास हो जायगा कि निदेशक लोग अपने समवायों को ऋण नहीं दे सकेंगे । सरकार का यह विचार ग़लत है कि इस संशोधन के स्वीकार कर लेने से अच्छे निदेशक नहीं मिल सकेंगे। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार कर ले ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या २ और ६ प्रस्तुत हुए ।

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : पहले मैं श्री चौधरी के संशोधन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । मैं ने कल बताया था कि हम ने जान बूझकर

[श्री ए० सी० गुह]

" whole time " [पूरे समय का] शब्द नहीं रखा है, क्योंकि काम के कारण निगम के लिये पूरे समय का प्रधान रखना आवश्यक हो सकता है, पर उपबन्त यह है कि वह पूरे समय का या थोड़े समय (पार्ट-टाईम) का हो सकता है। मैंने यह भी बताया है कि इस समय हमारे पास पूरे समय का प्रधान है, और यह सरकार की ओर से एक प्रकार का शासकीय प्रधान होगा। हम नहीं चाहते कि निगम के काम को बिना देखे-भाले पूरे समय का सभापति रखने का खंड अनिवार्य रूप से रख दिया जाये। मेरी समझ से काम की दृष्टि से इस का निश्चय करने के लिये सरकार को आजादी रहनी चाहिये। मैं इस सशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता और आशा करता हूं कि यह पारित नहीं होगा :

शासित लेखापालों, अर्थशास्त्रियों और प्रबन्ध विशेषज्ञों के रखे जाने से सम्बन्धित सशोधन के बारे में मुझे यह कहना है कि इस समय बोर्ड में सरकार के चार निदेशक हैं, जिन में से एक श्रम का प्रतिनिधि है। पहले श्री खंडूभाई देसाई निदेशक थे और अब भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रधान डा० अम्बेदकर निगम के एक निदेशक हैं जो श्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिन्हें सरकार ने नामनिर्देशित किया है। शेष तीन निदेशकों में से दो नियमतः तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से होते हैं। अब सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने के लिये केवल एक ही निदेशक रह जाता है और मैं समझता हूं कि उस के लिये कोई वर्ग अनिवार्यतः निश्चित कर देना ठीक नहीं होगा। सरकार को व्यक्ति के चुनने के लिये आज़ादी रहनी चाहिये और नामनिर्देशन करते समय वह अर्थशास्त्रियों और अधिकृत लेखापालों को न भुलायेगी और सदा उपयुक्त व्यक्ति को ही रखेगी। बोर्ड की रचना पुनः होने पर हम प्रोफेसर या अर्थशास्त्री को रखने का यत्न करेंगे। मुझे आशा है कि समिति के प्रधान अपना उपबन्ध विधेयक में रखे जाने के लिये आग्रह न करेंगे मैं सभा को यह भी बता दूं कि जब मैं समिति के सामने उपस्थित हुआ था, मैं ने भी ऐसा ही एक सुझाव दिया था, पर अब मैं समझता हूं कि प्रशासन की दृष्टि से यह सरकार के लिये एक कठिन शर्त होगी। सरकार को उपयुक्त व्यक्ति चुनने की आजादी रहनी चाहिये। यदि कोई व्यक्ति अर्थशास्त्री या अधिकृत लेखापाल है, तो यही आश्वस्त होने की बात नहीं है, वह उपयुक्त प्रकार का व्यक्ति भी होना चाहिए। हम इस बारे में सरकार के चुनाव को कुछ मुक्त रखना चाहेंगे।

निगम के निदेशक के ऊपर ऋण लेने के लिये प्रतिबन्ध लगाने के संशोधन के बारे में मैं ने कल कहा था कि १९५३ में स्वीकृत अनेक आवेदनों में से केवल तीन उपक्रमों का ही निदेशकों से कुछ संबंध था, उन में से भी दो सहकारी संस्थायें थीं और संबंधित निदेशक का उस में नाम का ही हित था। तीसरी ऋणगृहीता कम्पनी का वह सभापति था, पर शायद वह कुछ सहकारी संस्थाओं की ओर से निदेशक था ....

श्रीमती सुचेता कृपालानी : सहकारी संस्थायें नहीं, बल्कि मैं यह चाहती हूं कि प्रबन्धक अभिकर्ता पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

श्री ए० सी० गुह : रिपोर्ट और सरकारी संकल्प के छपने के बाद किसी भी ऐसी कम्पनी को कोई ऋण नहीं दिया गया, जिस का प्रबन्धक अभिकर्ता या निदेशक निगम का निदेशक हो।

पर इस का विधि में उपबन्ध किया जाना बैंकिंग समवाय अधिनियम के अन्तर्गत भी पूरा-पूरा प्रतिबन्ध हो जायेगा । श्री अशोक मेहता ने भी यह सुझाव दिया था कि निगम का काम बढ़ना चाहिये और ऋण बांटने या मंजूर करने आदि में सख्ती से काम नहीं लेना चाहिये । कल इस बारे में कई सुझाव दिये गये थे और यदि हम व्यापारिक बैंकों की अपेक्षा भी कड़े प्रतिबन्ध लगा दें, तो निगम का कार्यक्षेत्र अत्यन्त सीमित हो जायेगा । मुझे आशा है कि इस प्रतिबन्ध प आग्रह नहीं किया जायेगा । मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि ऐसे उपक्रमों को ऋण देने के बारे में, जिन से निगम के निदेशकों का सम्बन्ध हो, हम ने जो प्रतिबन्ध रखे हैं, वही काफ़ी होंगे । जांच समिति के प्रधान यह ध्यान रखेंगी कि कुछ प्रबन्ध अभिकरण उपक्रमों में किसी व्यक्ति का रुपये में दो आने या दो पैसे का हिस्सा हो , तो इस का अर्थ यह नहीं कि उस में उस का हित पर्याप्त नहीं है । प्रस्तावित संशोधन का उल्लंघन प्रबन्ध अभिकरण या फर्म में हिस्सेदारों के नाम के साथ कुछ बेनामदारों को रख कर और अपना नाम सूची से अलग रख कर किया जा सकता है । इस से जांच समिति की सभापति के अभीष्ट मामलों को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता । इस के लिये सरकार और निगम के अन्य निदेशकों की जागरूकता पर निर्भर रहना होगा । मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार इस ओर पूर्णतः जागरूक है और ऐसी बातें आगे न होंगी । मैं मानता हूं कि निगम के निदेशक अपने निदेशकत्व का अनुचित लाभ उठा रहे थे, पर जैसा मैं ने कल बताया ऋण-गृहीता कम्पनी में शेष सब निदेशकों का हित केवल .१ प्रतिशत मात्र था । यह बहुत बड़ी राशि न होगी । परन्तु इस प्रकार के व्यक्तियों पर ऐसी रोक का पूर्णतः लागू करना ठीक नहीं है जो बैंकिंग समवाय अधिनियम में भी नहीं है । अतः मुझे आशा है कि इस संशोधन पर आग्रह न किया जायेगा और मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि ऐसी बात आगे न हो, इस के लिये सरकार सदैव जागरूक रहेगी ।

डा० जयसूर्य (मेदक) : मुझ पहले संशोधन के बारे में दो बातें कहनी हैं । पहले प्रबन्ध निदेशक ही सब कुछ होता था, अब सभापति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनाया गया है । जब उसे इतने उत्तरदायित्व दिये जा रहे हैं, तो वह पूरे समय का व्यक्ति क्यों न रखा जाये ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी का क्या विचार है ?

श्री ए० सी० गुह : विधेयक के पारित होते ही हम पूरे समय का सभापति नियुक्त कर रहे हैं, पर सरकार को इस के लिये मुक्त रखना चाहते हैं कि पर्याप्त काम न होने पर वह थोड़े समय का व्यक्ति रख सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : समाचार-पत्रों में आज यह समाचार छपा है कि एक मंत्रालय का सचिव या संयुक्त सचिव इस पद पर नियुक्त हो कर यह काम अतिरिक्त रूप में करेगा ? क्या यही इरादा है ?

श्री ए० सी० गुह: नहीं श्रीमान्, पर मैं कुछ वचन नहीं दे सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा को यह जानने का अधिकार है ।

श्री ए० सी० गुह : इस बारे में कोई भी बात अन्तिम रूप से नहीं कही जा सकती, पर जो भी व्यक्ति नियुक्त किया जायेगा उस का सरकार के वित्त या किसी अन्य मंत्रालय से सम्बन्ध न रहेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : और यदि कोई व्यापारी नियुक्त किया गया, तो क्या वह अपने व्यापार तथा उस के काम को एक साथ करेगा ?

श्री ए० सी० गुह : मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह निगम का पूरे समय का पदाधिकारी है, यह स्पष्ट कर देने में क्या अड़चन है ?

श्री ए० सी० गुह : बता चुका हूं कि पूरे समय का प्रधान नियुक्त करन पर कोई रोक नहीं है । यह सरकार पर छोड़ दिया गया है । निगम के पास जितना काम होगा, तदनुसार सरकार यह निश्चित करेगी कि कोई संयुक्त सचिव आदि ढाई-तीन घंटे काम करे ; काम काफी न होने पर प्रधान से और काम करने के लिये कहा जायेगा ।

डा० जयसूर्य : यह संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि पिछली बार यद्यपि थोड़े समय का सभापति और कार्यपालिका समिति थी, सब काम प्रबन्धक-निदेशक स्वयं करते थे । अब सभापति को दिये जाने वाले उत्तरदायित्वों की दृष्टि में हमें काफी काम खड़ा कर के पूरे समय का व्यक्ति रखना चाहिये ।

श्री ए० सी० गुह : वह निगम के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगा । महाप्रबन्धक उस के अधीन होगा । सरकार निगम के लिये सब कुछ करेगी और पूरे समय के सभापति के रखे जाने में कोई रोक नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस से सरकार को बचत होगी ?

श्री ए० सी० गुह : पहले प्रबन्धक निदेशक को लगभग तीन हज़ार रुपये मिलते थे । अब एक प्रधान होगा और एक महाप्रबन्धक । इस से ऊपरी खर्चे बढ़ जायेंगे । पर यदि काम पूरे समय के दो व्यक्तियों के लिये काफी न हो, तो सरकार पूरे समय का सभापति न रखन का निर्णय कर सकती है । पर सरकार पूरे समय का प्रधान नियुक्त करना चाहती है, जिसे निगम के कार्य के अतिरिक्त और कोई काम न करना होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अर्थात् प्रबन्धक निदेशक के स्थान पर अब महाप्रबन्धक होगा ।

श्री ए० सी० गुह : नहीं, श्रीमान् । प्रबन्धक निदेशक को अधिनियम के अन्तर्गत बहुत काफी संविहित अधिकार मिले हुए थे और वह कार्यपालिका-समिति का प्रधान था । पर अब वह निगम का एक पदाधिकारी मात्र होगा, निगम का निदेशक या केन्द्रीय समिति का सदस्य तक न होगा ।

डा० जयसूर्य : उस के पूरे समय या थोड़े समय के होन पर वेतन में क्या अन्तर रहेगा ?

श्री ए० सी० गुह : यदि किसी भी समय ऐसा निश्चय किया गया कि निगम के लिये पूरे समय का प्रधान आवश्यक नहीं है, तो हम जसा कि आजकल कर रहे हैं, कर सकते हैं । आजकल रेलवे के वित्तीय आयुक्त सभापति का काम कर रहे हैं, पर उन्हें निगम से कुछ नहीं मिलता । अतः यदि कभी यह निश्चय किया गया कि सरकार के सचिव या संयुक्त सचिव को थोड़े समय का प्रधान बनाया जाये, तो उसे वेतन सरकार से मिलेगा । इस में निगम की बचत है । यह उत्तरदायित्व सरकार का है कि अंशधारियों को प्रतिवर्ष कुछ न्यूनतम लाभांश अवश्य

दिया जाये । सरकार निगम को प्रति वर्ष कुछ राशि दे रही है । मेरी समझ से इस सभा को इस बात की चिन्ता होनी चाहिये कि निगम यथासम्भव बचतपूर्वक चलाया जाये ।

डा० जयसूर्य : और यथासम्भव क्षमता-पूर्वक भी ।

श्री ए० सी० गुह : बिना क्षमता के बचत नहीं हो सकती ।

डा० जयसूर्य : पिछली बार ऐसा नहीं हुआ ।

श्री मोहन लाल सक्सेना (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी) : सभा यह जानना चाहती है कि सरकार थोड़े समय का प्रधान रखना चाहती है अथवा पूरे समय का । क्या माननीय मंत्री का यह विचार है कि मंत्रालय के किसी संयुक्त सचिव को थोड़े समय का सभापति बना दिया जाये जिस के द्वारा वह मंत्रालय को सिफारिशें भी भेजेगा तथा संयुक्त सचिव की हैसियत से उन को स्वीकार भी कर लेगा ।

श्री ए० सी० गुह : कई बार मैं यह बता चुका हूं कि सरकार का विचार पूरे समय का प्रधान नियुक्त करने का है तथा उस पर निगम के सम्बन्ध में पूर्ण उत्तर-दायित्व होगा । यदि किसी पदाधिकारी की नियुक्ति इस स्थान पर की भी गई तो उस अवधि के लिये उस का सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा । इस समय रक्षित बैंक का एक पदाधिकारी सामान्य प्रबन्धक के रूप में कार्य कर रहा है । उस को रक्षित बैंक से कोई वेतन नहीं मिल रहा है तथा वह बैंक का कोई कार्य भी नहीं कर रहा है । वह निगम का ही कार्य कर रहा है तथा निगम से ही वेतन ले रहा है ।

श्री मोहन लाल सक्सेना : मंत्री महोदय ने अभी बताया था कि मंत्रालय का एक संयुक्त सचिव, थोड़ समय का प्रधान नियुक्त किया जा सकता है । मेरे विचार से इस प्रकार की व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं रहेगी तथा मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री यह बतायें कि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रखी जायेगी ।

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) : श्रीमान्, यदि सरकार का इरादा वही है जो अभी मंत्री महोदय ने बताया तो अच्छा होगा कि स्वयं संविधि में ऐसा उपबन्ध रखा जाये । प्रधान का कार्य बड़ा ही महत्व-पूर्ण तथा उत्तरदायित्व का है इसलिये मेरे विचार से उसे पूरे समय के लिये ही नियुक्त करना चाहिये तथा यह कहना कि थोड़े समय का प्रधान नियुक्त करन से कुछ बचत हो सकेगी, बेकार सी बात है । प्रधान को लाखों रुपया ऋण देने का अधिकार आप दे रहे हैं तो इस कार्य के लिये उसे समवायों के कारबार आदि की वास्तविक स्थिति की पूर्णतया जांच करनी होगी जोकि बड़ा ही कठिन तथा महत्वपूर्ण कार्य है ।

मैं श्रीमती सुचेता कृपलानी के इस विचार से पूर्णतया सहमत हूं कि बोर्ड के निदेशक, प्रबन्ध निदेशक अथवा साझीदार का ऋण के प्रार्थी समवाय से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये, क्योंकि इस प्रकार बोर्ड के सदस्यों को जोकि उस के साथी होंगे, ऋण देने के लिये मना करना असम्भव हो जायेगा । दूसरे जब वह इतना प्रभावशाली व्यक्ति है कि बोर्ड में कोई स्थान प्राप्त कर सकता है तो उसे किसी बैंक आदि से पर्याप्त ऋण लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी । हम देश में वित्त निगम, उच्च उद्देश्य ले कर बना रहे हैं, इसीलिये हमें इस का सदैव ध्यान रखना चाहिये कि इस निगम, तथा इस के किसी निदेशक अथवा सरकार की ओर घृणापूर्ण उंगली उठाये तथा उस की आलोचना करे केवल इतनी व्यवस्था का

[श्री टेक चन्द]

करना कि उस के मत देने का अधिकार नहीं होगा : पर्याप्त नहीं है, क्योंकि धन ऋण देने के मामले सर्वसम्मति से तय होने चाहियें तथा यदि एक सदस्य का भी मत इस के विपरीत हो तो ऋण नहीं दिया जाना चाहिये। गुणी व्यक्तियों की देश में कमी नहीं है इसलिये इस प्रकार की व्यवस्था में किसी कठिनाई की संभावना नहीं है तथा उन का ऐसा विचार कि यदि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रखी गई तो उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव बोर्ड में नहीं हो सकेगा, ठीक नहीं है। इसलिये मेरी राय है कि हमें पूरे समय के प्रधान की ही नियुक्ति करनी चाहिये तथा इस बात पर नियंत्रण आवश्यक है कि ऋण लेने वाला अभ्यर्थी स्वयं बोर्ड का सदस्य न हो।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : मैं माननीय मंत्री के इस सुझाव से पूर्णतया सहमत हूं कि प्रधान का पद मंत्रालय के सचिव के तुल्य होना चाहिये अथवा सरकार जिस को उपयुक्त समझे। इस प्रकार से संभव है कि उस का वेतन अधिक न हो अथवा उसे वेतन बिल्कुल ही न दिया जाये। परन्तु मेरा भी ऐसा ही विचार है कि यदि, प्रधान सरकारी पदाधिकारी हो तो वह पूरे समय का प्रधान ही होना चाहिये जिस मे वह सरकारी हितों का ध्यान न रख कर निगम के हितों पर ही ध्यान रखे।

दूसरा प्रश्न यह है कि निदेशक को ऋण नहीं देना चाहिये। जैसाकि आप जानते हैं संविधान के अनुसार दो निदेशकों का चुनाव अंशधारी करेंगे तथा यह निदेशक अंशधारियों में से भी चुने जा सकते हैं परन्तु इस संशोधन के द्वारा आप किसी भी अंशधारी को निदेशक बनाना नहीं चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य शेष संशोधनों से सहमत हैं। सिद्धांत यह है कि ऋण लेने वाला तथा देने वाला एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिये। यदि किसी समवाय का उच्चतम व्यक्ति ; बोर्ड का निदेशक भी होगा तो यह ठीक नहीं होगा। सभा के इस पक्ष के सदस्यों का ऐसा विचार है कि ऋण लेने वाला व्यक्ति, निगम अथवा समवाय के किसी उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर नहीं होना चाहिये।

श्री तुलसीदास : जैसा कि मैंने कल बताया था मेरे विचार से यह ठीक होगा कि सम्बन्धित निदेशक को बोर्ड की बैठक मे बाहर चला जाना चाहिये तथा उस की अनुपस्थिति में बोर्ड को उस पर विचार करना चाहिये कि ऋण दिया जाना चाहिये अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां कम से कम ५० लाख दिया हुआ है।

श्री तुलसीदास : वह अधिकतम है।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार की सम्मति न होने पर भी क्या वह अधिकतम है ?

श्री तुलसीदास : क्या आप का विचार है कि किसी समवाय को केवल इसी आधार पर आर्थिक सहायता नहीं मिलनी चाहिये क्योंकि उस समवाय का निदेशक निगम का निदेशक भी है जबकि उस समवाय को सहायता की आवश्यकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में, समवाय की उपयुक्तता, दिवालिया आदि मामलों को विचाराधीन रखा जायेगा।

श्री तुलसीदास : इसीलिये मैं ने बताया कि सम्बन्धित व्यक्ति यदि बैठक में नहीं होगा तो स्वतंत्र निर्णय किया जा सकेगा।

श्री ए० सी० गुह : प्रथम बात के सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमारा विचार पूरे समय के प्रधान ही नियुक्त

करने का है परन्तु इस सम्बन्ध में, हम किसी प्रकार से वाग्बद्ध नहीं होना चाहते । कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरे समय का प्रधान नियुक्त करने की स्थायी व्यवस्था रखने से निगम के कार्यों में अड़चन पड़े । परन्तु जब तक आवश्यकता होगी निगम का प्रधान पूरे समय का प्रधान ही होगा तथा उस को निगम से ही वेतन मिलेगा। निगम के कार्यों के उत्तरदायित्व का वह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगा । परन्तु फिर भी हमारा विचार है कि हमें थोड़े समय का प्रधान रखने की व्यवस्था भी रखनी चाहिये ।

मान लीजिये 'क' को प्रधान नियुक्त किया गया तथा सरकार उस को शीघ्र दूसरे स्थान पर भजना चाहती है, तब हमें उपयुक्त व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा तथा हम सचिवों अथवा संयुक्त सचिवों में से किसी को एक अथवा दो माह के लिये थोड़े समय का प्रधान बना सकते हैं। परन्तु यदि हम केवल पूरे समय के प्रधान की व्यवस्था ही रखते हैं तो स्थिति भिन्न हो जायेगी । मेरे विचार से सरकार को कुछ छूट रहनी चाहिये ।

निर्बन्धनों के विषय में भी एक सिद्धान्त का सम्बन्ध है । जैसाकि कल कुछ सदस्यों ने कहा था विचार यह है कि निगम का काम बढ़े तथा वह बनये उद्योगों को सहायता दे सकें परन्तु यदि आप इस प्रकार के निर्बंधन रखेंगे जोकि अधिबैंकिंग समवाय अधिनियम में भी नहीं हैं तथा यदि आप ऋण स्वीकृति के लिये निगम के नियमों को व्यापारिक बैंकों के नियमों से कड़े बनाते हैं तो यह अच्छा है कि इस निगम को चालू ही न किया जाय । ऋण लेने वाले व्यवसाय बैंकिंग समवायों के पास जायेंगे जिन मे उन्हें अच्छी शर्तों पर ऋण मिले सकेगा । क्या कारण है कि हम ऐसे निर्बन्धन रखें जो बैंकिंग समवायों में भी नहीं हैं । यदि हम यह निर्बंधन रखते भी हैं तब भी ऋण लेने वाला व्यक्ति यदि बुद्धिमान हो तो इन ऋण निर्बन्धनों की अवहेलना कर सकता है तथा ऋण भी ले सकता है । वह ऋण लेने वाले का पुत्र, भतीजा अथवा दामाद हो सकता है । इसलिये इस प्रकार के निर्बन्धन का कोई लाभ नहीं है यह तो केवल सरकार तथा बोर्ड के निदेशकों की जागरूकता पर निर्भर हैं । इन शब्दों मे, मुझे आशा है कि संशोधन पर ज़ोर नहीं दिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन १ तथा २ पर मतविभाजन मध्यान्ह भोजन के बाद होगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

खण्ड ८ (१९४८ के अधिनियम १५ में नई धारा १० ए का जोड़ना। बोर्ड का प्रधान)

श्री एन० बी० चौधरी ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया ।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं चाहता हूं कि वेतन तथा भत्ते का निश्चय बोर्ड न कर के सरकार करे क्योंकि बोर्ड के प्रधान को निदेशक अधिक वेतन देना चाहेंगे । कल माननीय वित्त मंत्री ने बताया था कि अधिक योग्य व्यक्ति के लिये वेतन की कोई सीमा ही नहीं है । परन्तु मेरे विचार से वह कितना भी योग्य क्यों न हो उस का वेतन ठीक ही होना चाहिये । औद्योगिक वित्त निगम के लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन के आधार पर भी यह आवश्यक है । मैं सफर भत्ते के दुरुपयोग के सम्बन्ध में बता ही चुका हूं । इसलिये मेरा विचार है कि वेतन तथा भत्ते का निश्चय सरकार को ही करना चाहिये ।

श्री ए० सी० गुह : बोर्ड को ही प्रधान के वेतन के निश्चित करने का अधिकार

[श्री ए० सी० गुह]

होना चाहिये । यह व्यवस्था उस में रखी ही गई है कि केन्द्रीय सरकार की अनुमति भी आवश्यक है तथा यह पर्याप्त है । मेरे विचार से इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या राज्य बैंक तथा रक्षित बैंक के बोर्ड वेतन निर्धारित करते हैं ?

श्री ए० सी० गुह : मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, परन्तु मैं समझता हूं कि स्थिति यही है । मेरे विचार से राज्य बैंक का बोर्ड ही वेतन निर्धारित करता है तथा रक्षित बक की तुलना इस से नहीं की जा सकती क्योंकि रक्षित बैंक शत प्रतिशत सरकारी है जबकि यह निगम ६० प्रतिशत गैर-सरकारी है ।

उपाध्यक्ष महोदय ने संशोधन प्रस्तुत किया जो अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १० (१९४८ के अधिनियम संख्या १५ की धारा १२ का संशोधन)

श्री एन० बी० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुख्य अधिनियम की धारा १२ के खंड (घ) के पश्चात् "आयकर भुगतान सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है" शब्द जोड़ दिया जाये ।

मुख्य अधिनियम की धारा १२ में निगम के होने वाले निदेशकों के लिये कुल अनर्हताओं का उल्लेख किया गया है । मैं चाहता हूं कि एक और अनर्हता भी रखी जाय कि जो व्यक्ति आयकर के भुगतान का प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर सके उसे निदेशक बनने का अधिकार न हो । सरकार जानती है कौन लोग कर से बचते हैं । मैं इस शर्त को सम्मिलित करना चाहता हूं ताकि हमें वास्तव में योग्य निदेशक मिल सकें, जो सत्यवादी लोग हों और ऐसे लोग न हों जो विभिन्न प्रकार की अनेकों बातों से प्रभावित हो सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : अर्हतायें मुख्य अधिनियम की धारा १२ के अन्तर्गत आती हैं । इस संशोधन विधेयक में धारा १२ का उल्लेख केवल इस उद्देश्य से हुआ है कि 'प्रबन्ध निदेशक' या 'प्रबन्धक उप-निदेशक' के स्थान पर 'प्रधान' शब्द रख दिया जाय । यह केवल आनुषंगिक सशोधन है । माननीय मंत्री का क्या विचार है ?

श्री ए० सी० गुह : संशोधन के नियम-विरुद्ध होने के अतिरिक्त, इस विषय पर कई बार विचार विमर्श हो चुका है । यद्यपि प्रस्तावक की भावनाओं के प्रति व्यक्तिगत रूप में मुझे सहानुभूति है, परन्तु कुछ प्रशासनीय कठिनाइयां हैं । सम्भव है कि कुछ मामले आयकर न्यायाधिकरणों के समक्ष हों और जब तक इन मामलों का निर्णय नहीं होता, तब तक उन्हें भुगतान के प्रमाण-पत्र न मिलेंगे । मेरा ख्याल है कि यह सशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १० विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ११ से १५ तक विधेयक में जोड दिये गये।

खंड१६ —(१९४८ के अधिनियम १५ की धारा १३ का संशोधन)

श्री अशोक मेहता : में प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ ५ पर, पक्ति ३८ के पश्चात् यह जोड़ा जाय :—

"(२) मुख्य अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (१) के खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रखे जायें अर्थात्

'(घघ) भाग लेने वाले तथा मिश्रित ऋण-पत्रों को अपनी आस्तियों के अंग के रूप में अपने पास रखना'।"

कल म ने कहा था कि निगम को यह अधिकार होना चाहिये कि वह उन समवायों की बढ़ती हुई समृद्धि में भाग ले सके जिन को स्थापित होने में वह सहायता देता है। मैं ने यह भी उल्लेख किया था कि अन्य देशों में इस सम्बन्ध में उपबन्ध किये जाते हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि जब तक कोई समवाय निगम का ऋणी रहता है तब तक वह ६ प्रतिशत से अधिक लाभांश नहीं दे सकता। ६ प्रतिशतसे अधिक जो भी हो वह ऋण का भुगतान करने में प्रयोग होता है और ऋण के लिये प्रायः वह आशा की जाती है कि १२ या १५ वर्ष में वापस मिल जायेगा। उस समय तक समवाय भी भली प्रकार स्थापित हो जायेगा। फिर, ऐसे सफल समवाय का सारा लाभ अंशधारियों को मिलेगा। इस में हम यह भी चाहते हैं कि निगम भी समवाय की समृद्धि में भाग ले ताकि उस के पास अन्य समवाय को अधिक सहायता करने के अधिक साधन हों। मैं आशा करता हूं कि निकट भविष्य में औद्योगीकरण का काम तीव्रता से बढ़ने वाला है और इस निगम को अधिकाधिक उद्योगों को सहायता देनी होगी और यह जब ही संभव होगा जबकि निगम को इस की अनुमति हो कि वह, यदि आवश्यक और लाभप्रद हो तो भाग लेने वाले तथा मिश्रित ऋण पत्र प्राप्त कर ले। यदि सरकार की इच्छा यह है कि निगम को उसी रूप में चलाया जाये जिस में चल रही है तो बात दूसरी है। यदि अनेकों समवायों को विकसित होने में सहायता देनी है, तो अधिनियम में यह उपबन्ध होना चाहिये कि निगम उचित अवसरों पर उन समवायों की समृद्धि का लाभ उठा सकती है जिन की उस ने सहायता की है।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री ए० सी० गुह : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य का उद्देश्य यह है कि निगम साधारण अंश पूंजी में भाग ले सके।

श्री अशोक मेहता : जी हां।

श्री ए० सी० गुह : वर्तमान अधिनियम के अधीन निगम किसी भी ऐसे स्टाक या अंशों या ऋण-पत्रों, जो साधारणतया उसे प्राप्त हो जायें, जैसी आस्तियों के किसी भाग को अपने पास रख सकती है। परन्तु समवाय की अंश पूंजी में भाग लेने पर, किसी भी समवाय या औद्योगिक समवाय के अंश लेने पर यहां निगम पर प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लगा है। कल मैं ने बताया था कि साल या दो साल पहले साधारण अंश पूंजी में इस निगम द्वारा भाग लेने के लिये कहने में कुछ तत्व होता। परन्तु अब हमारे

[श्री ए० सी० गुह]

दो अन्य निगम हैं, विकास निगम और औद्योगिक ऋण तथा विनिमय निगम । यथोचित परिस्थितियों में वे साधारण अंश पूंजी मे भाग ले सकते हैं । अतः मेरा विचार है कि अब इस निगम के लिये साधारण अंश पूंजी में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है । अभी तक सरकार की नीति है इसे लगभग एक बैंक के रूप में कार्य करने दिया जाये । यद्यपि इस में थोड़ा बहुत खतरा जरूर है, फिर भी यह निगम लगभग एक बैंक की भांति काम करेगा तथा समवायों की साधारण पूंजी में इस का कोई भाग नहीं होगा ।

श्री अशोक मेहता : मेरी बात का उत्तर नहीं दिया गया है । ऋण देने में उसे यह अधिकार होता है कि यदि भविष्य में समवाय समृद्धि प्राप्त करता है तो वह उसे साधारण अंश पूंजी में परिणित कर सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हानि के कारण वह समवाय समाप्त हो जाय तो ?

श्री अशोक मेहता : तो वह धन चला जाता ह ।

श्री ए० सी० गुह : हम नहीं चाहते कि इस निगम के धन को किसी साधारण अंशपूंजी में फंसाया जाये । हम इसे यथा-सम्भव चल पूंजी के रूप में रखना चाहते हैं । ताकि धन वापस आ सके और उसे दुबारा लगाया जासके । मेरा ख्याल है कि कल माननीय सदस्य ने विशेष रूप से कहा था कि निगम को चाहिये कि वे नये समवायों को अधिक ऋण दे । अतः यह उचित है कि निगम अपने धन को मुक्त और चल पूंजी के रूप में रखे ताकि वह उसे नये समवायों में भी लगा सके ।

अतः यह संशोधन एक रूप में निगम का रूप ही बदलना चाहता है और मैं कल और आज कह चुका हूं कि सरकार की ऐसी कोई इच्छा नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया और मतदान बाद के लिये स्थगित कर दिया गया ।

खंड १७—(१९४८ के अधिनियम १५ की धारा २३ का संशोधन)

श्रीमती सुचेता कृपालानी : मैं प्रस्ताव करती हूं कि पृष्ठ ५, पंक्ति ४१ के बाद ये शब्द जोड़ दिये जायें :—

> "किसी ऋण लेने वाले व्यवसाय के प्रबन्ध-अभिकर्ता उस व्यवसाय में अपने अंशों को निगम के पूर्व-अनुमोदन के बिना बेच नहीं सकेंगे ।"

यह अच्छी बात है कि प्रबन्धक एजेण्ट की उस समवाय में वित्तीय रुचि हो जिस का वे प्रबन्ध करते हैं । प्रायः यह होता है परन्तु सम्भव है कि प्रबन्ध करने वाली एजेन्सी निगम बड़ी मात्रा में ऋण ले ले और तत्पश्चात् यदि समवाय में लाभ न हो तो या किसी अन्य कारण से आहिस्त आहिस्ता अंशों का विक्रय कर दे और अन्त में उन की समवाय में तनिक भी पूंजी न रह जाये । हम महसूस करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में सरकारी धन खतरे में होगा । अतः यह उचित है कि अंशों का विक्रय करने में प्रबन्ध करने वाली एजेन्सी पर कुछ नियंत्रण रखा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री ए० सी० गुह : हम ने पहिले ही निगम को कुछ निर्देश दे दिये हैं और वे सरकार के संकल्प में मिलेंगे :—

"सरकार इस से सहमत है कि प्रबन्ध करने वाले एजेन्ट या प्रबन्ध करने वाले

निदेशकों के अंशों का ध्यान रखना चाहिये परन्तु विचार रखा जाये कि इस बात पर जोर देना कि वे ऋण लेने वाले समवाय में न्यूनतम अंश-पूंजी की कोई विशेष मात्रा हो, उचित न होगा । निगम ने उल्लेख किया है कि साधारणतया अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में प्रबन्ध-अभिकर्ताओं से व्यक्तिगत गारन्टी भी ली जाती है ।

ऋण लेने वाले समवायों में अंश पूंजी के न होने देने के बारे में, सरकार का विचार है कि जहां निगम ने ऐसी वैत्तिक भाग संरक्षण के साधन रूप में विचार किया है, वह निगम की अनुमति के बिना हस्तान्तरण निषिद्ध होना चाहिये ।

हम यह निर्देश पहले ही दे चुके हैं और इस को स्वयं विधेयक में सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं मंत्री के उत्तर की दृष्टि से प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत करूं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी : हां, श्रीमान् क्योंकि अपनी जांच से हम ने देखा है कि कई बार व्यक्तिगत गारन्टी नहीं होती । यह विधेयक में सम्मिलित होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १९—(१९४८ के अधिनियम १५ की धारा २८ का संशोधन)

श्रीमती सुचेता कृपालानी : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

पृष्ठ ६ पर पंक्ति ११ के पश्चात् **जोड़िये** :—

"(३) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

'परन्तु विक्रय द्वारा हस्तान्तरण सरकार के पूर्व अनुमोदन से होगा' ।"

कल मैं ने अपने भाषण में कहा था कि जब निगम किसी समवाय को लेती है, उस का मुख्य उद्देश्य यह होता है समवाय को ऋण रूप में दिया गया धन प्राप्त किया जाये और उसे यथाशीघ्र बेच दिया जाये । इस में कुछ हानियां भी हैं । यदि ऐसा कोई उपबन्ध होता है कि निगम सरकार की पूर्व अनुमति के बिना इस का विक्रय नहीं कर सकती, तो इस से उन सब अनियमितताओं का अन्त हो जायेगा जो हमें बताई गई हैं । यदि समवाय ठीक कार्य नहीं करता तो निगम का उद्देश्य केवल अपने धन को पुनः प्राप्त करना है परन्तु अंशधारियों के धन का क्या होगा ? यदि सरकार समवाय को अपने हाथ में ले लेती है और उसे उचित रूप में चलाती है तो अंशधारी भी अपना धन प्राप्त कर सकेंगे । और यदि उसे चलाने को तैयार न हो तो समवाय का विक्रय करने से पूर्व सरकार को सूचना अवश्य देनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री ए० सी० गुहा : यह उपबन्ध सोदीपुर शीशा कारखानों सम्बन्धी जांच समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफ़ारिश के प्रसंग

[श्री ए० सी० गुह]

में है। सिफ़ारिश यह थी कि यह व्यवसाय बेचा नहीं जाना चाहिये अपितु सरकार द्वारा चलाया जाना चाहिये या ऐसा ही कुछ और होना चाहिये। हम ने इस बात के लिये भी प्रयत्न किया कि समवाय सरकार या सरकार की ओर से किसी और के द्वारा चलाया जाये। परन्तु सोदीपुर शीशा के कारखाने को चलाने के लिये या इसे पट्टा पर लेने के लिये अथवा चलाने के लिये कोई भी एजेंसी नहीं मिल सकी है। हम ने इस का विज्ञापन दिया, और निगम ने एक समझौता-वार्ता समिति नियुक्त की। उस समिति ने भी कुछ लोगों से, जिन्हें समिति समझती थी कि वे कारखाना चला सकेंगे, बात-चीत की। परन्तु सरकार और समझौता-वार्ता समिति में से कोई भी ऐसी एजेन्सी न ढूंड सका जो इसे चलाती। हम ने उत्पादन मंत्रालय के साथ भी प्रयत्न किया। उन्हों ने भी इनकार कर दिया है। अतः निगम के पास और कोई विकल्प ही नहीं है सिवाय इस के कि सोदीपुर शीशा कारखाने को बेच दिया जाये।

ये आकस्मिकतायें परिस्थितियों पर निर्भर हैं। परन्तु मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि ऐसे समवायों को सरकार को सूचित किये बिना नहीं बेचा जायेगा। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम निगम को यह निदेश देंगे कि बिना सरकार को पूछे किसी भी व्यापारिक संस्था का विक्रय न किया जाये। मेरे विचार से इस से जांच समिति के सभापति का समाधान हो जायेगा और वह अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करेंगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : उस के प्रति आपत्ति क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस अधिनियम के अन्तर्गत निदेश देने का उपबन्ध है। यह एक प्रकार का आश्वासन है। माननीय संसद्-कार्य मंत्री समय समय पर सदन में यह विवरण प्रस्तुत करते हैं कि किन आश्वासनों को कार्यान्वित किया गया है और किन को करना अभी शेष है। इन परिस्थितियों में, यह निदेश, यद्यपि इन को स्वयं विधेयक में सम्मिलित नहीं किया गया है, अधिनियम के समान प्रभावी हो सकते हैं।

श्री ए० सी० गुह : सोदीपुर ग्लॉस वर्क्स सम्बन्धी सरकारी संकल्प के प्रकाशन में हुई देरी का मुख्य कारण है कि हम उक्त समवाय को सरकार की ओर से चलाने के लिये किसी पक्ष को ढूंढ निकालने में असफल रहे हैं।

श्री अशोक मेहता : उत्पादन मंत्रालय की स्थिति क्या है ?

श्री ए० सी० गुह : उस ने इन्कार कर दिया है। हम ने विदेशों में भी विशेषज्ञों की खोज की थी, परन्तु हमें कोई मिला नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मूल सस्थापकों के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ?

श्री ए० सी० गुह : वह समाप्त हो गये हैं। उन के लिये अब इस समवाय को चलाना सम्भव नहीं है। इस समवाय को चलान के लिय उन को धन कौन देगा ? चालू करने के लिये कोई ३०-४० लाख रुपये की पूंजी की आवश्यकता है। कार्पोरेशन चालू पंजी के लिये कोई ऋण देने के लिये तैयार नहीं है।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलम) : जब कि उस पर एक करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है तो उसे चालू रखने के लिये कुछ लाख और खर्च कर देने में क्या हानि है ?

श्री ए० सी० गुह : मामला एक दो लाख का नहीं तीस चालीस लाख रुपये का

है । साथ ही कोई उपयुक्त अभिकरण भी होना चाहिये । भूतपूर्व प्रबन्ध अभिकर्त्ता तो इस कार्य के लिये उपयुक्त होंगे नहीं ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी: इस सम्बध में मैं आप से सहमत हूं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : पर उस के पास ही एक निजी उद्योग बड़ी सफलता से चल रहा है । इस का क्या कारण है ;

श्री ए० सी० गुह : यह मुझ ज्ञात है । अपनी फ़ैक्टरी तो सभी चला लेते हैं, परन्तु भारत भर में ऐसी कोई पार्टी नहीं ह जो इस फ़ैक्टरी को सरकार की ओर से पट्टे पर या अन्यथा. चलान पर राज़ी हो ।

श्री कामत : विज्ञापन दीजिये ।

श्री ए० सी० गुह : हम विज्ञापन भी दे चुके हैं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या भारत सरकार में कोई ऐसे प्रविधिक विशषज्ञ नहीं हैं जो इस फ़ैक्टरी को चला सकें ?

श्री ए० सी०गुह : नहीं । केवल उत्पादन मंत्रालय ही सरकार का प्रविधि विभाग हो सकता है । हम ने उस से परामर्श किया था और उस ने अपनी असमर्थता प्रकट की वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बैलिजयम और जर्मनी से किसी योग्य व्यक्ति को खोज कर लान के लिय अपने एक पदाधिकारी को विदेशों को भी भेजा था, परन्तु कोई उपयुक्त व्यक्ति मिला ही नहीं ।

कार्पोरेशन से सहायता की मांग करने वाली किसी व्यापार संस्था से कार्पोरेशन किस प्रकार व्यवहार करेगा इस के लिय कोई अनिवार्य उपबन्ध बनाना सम्भव नहीं है । मैं केवल इतना आश्वासन दे सकता हूं कि कार्पोरेशन बिना सरकार को निर्देश किए किसी व्यापारिक सस्था को बेचेगा नहीं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : यदि माननीय मंत्री इस का नियमों में उपबन्ध कर देने को तत्पर हों तो मैं अपने ोधन को वापस ले लूंगी ।

श्री ए० सी० गुह : एक निदेश के द्वारा सरकार एसाकर सकती है । सरकरा ऐसा निदेश दे सकती है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : नियमों में क्यों नहीं ?

श्री ए० सी० गुह : हम निदेश जारी कर सकते हैं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : परन्तु निदेश तो बदलते रहते हैं ।

इस के पश्चात् संशोधन संख्या १० मतदान के लिय प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड १९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १९ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २० से २३ तक

उपाध्यक्ष महोदय : खंड २० तथा २१ के लिय कोई संशोधन नहीं है । श्री डी० सी० शर्मा ने एक नवीन खंड २१क के जोड़े जाने के लिये एक संशोधन की सूचना दी है । परन्तु मैं इस संशोधन की स्वीकृति नहीं दे रहा हूं ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मेरा यह निवेदन है कि अधीनस्थ विधान समिति का एक सदस्य होने के नाते मुझे यह ज्ञात हुआ है कि अधिनियम के द्वारा मंत्रालय को नियम बनाने की शक्ति के

[श्री डी० सी० शर्मा]

दिये जाने का समुचित उपयोग नहीं किया गया है ।

मूल विधेयक में इस धारा के अन्तर्गत बनाये गय नियमों के सभा पटल पर रखे जाने का उपबन्ध नहीं था । यह एक भूल हो गई थी तो क्या आप का यह आशय है कि यह भूल सदैव बनी ही रहे ? इस विचार का कोई औचित्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है ।

पहले इस सम्बन्ध में भूल हो गई थी क्योंकि उस समय समिति बहुत सतर्क नहीं थी । अब हम बैठकें कर रहे हैं और प्रत्येक अधिनियम की जांच कर रहे हैं और मंत्रालय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कर रहे हैं कि वह नियम बनाये और सूचना पत्र में प्रकाशित किये जाने से पहले सभा पटल पर रख दे । इसलिये मेरा विचार है कि नियम बनाने की शक्तियों को मंत्रालय को दिये जाने से सम्बन्धित नये खण्ड २१क तथा २४ लागू कर दिये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का कहना क्या है ।

श्री ए० सी० गुह : आप कह ही चुके हैं कि यह संशोधन नियम-विरुद्ध होगा । परन्तु मैं फिर भी आश्वासन दे सकता हूं कि नियम जैसे ही बन कर तैय्यार होंगे सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : भारतीय चाय नियंत्रण (संशोधन) विधेयक पर हुए वाद-विवाद के समय १५ जुलाई, १९५२ को दिये गये विनिर्णय के अनुसार मैं इन संशोधनों की अनुमति नहीं दे सकता हूं । इसलिये खंड २० से २३ तक के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह ह :

"कि खण्ड २० से २३ तक विधयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २० से २३ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ८—जारी

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ और २ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १६—जारी

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या आठ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम वियधेक में जोड़ दिये गये ।

श्री ए० सी० गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

मैं आशा करता हूं कि अभी तक इस निगम के सम्बन्ध में चाहे जो विवाद भी रहा हो अब नये अधिनियम के अन्तर्गत यह ठीक तरह से काम करेगा और सभा द्वारा इसे युक्तियुक्त समर्थन प्राप्त होगा । जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार इस अधिनियम के

द्वारा इस निगम की रचना तथा संविधान में आमूल परिवर्तन कर दिया गया है। अन्त में म जांच समिति और उस के सभापति को निगम की त्रुटियां बताने के लिये धन्यवाद देता हूं। हम ने इन सब बुराइयों को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

श्री ए० एम० थामस : यद्यपि सरकार के विनिश्चय करने के बाद से एक वर्ष तीन मास का समय बीत चुका है फिर भी यह सन्तोष का विषय है कि सुचेता कृपलानी समिति की सिफारिशों के अनुसार यह विधेयक पारित किया जा रहा है ।

कल जब मैं संशोधन विधेयक का वाद-विवाद सुन रहा था तो मुझे अनुभव हुआ कि इस सारे प्रश्न पर अधिक उदारता से विचार किया जाना चाहिये था । प्रतिवेदन के पृष्ठ ७४ और ३९ को देखने से जान पड़ता है कि दिसम्बर, १९५२ में इस सभा में जो वाद-विवाद हुआ था उस से इस निगम की साख को धक्का पहुंचा है । निगम के प्रगति प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि १९५३-५४ में केवल ४३ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जबकि पिछले वर्ष ७४ प्राप्त हुए थे । वापस लिये जाने वाले आवेदन पत्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है । लाभांश का भुगतान १९५२-५३ में बिना किसी सरकारी अंशदान के कर दिया गया । परन्तु १९५३-५४ में ऐसा नहीं हो पाया । इस का यह तात्पर्य नहीं है कि हम इस संस्था के संचालन के प्रति जागरूक न रहें परन्तु हमें साथ ही इस संस्था की साख का भी ध्यान रखना चाहिये । मंत्री महोदय का यह कहना ठीक है कि समिति के प्रतिवेदन को पढ़ने से यही जान पड़ता है कि निगम को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है । प्रबन्ध संचालक के विरुद्ध एक भी आरोप नहीं लगाया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से बिल्कुल दूसरी ही बात का पता चलता है । लेखा विपरीक्षा प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति चार कर के अपना निर्णय देगी । मैं सरकार का ध्यान दो बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात जो चिन्ताजनक है और लेखापरीक्षण प्रतिवेदन से प्रकट होती है वह यह है कि १९५२ में प्रशासन पर जो व्यय किया गया है वह वास्तव म किय गये कार्य के अनपात में बहुत अधिक है। सुचेता कृपलानी समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में इस का उल्लेख किया है । जून १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में प्रशासन व्यय में ६०,८०१ रुपये की वृद्धि हुई है और जून १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में ६२,९३५ रुपये की वृद्धि हुई है । लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अन्य बातों की ओर मैं संकेत नहीं करना चाहता हूं जिस में कहा गया है कि किस प्रकार इस के अधिकारी शीतोष्ण नियंत्रित गाड़ियों में यात्रा करते थे इत्यादि । मुझे माननीय मंत्री के इस आश्वासन पर हर्ष है कि वह इस बात का प्रयत्न करेंगे कि प्रशासन व्यय कम से कम किया जाये और वित्त निगम को इतनी हानि न हो जितनी कि हो रही है ।

एक और बात जिस की ओर मैं सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं उस का हवाला प्रतिवेदन की कण्डिका ३५ में दिया गया है जिस में कहा गया है कि यद्यपि निगम की ब्याज की दर अयुक्तियक्त नहीं है फिर भी यदि विधिक खर्चों जैसे दस्तावेज़ों का मुद्रांक शुल्क पर ध्यान दिया जाये तथा ऋण प्राप्त करने के लिये यात्रा करने में जो व्यय होता है उस को सब को जोड़ा जाये तो निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का कुल खर्चा बहुत अधिक हो जाता है। इस पर भी ध्यान

[श्री ए० एम० थामस]

देना आवश्यक है और यह खर्च इतना कम कर दिया जाना चाहिये जोकि साधारण उद्योगपति की पहुंच के भीतर हो ।

मैं इतना और कहना चाहता हूं कि यद्यपि सभा में यह आलोचना की गई थी कि यह विधेयक बहुत ही अपर्याप्त है और इस में सुचेता कृपलानी समिति की सारी सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया है फिर भी संसद् के अधिनियम के द्वारा जो कुछ किया जा सकता है उसे करने का प्रयत्न इस विधेयक द्वारा किया गया है । प्रतिवेदन की अन्य सिफारिशें प्रशासन तथा नीति विषयक अन्य बातों के सम्बन्ध में हैं या उन दोषों के सम्बन्ध में हैं जो कि कार्य संचालन में पाये गये थे या इस बात के सम्बन्ध में हैं कि सरकार को काफी सतर्कता से काम लेना चाहिये । उन संविहित आवश्यकताओं की जिन का सुझाव समिति के प्रतिवेदन में दिया गया है, पूर्ति तभी हो सकती है जब हम इस संशोधन विधेयक को पारित कर दें । अधिकांशत: सभी बातें उन निदेशों पर निर्भर होंगी जो सरकार समय समय पर जारी करती रहेगी या इस पर निर्भर है कि संचालक बोर्ड निगम के संचालन में कितनी दिलचस्पी लेता है ।

सरकार हमें यह बता चुकी है कि पूरे समय काम करने वाले सभापति को रखने की आवश्यकता क्यों है । मैं आशा करता हूं कि जैसे सरकार ने भारत के राज्य बैंक के लिये एक उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त किया है वैसे ही इस निगम के लिये भी नियुक्त करेगी । संचालकों तथा प्रबन्ध संचालकों के पहले जो भी दोष रहे हों मैं आशा करता हूं कि सभा सरकार के इस आश्वासन पर विश्वास करेगी कि सरकार इस बात पर दृढ़ प्रतिज्ञ है कि यह संस्था उसी प्रकार चलाई जाये जिस से कि इस को बनाने का उद्देश्य पूरा हो सके ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : १९५२ में पहले पहल जब इस विषय पर वाद-विवाद आरम्भ हुआ था तो मैं ने कहा था कि सरकार को चाहिये कि इस संगठन का उपयोग उन पक्षों में उद्योग स्थापित करने के लिये करे जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं । बम्बई राज्य के तीन भाषा-भाषी क्षेत्रों को दिये गये ऋण की राशियों का विश्लेषण कर के मैं ने दिखाया था कि सब से बड़ा अंश बम्बई को दिया गया था जबकि कर्नाटक को एक पाई भी नहीं दी गई थी । उस समय मुझे उत्तर मिला था कि चूंकि कर्नाटक में उद्योग नहीं हैं इसलिये उस क्षेत्र को ऋण नहीं दिया जा सकता है ।

अब जो संशोधन किये गये हैं उन में एक उपबन्ध यह भी है कि इस निगम का लाभ वे उद्योग प्राप्त कर सकते हैं जो अभी आरम्भ किये जाने वाले हैं । मैं आशा करता हूं कि इस की सहायता से किसी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की विषमताओं को कम करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

इस विधेयक के प्रभारी मंत्री ने इस पर बहुत जोर दिया है कि सुचेता समिति ने विभिन्न आरोपों को सिद्ध करने के लिये साक्ष्य एकत्रित करना तो दूर, उन आरोपों का कोई आरोप-पत्र भी नहीं तय्यार किया है । इस का कारण यह नहीं है कि उन के कारनामे काफी काले नहीं थे । इस का कारण यह है कि सरकार ने जानबूझ कर श्रीमती कृपलानी तथा श्री वी० बी० गांधी को इस समिति में रखा था क्योंकि यह अपनी दयालुता के लिय प्रसिद्ध हैं । यदि सरकार वास्तव में चाहती है कि ऐसे कारनामे सभा के सामने लाये जायें तो ऐसे व्यक्तियों

नियुक्त किया जाना चाहिये जो विधिक ज्ञान रखते हैं या जिन्हों ने हत्या के मामलों का विशेष ज्ञान प्राप्त किया है क्योंकि एसे व्यक्ति किसी के प्रति दया नहीं दिखायेंगे।

मझे बड़ा खद है कि सरकार में ऐसे निकायों के सभापति के पद पर वेतन-भोगी सरकारी पदाधिकारियों की नियुक्त करने की एक प्रवृत्ति बनती जा रही है। यदि हमें समाजवादी ढांचे का समाज बनाना है तो हमें किसी प्रसिद्ध समाजवादी को इस निकाय का प्रभारी बनाना चाहिये। मैं यह मानने को तय्यार नहीं हूं कि नौकरशाही के लोग जिन्होंने ने ब्रिटिश शासकों से चालबाजियों की शिक्षा प्राप्त की है, मानसिक, बौद्धिक या सैद्धान्ति दृष्टि से देश को समाजवादी ढांचे की ओर ले जाने के लिये उपयुक्त हो सकते हैं। मैं किसी के व्यवितत्व के सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं चाहता परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि हमें जो यहां दिखाई दे रहे हैं वह अपनी अर्हताओं के कारण नहीं वरन् मतदाताओं के अज्ञान तथा उन के द्वारा हम पर किये हुए गलत विश्वास के कारण हैं। यह बात चाहे इस विषय से असंगत हो किन्तु यहां ऐसी बहुत सी बातें कही जाती हैं। मैं तो कहूंगा कि यदि औद्योगिक वित्त निगम के लिये प्रधान की आवश्यकता हो, तो उसे गैर-सरकारी लोगों में से चुना जाना चाहिये। हमारे पदाधिकारी अधिक वेतन लेते हैं किन्तु उन की कार्यकुशलता कम है।

हम में से बहुत सों न देश की स्वतंत्रता के लिये अपने आप को बर्बाद कर डाला हैं। इसलिये यदि अब इस देश को पूंजीपतियों के पंजों से छुटकारा दिलाना है तो हमें इसी दिशा में चलना चाहिये।

श्री वी० जो० देशपांडे (गुना) : पदों के वितरण के लिय।

श्री एस० एस० मोरे : यह केवल पद वितरण का प्रश्न ही नहीं है। राजनीति कुछ अधिक गम्भीर विषय है। यहां लड्डू जलेबियां बांटने की बात नहीं है। मैं समझता था कि पुर्तगालियों के डण्डों ने देशपांडे जी में कुछ गम्भीरता पैदा की होगी, परन्तु मुझे तो निराशा ही हुई है।

मैं केवल इतना कह कर समाप्त करूंगा कि नौकरशाही के किसी पूर्वनिर्धारित पदाधिकारी को इतने बड़े जिम्मेदारी के पद पर नियुक्त न किया जाये।

श्री ए० सी० गुह : कई सदस्यों ने सरकारी पदाधिकारी की नियुक्ति के लिये कहा है।

श्री एस० एस० मोरे : किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त न किया जाये जिस का केवल व्यावसायिक या सेवा हित हो। यहां ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिये जो दिल से देश हित के लिये कार्य करें। ऐसा व्यक्ति थोड़ा वेतन ले कर दूसरों के लिये एक उदाहरण रख सकता है तथा पदाधिकारियों से अधिक उत्तम सिद्ध हो सकता है।

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल-पश्चिम कटक) : श्रीमान्, मैं वाद-विवाद के अन्त में भाग ले रहा हूं। श्री थामस ने कहा है कि हम ने १९५२ में वाद-विवाद आरम्भ कर के निगम की साख को नष्ट कर दिया था। वह वाद-विवाद माननीय मंत्री द्वारा ऋण लेने वाले समवायों के नाम न बताये जाने के कारण हुआ था। बाद में एक समिति नियुक्त की गई जिस ने कि अपना प्रतिवेदन दिया। लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन भी समिति के प्रतिवेदन जैसा ही था। मैं समझता हूं कि किसी ऋण देने वाली संस्था में ऋण लेने वाले समवायों आदि के नाम गुप्त रखे जाने चाहियें, किन्तु इस संस्था में, जहां कि जनता

[श्री सारंगधर दास]

का रुपया विभिन्न प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त किया जा रहा है, संसद् को यह पूरा अधिकार है कि इस बात की देखभाल करे कि यह रुपया ठीक ढंग पर व्यय किया गया है या नहीं ।

एक बात अभी श्री मोरे ने कही थी कि क्या ऋण विभिन्न प्रदेशों म औद्योगिक विकास के लिये दिये जा रहे हैं या किसी और प्रणाली से । इन सभी बातों पर संसद् में चर्चा होनी चाहिये । मैं यह नहीं समझता कि इस से संस्था की साख कम हो गई है ।

श्री ए० एस० थामस : मुझे खेद है कि मुझे गलत समझा गया है । मैं ने कभी नहीं कहा कि कार्य प्रणाली की आलोचना नहीं की जानी चाहिये, किन्तु एक सीमा तक ।

श्री सारंगधर दास : वाद-विवाद का प्रभाव यह हुआ कि १९५३-५४ में आवेदन-पत्र कम आये । इस के कई कारण हो सकते हैं, किन्तु यह कहना गलत है कि वाद-विवाद म सीमा का ध्यान नहीं रखा गया था ।

मैं इस बात पर अब भी जोर देता हूं कि यह देखा जाये कि जिन संस्थाओं में जनता का इतना रुपया विनियोजित हो उन में कोई भाई-भतीजावाद न चले । उसी वाद-विवाद के कारण एक वैतनिक सभापति की नियुक्ति हुई थी ।

श्री डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, माननीय वित्त मंत्री ने इस निगम के बारे में बड़ आशा-वादी शब्द कहे हैं । क्या ही अच्छा होता यदि मुझ भी ऐसी ही आशा होती ।

श्रीमान्, इस नये अधिनियम से हम औद्योगिक तथा राज्य वित्त निगम बना रहे हैं वह अपने पहले वाले रूप से अधिक भिन्न नहीं है । मैं आप को इस बात का विश्वास दिला सकता हूं ।

मैं देखता हूं कि हम ने जो परिवर्तन इस में किये हैं वह साधारण हैं तथा उन का कोई विशष महत्व नहीं है । वह सभा के सदस्यों तथा जनता में विश्वास पैदा करने में असमर्थ हैं । आप सभापति कहें अथवा प्रबन्ध निदेशक कहें इस से क्या अन्तर होने वाला है । परिवर्तन तो तब होता जब हमें यह बताया जाता कि किस प्रकार का सभा-पति नियुक्त किया जा रहा है ।

एक साधारण सा संशोधन था कि सभापति पूरे समय के लिये रखा जाये--किन्तु उसे भी स्वीकार नहीं किया गया है । हम इस निगम पर करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, इसी से हमारे देश का औद्योगिक विकास होने को है फिर भी इसके लिये समस्त समय काम करने वाला सभापति नहीं नियुक्त किया जा रहा है ।

मैं किसी की साख कम करना नहीं चाहता--परन्तु यदि साख हो ही न तो उसे कैसे और कहां से कम किया जा सकता है ?

प्राक्कलन समिति का एक सदस्य होने के नाते सभापति की नियुक्ति के बारे में मेरी कतिपय धारणायें हैं । हमारे कई बड़े बड़ उपक्रम, जिन में करोड़ों रुपये लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे हैं, जो कि किसी नगर में कुछ वर्ष तक केवल पुलिस दंडाधिकारी रहे हैं । प्रथम बात यह करने की थी कि सभापति की नियक्ति उन सुझावों के आधार पर की जाती, जोकि समिति के प्रतिवेदन में दिये गये हैं। इस से जनता समझ जाती कि इस संस्था को एक व्यापारिक संस्था के रूप में चलाया जायेगा और इस का उद्देश्य देश के उद्योगों का विकास होगा । यदि आप ऐसा करेंगे केवल तभी देश में औद्योगिक विकास हो सकेगा ।

इस के बाद फिर यह सुझाव दिया गया था कि निर्देशकों में व्यापारी वर्ग से भी

कुछ व्यक्तियों को लिया जाये, इस से कुछ सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती किन्तु ऐसा भी नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि वह प्रत्येक काम को बड़ी गम्भीरता से करते हैं। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि इस संस्था के व्यय अनपात के विषय में क्या कर रहे हैं। आप कह सकते हैं यह बात विधेयक में नहीं आ सकती है किन्तु इसे लाया जा सकता था। मैं यही पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया है ? यूगोस्लाविया जैसे देश में श्रमिकों को औद्योगिक संस्थाओं में भागीदारों के रूप में लिया जाता है किन्तु यहां हम अर्थशास्त्रियों को भी बोर्ड में लेने से डरते हैं। यह मैं मानता हूं कि सरकार के निदेश अच्छे हैं किन्तु लोग इतने होशियार हैं कि वह उन की उपेक्षा करने के मार्ग निकाल लेते हैं। हमें विधान के समस्त कार्य में परिवर्तन करना होगा। हम सरकार के निदेशों पर ही सारी बातें नहीं छोड़ सकते हैं। हमें समस्त कार्य के लिये सचिवालय पर निर्भर नहीं रहना चाहिये।

मुझे पता चला है कि उक्त वाद-विवाद के कारण आवेदन-पत्रों की संख्या कम हो गई थी। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस का कारण यह है कि आवदन करने वालों ने यह देखा कि संसद् अब अधिक देखभाल कर रही है तथा जागरूकता से काम लिया जा रहा है और इसलिये वह आवेदन करने का साहस ही नहीं कर सके। मैं तो प्रतिवेदन लिखने वालों की सराहना करता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस निगम को स्थिर आधार पर स्थापित करने के लिये आतुर हैं और माननीय सदस्य भी यही चाहते हैं। किन्तु प्रश्न यही है कि क्या इस साधारण से परिवर्तन से ही यह सब परिणाम निकलेंगे ? मैं इस निगम का अमंगल नहीं चाहता बल्कि मैं तो चाहता हूं कि यह निगम सफल हो—किन्तु जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, इस से अधिक आशा नहीं बन्धती है।

श्री ए० सी० गुह : श्रीमान्, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि हम पहले से ही पर्याप्त समय ले चके हैं। अन्तिम वक्ता ने मुझे आशावादी होने का दोषी ठहराया है। मैं अपने समस्त जीवन में आशावादी ही रहा हूं और मझे आशा है कि आजीवन आशावादी रहने का प्रयास करूंगा। उन्हों ने कहा है कि इस विधेयक द्वारा निगम के ढांचे में कोई प्रभावपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा।

जांच समिति के प्रतिवेदन में निगम के विरुद्ध जो दोष लगाया गया है वह समस्ततः यह है कि कार्यकारिणी समिति वस्तुतः बोर्ड के सारे अधिकारों का उपयोग कर रही थी और प्रबन्ध निर्देशक भी अपने अधिकारों से कहीं अधिक अधिकारों का प्रयोग कर रहा था। यह दोनों मुख्य अभियोग जांच समिति ने निगम पर लगाये हैं और यह विधेयक इन दोनों अनियमितताओं को समाप्त करता है। 'कार्य कारिणी समिति' को 'केन्द्रीय समिति' में बदल देना केवल कामभात्र का परिवर्तन न करना नहीं है। दानों नामों के अभिप्रायों के अतिरिक्त, औद्योगिक वित्त निगम को जो संविहित अधिकार दिये गये थे उन्हें अब हटा लिया गया है। अब केन्द्रीय समिति केवल बोर्ड का एक अधीनस्थ निकाय होगी और वह ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगी जिन्हें उसे सौंपने का बोर्ड निर्णय करे। अतः कार्यकारिणी समिति तथा प्रबन्धक निर्देशक द्वारा अत्यधिक शक्ति का प्रयोग करने की पुनरावृत्ति नहीं होगी, जोकि, जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार निगम के कार्य में होने वाली कतिपय भूलों तथा कमियों के लिये उत्तरदायी था।

[श्री ए० सी० गुह]

श्रीमान्, मैं अग्रेतर विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मुझे अभी भी आशा है कि यह निगम लाभकारी कार्य करेगा और सभा का आशीर्वाद इसे प्राप्त होगा, जिस के लिये यह अपने कामों से अधिकारी बनेगा।

मैं आशा करता हूं कि सभा द्वारा विधेयक को पारित किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय टंक अधिनियम, १९०६, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : श्रीमान्, इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं एक सांविधानिक आपत्ति करना चाहता हूं। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद ११७ के अन्तर्गत आता है। इस विधयक पर यदि यह पारित हुआ तो, भारत की संचित निधि से व्यय करना होगा और जब तक इसे राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत न किया जाये तब तक इस पर विचार किये जाने की आज्ञा न दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध है जिस में निधि से व्यय होने की बात हो ?

श्री वल्लाथरास : श्रीमान्, १९५३ में एक गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक के द्वारा टंकन के दशमिकन का मामला राज्य-सभा में प्रस्तुत किया गया था। माननीय मंत्री ने, जोकि उस समय वित्त उपमंत्री थे, ने उस विधेयक का विरोध किया था।

श्री ए० सी० गुह : वह आपत्ति सभापति महोदय ने स्वीकार ही नहीं की थी।

श्री वल्लाथरास : मैं तो यह कह रहा हूं कि इस विधेयक की पूर्वधारणा क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभापति महोदय ने आपत्ति को स्वीकार किया था ?

श्री वल्लाथरास : मुझे ज्ञात नहीं है।

श्री ए० सी० गुह : मैं ने केवल इसी तर्क को प्रस्तुत नहीं किया था। यह तो बहुत सी आपत्तियों में से एक थी कि यह संविधान के कथित अनच्छेद के अन्तर्गत भी संभवतया आता हो। परन्तु सभापति ने किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया था। और विधेयक पर चर्चा करने की आज्ञा दे दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि जिस किसी भी विधेयक में वित्तीय व्यय का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, चाहे वह सरकारी विधेयक हो चाहे गैर-सरकारी हो, इस के लिये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होनी आवश्यक है। क्या इस विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध है ? मेरे विचार से नहीं है।

श्री ए० सी० गुह : कोई नहीं है।

श्री वल्लाथरास : यदि यह पारित हो जाये, तो क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह पारित हो अथवा न भी हो। यदि सैन्ट टकसाल में बनाये जायें तो १०० सैन्ट १९२ पाइयों के बराबर होंगे। ऐसी कोई तुरन्तकरणीय प्रस्थापना नहीं है।

श्री ए० सी० गुह : सिक्कों को टकसाल में अब भी बनाया जा रहा है और ये नये सिक्के भी बनाये जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नये सिक्के बनाने पर व्यय होगा। यदि इस में भारत की संचित निधि से व्यय करने से सम्बन्धित कोई विशिष्ट खंड नहीं है तो भी व्यय तो होगा ही। यह नये सिक्के किस की मंजूरी से टंकित किये जायेंगे ? क्या ऐसी कोई बात विद्यमान नियमों में है ?

श्री ए० सी० गुह : टकसाल नये सिक्के बनाती रहती है । वह सिक्कों का रूप बदलती रही है और उस के लिये कोई नया विधेयक बनाने अथवा विधेयक में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। टकसालों में पुराने सांचों के स्थान पर नये सांचे काम में लाये जा रहे हैं।

श्री वल्लाथरास : पहले माननीय मंत्री ने स्वयं यह कहा था कि इस विधेयक में भारत की संचित निधि से व्यय किये जाने का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है । नये सिक्के बनाने डाक के टिकट छापने तथा रेलवे टिकट जारी करने में भारत की संचित निधि से अवश्य ही व्यय होगा । चाहे यह व्यय एक पाई का ही हो, तो भी इस के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश तथा मंजूरी की आवश्यकता है। मुझे यह ज्ञात नहीं था कि माननीय मंत्री राज्य-सभा में कही गई बातों को इतना साधारण समझेंगे । इस विधेयक में भारत की संचित निधि से व्यय किये जाने का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है। ये सब बातें प्रकट करती हैं कि जब तक व्यय न हो दशमिकन को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता ।

यदि यहां आयव्ययक में उपबन्धित व्यय से अधिक व्यय करने का प्रश्न है तो निस्सन्देह राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है । माननीय मंत्री अब यह नहीं कह सकते कि १९५३ के बाद कोई नई स्थिति उत्पन्न हुई है। इसलिये मेरे विचार में यह एक भूल है और हमें इस विधेयक पर विचार नहीं करना चाहिये ।

श्री ए० सी० गुह : यह कोई भूल नहीं है। मैं ने दूसरे सदन में स्वयं इस प्रश्न को उठाया था परन्तु सभापति ने इसे स्वीकार नहीं किया था । इस विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने से पूर्व इस मामले पर विधि मंत्रालय से चर्चा हुई थी और विधि मंत्रालय ने सलाह दी थी कि यह संविधान के अनुच्छेद ११७(३) के अन्तर्गत नहीं आयेगा । यह सच नहीं है कि हम इस बात को भूल गये हैं अथवा हम ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। हम ने इस बात पर विचार किया था और यही निर्णय किया था कि यह उस अनुच्छेद के अन्तर्गत नहीं आयेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या दूसरी सभा द्वारा कोई विनिर्णय दिया था ?

श्री ए० सी० गुह : जी हां ।

श्री वल्लाथरास : उस सभा में उप-सभापति द्वारा पूछे जाने पर श्री गुह ने कहा था कि उन्हें उस सम्बन्ध में कोई टेक-निकल आपत्ति नहीं थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभापति ने क्या विनिर्णय दिया था ?

श्री वल्लाथरास: जहां तक मैं समझता हूं, उन्हों ने कुछ नहीं कहा था ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : उस सभा में जो कुछ भी हुआ था तथा विशेष-तया विनिर्णय देने के प्रश्न पर क्या किया गया था उस का यहां क्या मूल्य है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल उन की राय जानना चाहता था--इस का यह अभिप्राय नहीं कि हम उन के नियमों से बाध्य हैं । जानकारी प्राप्त करने में कोई हानि नहीं है और फिर हम उन के साथ नहीं चलते क्योंकि वे अपने विचार बदल सकते हैं, और फिर यह चर्चा भी तो वहां कुछ समय पूर्व थी ।

श्री ए० सी० गुह : जहां तक मुझे स्मरण है, राज्य सभा के सभापति ने ऐसा निर्णय किया था, कि यदि कोई आनुषंगिक खर्चे बाद में करने हों, तो इस के कारण मुख्य विषय की चर्चा में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़नी चाहिये । प्रस्तुत विधेयक में तो किसी प्रकार के खर्चे का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : भारतीय टंक अधिनियम का खंड ६ कहता है कि केन्द्रीय सरकार ऐसे सिक्के बनाये जोकि एक रुपये तथा इस से छोटी इकाइयों के हों । वर्तमान स्थिति में भी रुपये को अठन्नी, चवन्नी और दुअन्नी में विभक्त किया जाता है । अब हम इन को बदलने जा रहे हैं । अतः मैं समझता हूं कि इस प्रकार के परिवर्तन का हमारे वित्तीय आभार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री मुहीउद्दीन (हैदराबाद नगर) : विधेयक यह प्रस्थापित करता है कि अठन्नी, चवन्नी तथा दुअन्नी के सिक्के वर्तमान रूप में कुछ समय तक स्वीकृत किये जायेंगे । नवीन सिक्कों को सैन्ट के आधार पर तैयार किया जायेगा । परन्तु प्रश्न यह है कि जब अठन्नी, चवन्नी तथा दुअन्नी आदि के सिक्कों को पिघला कर नया रूप दिया जायगा तो क्या इस प्रक्रिया में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा ?

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : मीट्रिक प्रणाली के सम्बन्ध में एक ज्ञापन परिचालित किया गया था । उस के पृष्ठ ५ पर लिखा हुआ है इस कार्य पर लगभग एक करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च आयगा । यदि यह विधयक पारित हो जाता है तो इतना व्यय करना होगा । अतः यह एक धन विधेयक है ।

श्री मोहन लाल सक्सेना (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी) : बिल्कुल इसी प्रकार का एक विधेयक १९४६ में प्रस्तुत किया गया था और उसे गवर्नर जनरल की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई थी । उस में एक करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया था । वास्तव में तो हमें अपने सिक्कों में उसी समय परिवर्तन कर लेना चाहिये था जबकि हम ने सिक्कों पर से ब्रिटिश सम्राट का चित्र हटाया था । अस्तु, योजना आयोग ने इस के लिये इस समय को भी उचित समझा है । इस पर खर्च तो आयेगा ही, परन्तु इस के लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जा सकती है ।

श्री वल्लाथरास : मीट्रिक प्रणाली से सम्बध रखन वाला यह ज्ञापन जिस पर कि यह विधेयक आधारित है, एक विशाल-का पुस्तक है । इसका अध्ययन करने के लिय पर्याप्त समय चाहिये । अतः इस विधेयक पर चर्चा कुछ दिनों के लिये स्थगित कर दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : भारतीय टंक अधि-नियम, १९०६ की धारा ६, केन्द्रीय सरकार को एक रुपये से अधिक मूल्य न रखने वाले किसी भी प्रकार के नय सिक्के बनाने के पर्याप्त अधिकार प्रदान करती है ।

श्री वल्लाथरास : मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस ज्ञापन के अनुसार तो इस प्रस्थापना पर भारी खर्च आयगा ।

श्री ए० सी० गुह : इस ज्ञापन का सम्बन्ध केवल टंक से नहीं है । इस का सम्बन्ध तो बाटों तथा मापों आदि से भी है । मेरे विचार से प्रायः ९८ प्रतिशत खर्च तो बाटों और मापों तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं पर ही आयेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक को पारित करन के उपरान्त यदि भारत की संचित निधि में से यदि एक पाई भी खर्च करना पड़े, तो भी उस के लिये राष्ट्र-

पति की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी । परन्तु अब प्रश्न यह है कि क्या यह खर्च प्रत्यक्ष व्यय है, अथवा नहीं । भारतीय टक अधिनियम, १९० की धारा ६ केन्द्रीय सरकार को किसी भी प्रकार के तथा किसी भी मूल्य के सिक्के बनाने के पूरे अधिकार देती है । अतः यह खर्च प्रत्यक्ष व्यय नहीं है । संविधान के अनुच्छेद ११० में धन विधेयक के विषय में जो बातें बताई गई ह, उनमें से कोई भी यहां पर लागू नहीं होती है । अतः यह एक धन विधेयक नहीं है और इस के लिये राष्ट्र-पति से पूर्व-स्वीकृति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री ए० सी० गुह : भारत में मीट्रिक प्रणाली को चलाने के प्रश्न के पीछे एक लम्बा इतिहास है। सर्व प्रथम १८७० में ब्रिटिश सरकार ने इस प्रश्न को उठाया था । उस ने इस पर भली भांति विचार किया था और यह निर्णय किया था कि भारत में मीट्रिक प्रणाली को क्रमशः लागू किया जाये । परन्तु उस के उपरान्त कुछ भी नहीं हुआ । इस प्रश्न पर १९४४ में फिर से दोबारा विचार किया गया । परन्तु इसके सम्बन्ध में सरकार पहले जनमत जानना चाहती थी । जनमत भी प्रायः इसी प्रस्थापना के पक्ष में ही रहा । इस जनमत में सभी प्रकार के व्यक्तियों के मत सम्मिलित थे—सरकारी कर्मचारियों तथा वाणिज्यिक तथा व्यवसायिक सभी प्रकार के व्यक्तियों के मत सम्मिलित थे ।

१९४६ में सरकार ने निर्णय किया कि इस के सम्बन्ध में एक विधेयक केंद्रीय विधान में पुरःस्थापित किया जाये । एक विधयक पुरःस्थापित किया गया था और उस पर चर्चा भी हुई । उस विधेयक का उद्देश्य रुपये को १०० सैंटों में विभक्त करना था । उस विधयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया गया । १९४७ में सरकार ने विधेयक पर चर्चा करने का निश्चय किया ।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुईं]

फिर देश का विभाजन हो गया और इसी अशान्ति और अव्यवस्था के कारण विधेयक समाप्त हो गया ।

संसार की समस्त जनता में से लगभग दो तिहाई जनता आज मीट्रिक प्रणाली का ही प्रयोग कर रही है । एशिया के देशों में से केवल भारत और पाकिस्तान ही ऐसे दो देश हैं जिन्हों ने इस प्रणाली को अबतक नहीं अपनाया है ।

वास्तव में भारत न ही दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था । भारत में यह प्रणाली द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से ही प्रयोग में आने लग पड़ी थी ।

श्री के० सी० सोधिया (सागर): दशमलव टंक अथवा दशमलव प्रणाली

श्री ए० सी० गुह: दशमलव प्रणाली ।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : आप कृपया यह समझायें कि यह सारा हिसाब किताब होगा कैसे ? लघुत्तम सिक्का क्या होगा—एक पाई अथवा एक पैसा ? एक आने में कितनी पाइयां होंगी, कुछ तो मालूम हो हम को ।

श्री ए० सी० गुह: यद्यपि भारत इस दशमलव प्रणाली का अविष्कारक है, तथा यह हमारा दुर्भाग्य है कि भारत इस प्रणाली को दैनिक जीवन में प्रचलित करने म सब से पीछे रह गया है । श्री गाडगिल के प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहूंगा कि वह इस विधेयक के खण्ड २ का अध्ययन करें उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर स्वयमेव मिल जायेगा । विधेयक में लिखा हुआ है कि एक रुपया १०० सैंटों में विभिक्त होगा ।

[श्री ए० सी० गुह]

अस्तु, १९४९ में अशोक स्तम्भ का रूपांकन अपनाने के समय यह प्रश्न प्रस्तुत हुआ । पहले तो सरकार का यह विचार था कि स्वतंत्रता के उपरान्त नये सिक्के बनाते समय दशमलव प्रणाली को भी प्रचलित कर दिया जाये । परन्तु देश के विभाजन के उपरान्त देश में फैली अशान्ति के कारण ऐसा न किया जा सका । प्रश्न यथास्थिति रहा । जबकि देश की आर्थिक, संवैधानिक और प्रशासनिक स्थिति डावांडोल हो रही थी उस समय टंक प्रणाली में इतना भारी परिवर्तन लाना उपयुक्त नहीं समझा गया । उस समय संविधान बनाया जा रहा था । देश के विभाजन के उपरान्त दो तीन वर्ष तक देश की अवस्था अशान्त रही । अतः ऐसे विषय को उस समय उठाना अनुपयुक्त समझा गया ।

१९४९ में भारतीय मानक संस्था ने एक समिति बनाई और उसने यह सिफारिश दी कि सिक्कों और बाटों तथा मापों में मीट्रिक प्रणाली को अपनाया जाना चाहिये, परन्तु यह कार्य क्रमशः १५ वर्ष में पूर्ण होना चाहिये ।

इसके सम्बन्ध में भारतीय मानक संस्था द्वारा की गई मुख्य मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं ।

(क) भारत में बाटों तथा मापों में मीट्रिक प्रणाली चालू की जाये और सिक्कों का दशमिकन किया जाय और इस सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र विधान बनाया जाय ;

(ख) यह समस्त परिवर्तन कई प्रक्रमों में १५ वर्ष की अवधि में किया जाना चाहिये । प्रथम प्रक्रम में तो विज्ञापन तथा प्रचार किया जाय । द्वितीय प्रक्रम में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के विभागों और सार्वजनिक संस्थाओं में बाटों तथा मापों में मीट्रिक प्रणाली लागू की जाये और अन्त में;

(ग) तीसरे प्रक्रम में यह प्रणाली पूर्णरूपेण लागू कर दी जाय । समिति की सिफारिश यह है कि सिक्कों के दशमिकन से और बाटों तथा मापों के सम्बन्ध में मीट्रिक प्रणाली के लागू किये जाने से लाभ ही होगा । पहले अन्तरिम सरकार का तो यह निर्णय था कि बाटों तथा मापों के सम्बन्ध में मीट्रिक प्रणाली को, सिक्कों में मीट्रिक प्रणाली अपनाने से पूर्व ही लागू किया जाय । परन्तु अब भारतीय मानक संस्था द्वारा की गई जांच के उपरान्त सिक्कों में मीट्रिक प्रणाली को पहले लागू किया जा रहा है । भारतीय मानक संस्था ने इस सिफारिश को करने से पूर्व, देश की प्रायः सभी संस्थाओं, राज्य सरकारों तथा वाणिज्यिक निकायों से अच्छी प्रकार से परामर्श कर लिया था ।

अभी हाल ही में योजना आयोग ने सम्पूर्ण स्थिति का फिर से पुनरीक्षण किया है । अब यह निर्णय किया गया है कि सरकार कुछ वर्ष पूर्व किये गये इस निर्णय को कार्य रूप में परिणत करे । इस दिशा में प्रथम क़दम यह उठाया गया है कि टंकन में मीट्रिक प्रणाली को अपनाने के लिये यह विधेयक संसद् में पुरःस्थापित किया गया है और इसके उपरान्त वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय एक और विधेयक प्रस्तुत करेगा जिस में बाटों तथा मापों में मीट्रिक प्रणाली को पुरःस्थापित किया जायेगा ।

स्थिति यह होगी कि सिक्कों को तत्काल ही मूल्य रहित नहीं किया जायगा । पुराने सिक्के भी चलते रहेंगे और नय भी । धीरे धीरे नये सिक्के प्रचलित किये जायेंगे और कुछ वर्षों तक दोनों प्रकार के सिक्के साथ-साथ चलते रहेंगे । तदुपरान्त हम धीरे

धीरे पुराने सिक्कों को वापिस लेते जायेंगे और फिर अन्त में केवल नये सिक्के ही रह जायेंगे ।

जैसा कि इस विधेयक में बताया गया है नये सिक्कों के मूल्य १ सैंट, २ सैंट, ५ सैंट, १० सैंट, २५ सैंट और ५० सट होंगे । २५ सट के उपरान्त सिक्कों का मूल्य वही रहेगा जो आजकल है । अठन्नी, चवन्नी और रुपये का मूल्य उतना ही रहेगा । इन तीनों सिक्कों के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा । जो कोई भी परिवर्तन किया जायेगा वह छोटे मूल्य के सिक्कों में किया जायेगा ।

दशमलव टंकन प्रणाली के प्रवर्तन के उपरान्त नये सिक्कों के वज़न तथा रूप मीट्रिक प्रणाली की इकाई के आधार पर ही निश्चित किये जायेंगे । भारतीय टंक अधिनियम की धारा ६ सरकार को सिक्के बनाने के पर्याप्त अधिकार देती है । परन्तु हम तो इस विधेयक के द्वारा केवल कम मूल्य के सिक्कों के नाम और संभवत: छोटे सिक्कों के रूप और मूल्य को बदल रहे हैं । इस विधेयक के पारित होने के उपरान्त केन्द्रीय सरकार को रुपये से कम मूल्य के सिक्कों के आकार तथा रूप की घोषणा करनी होगी । तथापि संसद् सदस्य यह जानने के इच्छुक हैं कि सरकार ने सिक्कों के लिये क्या क्या रूप निर्धारित करने का निर्णय किया है ।

प्रत्येक सिक्के की उलटी ओर वर्तमान सिक्कों के समान ही अशोक स्तम्भ की सिंह मूर्तियां होंगी । वर्तमान सिक्कों पर जहां अंग्रेजी में 'गवर्नमेंट आफ़ इंडिया' लिखा होता है, उसके स्थान पर हिन्दी में 'भारत सरकार' रखने का विचार है । सिक्के के पीछे की ओर अशोक अश्व या अशोक वृषभ का एक उपयुक्त चित्र बनाया जायेगा और जहां स्थान की कमी होगी वहां केवल उसका मूल्य और उस का दिनांक लिखा जायगा । दशमलव सिक्कों के विभिन्न मूल्यांकनों के हिन्दी पर्यायवाची शब्दों की खोज हम कर रहे हैं और सरकार उस के स्वरूप का निश्चय करेगी और संसद्-सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखेगी । पर मैं नहीं समझता कि उससे इस विधयक के उपबन्धों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा । यह काम भारतीय टंक अधिनियम के विद्यमान अधिकार के अन्तर्गत किया जायगा ।

हो सकता है कि सभा के सदस्य नये सिक्कों के नमूने देखना पसन्द करें । (अन्तर्बाधा)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को अपने विचार प्रकट करने का अवसर बाद में अवश्य मिलेगा ।

श्री ए० सी० गुह : हम ने जो निश्चय किया है वह अन्तिम निश्चय नहीं है । यह तो केवल एक नमूना है और इसे यहां केवल इस लिये लाया गया है कि सदस्यों को इस बात की एक कल्पना हो जाय कि सिक्कों का क्या आकार होगा, उन की लम्बाई-चौड़ाई क्या होगी और उन पर क्या लिखा रहेगा ।

श्री एस० एस० मोरे : मान लीजिये हम इन नमूनों के पक्ष में मत देते हैं तो क्या इस का मतलब यह नहीं है कि ये नमूने अन्तिम रूप से स्वीकृत कर लिये जायेंगे ।

श्री ए० सी० गुह : नमूनों के लिये कोई मतदान नहीं होगा । मैं समझता हूं कि कुछ समय पूर्व किसी प्रश्न के उत्तर में सरकार द्वारा यह बताया गया था कि टंक तथा बांट और नाप तथा अन्य दूसरे मामलों में सरकार ने मीट्रिक प्रणाली लागू करने का निश्चय कर लिया है । मैं बता चुका हूं कि यह प्रथम अवस्था है । मैं यह भी बता चुका हूं कि संसार की तीन चौथाई जनसंख्या मीट्रिक

[श्री ए० सी० गुह]

प्रणाली के अन्तर्गत है । संसार के ५० देशों में यह प्रथा चल रही है । एशिया में केवल भारत और पाकिस्तान ही दो ऐसे देश हैं जो मीट्रिक प्रणाली का प्रयोग नहीं करते । मैं समझता हूं कि कुछ सदस्यों ने राष्ट्रमंडल के देशों की ओर संकेत किया है । राष्ट्रमंडल में भी कुछ ऐसे देश हैं जैसे कनाडा और श्रीलंका तथा कुछ अन्य देश भी जो मीट्रिक प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं ।

जैसाकि मैं ने पहले बताया, लगभग २,००० वर्ष पहले भारत ने मीट्रिक प्रणाली या दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया और भारत से अरब के लोगों ने इसे सीखा और उसे यूरोप में चलाया जिसे अब यूरोप में अरबी अंक कहते हैं । वास्तव में वह अरबी अंक नहीं हैं । अरब वालों ने उसे भारत से सीख कर वहां चलाया था । ९वीं शताब्दी के मध्य में अरब के एक गणितज्ञ ने इस विषय की भारतीय पुस्तकों का अनवाद किया था और उस के बाद उन का अनवाद लैटिन में हुआ और लगभग १३वीं शताब्दी में यूरोप में इस दशमलव प्रणाली के अंकों का प्रचलन हुआ । यह बिल्कुल उचित है कि भारत को, जो इस दशमलव प्रणाली को चलाने वाला और आविष्कार कर्त्ता रहा है, इस दशमलव प्रणाली का पूर्ण लाभ उठाना चाहिये । और मैं समझता हूं कि हमारे लिये यह एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम दशमलव प्रणाली को अपने यहां प्रचलित करें । चार या पांच वर्ष पूर्व ही जब नये सिक्कों का टंकन हुआ था तभी इस प्रणाली को चालू कर दिया गया होता पर कुछ राजनैतिक कारणों से यह संभव न हो पाया । पर अब भी, अन्य देशों को दशमलव प्रणाली के चालू करने में सब से बड़ी कठिनाई यांत्रिक गणना मशीनों की है जिस का प्रचलन अभी भारत में बहुत कम है पर उन की संख्या बढ़ रही है ।

हम जितना विलम्ब करेंगे, व्यावसायिक जनता के लिये दशमलव प्रणाली लागू करना उतना ही अधिक महंगा पड़ेगा—केवल मुद्रा में ही नहीं बल्कि बांट और माप तथा अन्य मामलों में भी । अतः यह निश्चय किया गया है कि सिक्कों तथा बांट और नाप दोनों में दशमलव प्रणाली प्रचलित की जायेगी और यह प्रथम विधेयक है । दूसरा विधेयक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा पुरः-स्थापित किया जायेगा और मझे आशा है कि सभा इस विधेयक को पारित करेगी ।

यह एक बहुत बड़ा कदम है और इस से भारत संसार के प्रगतिशील देशों के मका-बिले पर आ जायेगा । हमें एक ऐसे साधारण उपबन्ध के सम्बन्ध में पीछे नहीं रहना चाहिये जो हमारी गणना प्रणाली को और भी सरल बनायेगा, जो सरकारी दफ्तरों, बैंकों और वाणिज्यिक भवनों के खर्च को कम करेगा और उन वाणिज्यिक भवनों और बैंकिंग समवायों के व्यय को भी कम करेगा जो केवल इस कारण इस के पक्ष में थे कि इस से हमारी गणना प्रणाली में सरलता हो जायेगी । मैं आशा करता हूं कि सभा इस विधयक को पारित करेगी ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

इस विधेयक के कारण लोगों में काफी रुचि पैदा हो गई है और बहुत से लोग चर्चा में भाग लेना चाहते हैं । कार्य मंत्रणा समिति ने इस विधेयक के पारित होने के लिये केवल तीन घंटे का समय निश्चित किया है । यदि तृतीय वाचन के लिये आधा घण्टा और द्वितीय वाचन के लिये आधा घंटा समय निश्चित कर दिया जाये तो प्रथम वाचन के लिये केवल डेढ़ घंटे का समय रह जाता

है। बोलने वालों की संख्या लगभग १५ है, अतः समय का विभाजन कैस प्रकार किया जाना चाहिये।

श्री के० सी० सोधिया : समय बढ़ा दिया जाय। यदि सभा का विचार है कि इस विधेयक के लिये समय बढ़ा दिया जाय तो कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निश्चित किये गये समय में संशोधन किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को उस समय आपत्ति करनी चाहिये थी जब समय निश्चित करने का प्रस्ताव पेश हुआ था। अब समय बढ़ाना सम्भव नहीं है। मैं सामान्य चर्चा के लिये ढाई घंटे का समय दे सकता हूं शेष आधा घंटा द्वितीय और तृतीय वाचन के लिये छोड़ कर। अतः प्रत्येक माननीय सदस्य १० मिनट ले।

श्री कामत (होशंगाबाद) : उन माननीय सदस्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिन्हों ने संशोधन की पूर्वसूचना दी है।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि कुछ अन्य विशेषज्ञ सदस्य भी बोलना चाहते हैं उन्हें भी अवश्य अवसर मिलना चाहिये।

श्री के० सी० सोधिया : मैं ने एक संशोधन की पूर्वसूचना दी है, अतः मैं भी विधेयक पर बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को अवसर मिलेगा।

श्री एस० एस० मोरे : सभा में यह होता आया है कि परिचालन का प्रस्ताव करने वाले सदस्य को सर्वप्रथम बोलने का अवसर दिया जाता है। अन्यथा, यदि संशोधन स्वीकार हो जाता है तो संशोधनों का कोई महत्व नहीं रह जाता।

सभापति महोदय : मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगा।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : परिचालन और प्रवर समिति को सौंपे जाने के दोनों प्रस्तावों को पहले प्रस्तुत किया जाय और उन पर पहले चर्चा भी होनी चाहिये और जब तक उन का प्रस्ताव नहीं किया जाता, उन पर चर्चा नहीं की जा सकती।

सभापति महोदय : अधिक अच्छा यह होगा कि मैं पहले प्रस्ताव को परिचालित करूं और बाद में उस को प्रवर समिति को सौंपे जाने के बारे में विचार करूं।

श्री के० सी० सोधिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि विधेयक को ३१ दिसम्बर, १९५५ तक लोकमत के लिये परिचालित किया जाय।"

श्री कामत : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि विधेयक को २६ जनवरी, १९५५ तक लोकमत के लिये परिचालित किया जाय।"

श्री रघुबीर सहाय (जिला एटा-उत्तर-पूर्व व जिला बदायूं-पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि विधेयक को २९ फरवरी, १९५५ तक लोकमत के लिये परिचालित किया जाय।"

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुए।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम) : मैं राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं। बांटों और नापों की दशमलव प्रणाली फ्रांस की राज्य क्रान्ति के बाद सम्पूर्ण यूरोपीय देशों में चालू हो गई केवल कुछ पिछड़े हुए देशों न उसे स्वीकार नहीं किया है।

भारत में, यह मीट्रिक प्रणाली या दशमलव प्रणाली १८७० में विधि के रूप

[श्री मेघनाद साहा]

म पारित की गई थी । ७० वर्षों तक संविधि पुस्तक पर रहने के बाद १९३९ में इस को निरसित किया गया । यह अधिनियम पारित अवश्य हुआ था पर कभी कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि ब्रिटेन की रेलवे संस्थायें इस के विरुद्ध थीं । और यदि दशमलव प्रणाली चल जाने से भारत इंगलैंड से रेलवे के फुटकर पुरज़े न मंगाता हो तो इंगलैंड को नुकसान होता ।

आज हम स्वतंत्र हैं, अतः हमें इंगलैंड के साथ बन्ध रहने की कोई [आवश्यकता नहीं है । वायुयान द्वारा यात्रा में संसार के अधिकांश देशों में दशमलव प्रणाली होने से, वायुयानों के फुटकर पुर्ज़ों के खरीदने में बड़ी कठिनाई होती है । मैं ने सुना है कि इंगलैंड भी दशमलव प्रणाली को चलाने जा रहा है क्योंकि उन के बाटों और मापों की पुरानी प्रणाली बहुत असुविधाजनक है ।

माननीय मंत्री ने बताया कि गणित की पुरानी प्रणाली, अंकों के लिखने की पुरानी प्रणाली, बहुत असुविधाजनक थी । अतः मैं नहीं समझता कि इस दशमलव प्रणाली को चालू करने का इतना विरोध क्यों किया जा रहा है ।

सब से पहले अकबर ने यह बात सोची थी कि इस देश में सिक्कों, बाटों और मापों में दशमलव प्रणाली चलाई जाय । पर किसी कारण उस समय यह प्रणाली चलाई नहीं जा सकी । स्पष्ट है कि पुराने समय से सभी महान शासकों का ध्यान इस प्रणाली की ओर आकर्षित होता रहा है । अतः मैं समझता हूं कि इसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये ।

भारत में, देश के विभिन्न भागों में भूमि के विभिन्न नाप हैं । सर्वेक्षण करने वालों का एक माप को दूसरे माप में बदलने के लिये बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है ।

यदि सारे देश में यह प्रणाली लागू कर दी जाय तो इस से देश में बहुत हद तक एकरूपता हो जायेगी । यह एक बहुत लाभदायक विधान है अतः हमें इस का स्वागत करना चाहिये और इसे पारित करना चाहिये ।

श्री के० सी० सोधिया : मैं ने माननीय मंत्री तथा विद्वान डाक्टर का भाषण सुना । पर यह प्रश्न केवल उन का ही नहीं बल्कि भारत की ३६ करोड़ जनता का है कि यह नया विधान जो सरकार पुरःस्थापित करने जा रही है, जनता के लिय लाभदायक होगा या नहीं ।

मैं दशमलव प्रणाली के गुणों और अवगुणों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहूंगा । मैं मानता हूं कि इस से गणना करने में बड़ी सुविधा हो जायेगी । पर केवल इस कारण से कि भारत ही इस प्रणाली का आविष्कार-कर्ता रहा है हमें अन्धविश्वास के साथ इसे अपना नहीं लेना चाहिये । हमें जनता की सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिये । मैं जानता हूं कि सरकार हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ाने जा रही है पर उन्हें ध्यान रखना चाहिये कि उन्हें ३६ करोड़ जनता को साथ ले कर चलना है । अतः मेरा विचार है कि ऐसी अवस्था में जब सरकार के सम्मुख अनेकों प्रकार की योजनायें हैं तो उन्हें इस काम को अभी नहीं उठाना चाहिय । उन्हें जनता के पैसे को बरबाद नहीं करना चाहिये ।

सब से पहले हमें इस विधान के सम्बन्ध में जनता का मत जानना चाहिय । माननीय मंत्री ने बताया कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडलों के संघ और राज्य के विभिन्न वाणिज्य मंडलों और संघों के परामर्श इस विषय में आठ वर्ष पूर्व लिये गये थे पर क्या इस समय उन से परामर्श किया गया है ? अतः मेरा विचार है कि सब से पहले इस

विधेयक को जनता के मत के लिये परिचालित किया जाय, उस के पश्चात् सभी उस की अच्छाइयों और बुराइयों पर विचार करें। उस के पश्चात् हम इसे पारित करें या न पारित करें, यह दूसरी बात है।

यह विधान कोई बहुत साधारण सा विधान नहीं है। इससे देशकी जनता की दशा में क्रान्ति होगी। हमें इसके लिये कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिय। यह प्रश्न केवल हम ५०० सदस्यों का ही नहीं बल्कि सारी जनता का है जो यह भी नहीं जानती कि नई प्रणाली में दो आने का मूल्य क्या होगा या उस का विनिमय क्या होगा। हम में से कुछ सदस्य भी इस सम्बन्ध में अनभिज्ञ हैं। इस विधान के पारित करने में जल्दी करने से जनता को बहुत अधिक कठिनाई होगी अतः मैं सभा तथा सरकार दोनों से यह कहना चाहता हूं कि वह सर्वप्रथम यह जानने की कोशिश करें कि जनताका मत इस विधान के सम्बन्ध में क्या है।

श्री कामत : मुझे खेद है कि यह काम हम ऐसी शीघ्रता से कर रहे हैं कि बाद में इस के लिये पश्चाताप करना पड़ेगा। माननीय मंत्री ने बताया है कि जनता इस कार्य के पक्ष में है किन्तु सम्भवतः वे राज्य सरकारों और व्यापारियों की राय को ही जनता की राय समझ लेते हैं। हमारे ग्राम वासियों की ओर तो उन का ध्यान जाता ही नहीं। मैं ने अपने निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों से इस की चर्चा की तो वे आश्चर्य-चकित हुए।

मुझे याद है कि १९४६ में कांग्रेस दल ने ही इस का विरोध किया था। श्री मोहन लाल सक्सेना ने कहा था कि ऐसे उपबन्ध से कठिनाइयां और बढ़ जायेंगी। मैं समझता हूं कि दशमलव टंक (मुद्रा) को इस समय कार्यान्वित करना उचित नहीं होगा। १९४६ में महात्मा गांधी ने भी अपने 'हरिजन' में इस का विरोध किया था।

मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रचार कार्य में यद्यपि लाखों रुपये खर्च किये गये किन्तु सरकार ने किसी भी स्थान पर किसी भी समय दशमलव प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं किया। क्या माननीय मंत्री इस का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

संसद् में इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व जनता की राय जानने के लिये इसे कम-से-कम दो वर्ष के लिये परिचालित किया जाना चाहिये। देश के करोड़ों व्यक्ति तो यह भी नहीं जानते कि "सैंट" किसे कहते हैं। इस विदेशी शब्द के स्थान पर हमें कोई हिन्दी का शब्द रखना चाहिये। सरकार को 'शतकम्' या 'शतम्' शब्द रखना चाहिये। त्रावनकोर-कोचीन में 'चक्रम्' नाम की मुद्रा चलती थी और हम ने राष्ट्रीय झंडे में भी चक्र को स्थान दिया है। अतः यह शब्द भी अच्छा है।

सरकार ने ग्राम संगठनों और सहकारी बैंकों से दशमलव प्रणाली के बारे में कोई राय नहीं मांगी है। यदि सरकार ऐसे विधेयक को वापस न भी ले तो मैं निवेदन करता हूं कि कम-से-कम २६ जनवरी, १९५६ तक के लिये इसे जनता की राय के लिये अवश्य ही परिचालित किया जाय।

तब तक के लिये यदि हमारा टंक इस प्रकार चलता रहा तो हमारी आर्थिक दशा में कोई अवनति नहीं होगी। ब्रिटेन में सैंकड़ों वर्षों से पाउण्ड, शिलिंग और पेन्स मे हिसाब होता आ रहा है। दशमलव प्रणाली के बिना क्या वहां का काम नहीं चलता ?

हमारी सरकार प्रजातंत्रात्मक सिद्धान्त पर आधारित है। एक ओर तो समाजवादी

[श्री कामत]

आधार का ढिंढोरा पीटा जा रहा है और दूसरी ओर जनता से कोई राय नहीं ली जाती। अतः मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार करेगी।

श्री गाडगिल : मुझे दशमलव टंक में तो कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु मेरा सुझाव यह है कि प्रत्येक को यह भली भांति विदित होना चाहिये कि सब से छोटा सिक्का क्या है। उदाहरण के लिये यदि एक रुपये को सौ सैंट में बांटा जाता है तो एक सैंट सब से छोटे मूल्य का सिक्का है किन्तु हमें यह भी बताया जाना चाहिये कि वह सिक्का क्या है जिस से आदान-प्रदान में सब से अधिक सुविधा रहेगी। वह एक आना है, दो आना है या चार आना है।

उस के बिना काम नहीं चल सकता क्योंकि, यदि सैंट और रुपये के बीच में और कोई सिक्का न हुआ तो बड़ी कठिनाई होगी और लोगों को छोटी सी चीज़ खरीदने के लिये जेब में पचास-पचास सैंट ले कर जाना पड़ेगा।

दूसरी समस्या यह है कि जब तक पुराना सिक्का वापस नहीं लिया जायगा तब तक गांवों में महाजन लोग किसानों को काफी चकमा देते रहेंगे क्योंकि वे इन बातों को नहीं जानते हैं। दस सैंट का एक आना होना चाहिये और दस आने का एक रुपया होना चाहिये। फिर भी जब तक पुराना सिक्का चलेगा, तब तक काफी गड़बड़ रहेगी।

अभी जो प्रणाली है वह बुरी नहीं कही जा सकती। मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता। आशा है कि मेरे सुझाव पर ध्यान दिया जायगा और वह सुझाव केवल इतना है कि दस सैंट का एक आना हो और दस आने का एक पया हो।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : इस विधेयक के अन्तर्गत जो कार्य किया जा रहा है उस से हमारी टंक-प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन हो जायगा। कई शताब्दियों से हमारी मुद्रा में जो विशेष प्रकार का ढंग अपनाया गया है उस को सहसा बदल देने से अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। पहली समस्या तो पुराने सिक्कों को नये सिक्कों में बदलने की है। इस के पश्चात् जनता को नई प्रणाली से गणना करने का कार्य सिखाना पड़ेगा। सरकार इस बात का कैसे ध्यान रखेगी कि किसानों और अपढ़ लोगों को दूसरे लोग धोखा तो नहीं दे रहे हैं। विदेशों से मुद्रा विनिमय करते समय भी हमें दिक्कत होगी। इन सब बातों पर सभा को भली भांति विचार करना चाहिये। विश्व में अनेक देश ऐसे हैं जहां दशमलव प्रणाली अभी नहीं अपनाई गई है। उदाहरण के लिये आस्ट्रेलिया, बर्मा, पाकिस्तान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, आदि ऐसे ही देश हैं। हमारा ६७ प्रतिशत व्यापार उन देशों से है जहां यह प्रणाली विद्यमान नहीं है।

हमारे देश में शिक्षा पहले ही बहुत कम है। यदि इस प्रणाली को प्रारम्भ ही करना था तो पहले नापतोल के लिये इसे अपनाना उचित होता। हमारे देश में नापतोल की विभिन्न प्रणालियां प्रचलित हैं।

यह तो मैं मानता हूं कि मीट्रिक प्रणाली अत्यन्त वैज्ञानिक है। फिर भी हमारे यहां जो गणना प्रणाली है वह बहुत अच्छी है और बहुत समय से प्रचलित होने के कारण उसके अनेक मुहावरे और गणना के तरीके निकल गये हैं। उन सब को छोड़ कर हम लोगों को नये तरीके सीखने में बड़ी कठिनाई का सामना करना होगा।

इन सब बातों को सोच कर यही कहना पड़ता है कि यह कार्य इतनी जल्दी नहीं किया जाना चाहिये । इस पर भी यदि यह प्रणाली लागू की जाय तो जैसा कि श्री गाडगील ने बताया है, हमारा हिसाब आने-पाइयों में होना चाहिये । जिनसे हम पूर्वपरिचित हैं । दस आने का एक रुपया होना चाहिये और 'सैंट' शब्द को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिये । ऐसा करने से हमारी कठिनाइयां कम हो जायेंगी ।

पंडित ठाकर दास भार्गव: अभी हमारे कामत साहब ने जब यह फ़रमाया कि कांग्रेस पार्टी ने सन् ४६ में इस नई तजवीज़ को नापसन्द किया था, तो मैं यह सुन कर बहुत हैरान रह गया । फ़िलवाक़या मुझे याद है कि जब हाउस में यह तजवीज़ आई थी तो कांग्रेस पार्टी की तरफ़ से अपोज़ीशन नहीं था, बल्कि कांग्रेस पार्टी के कई मेम्बर साहबान के खसूसन मुझे नाम याद हैं, श्री सत्यप्रिय जी का, जो कांग्रेस के मेम्बर थे उन्हों ने इस को बहुत अच्छा बतलाया था और इस की बड़ी तारीफ़ की और इस को पसन्द किया । अभी जो कामत साहब ने पढ़ कर सुनाया कि श्री मोहनलाल सक्सेना ने यह फ़रमाया था कि यह दोनों चीज़ें साथ आनी चाहियें, यानी वेट और मेज़र्स और पैसा एक साथ आने चाहियें, लेकिन मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि हम इस को अपोज़ करते हैं । परन्तु हम इस के विरुद्ध नहीं हैं हम चाहते हैं कि यह साथ साथ आये । इस में विरोध क्या है । आज भी वही चीज़ सामने आ रही है । तुलसीदास किलाचन्द जी की स्पीच सुनी । इस में कोई शक नहीं है कि जब भी कोई नई चीज़ आयगी, जब भी आप ऐसी किसी चीज़ को तबदील करेंगे, तो कुछ न कुछ दिक्कत साइकालोजिकली होगी । सवाल यह नहीं है कि इस में दिक्कत होगी या नहीं होगी । सवाल यह है कि यह तजवीज़ दुरुस्त है या नहीं । उन के कहने के मुताबिक़ दिक़्क़त दो वर्ष में खत्म हो जायेगी । यह दिक़्क़त तो बर्दाश्त करनी होगी अगर आप को यह चेंज लाना है, ज़ाहिर है कि कोई चेंज बग़ैर दिक़्क़त के नहीं होता ह । अभी हमारे दोस्त श्री तुलसीदास किलाचन्द जो इतने तजुर्बेकार हैं, बतलाया कि मीट्रिक सिस्टम बहुत अच्छा है । इन के अलावा श्री मेघनाथ साहा और सोधिया साहब ने बतलाया कि यह सिस्टम निहायत अच्छा है । यह बड़ी खुशी और फ़ख्र की बात है कि इतने उम्दा सिस्टम की तरफ़ अपनी पुरानी सभ्यता की तरफ़ हम आज वापिस जा रहे हैं, यह तो सन् ४७ के बाद सन ४८ में होना चाहिये था ताकि लोगों को महसूस होता और वह समझते कि अंग्रेज़ों का राज्य इस देश पर से समाप्त हुआ और सिक्कों पर अशोक चक्र लगा हुआ आता और उस के नीचे हिन्दी में खुदा हुआ होता "हिन्दुस्तान की सरकार", अगर उस वक्त ऐसा हो जाता तो लोगों पर इस का एक साइकालोजिकल एफ़ैक्ट पड़ता कि हां वाक़ई अंग्रेज़ों के राज्य का हमारे देश से खात्मा हो गया और हम खुद मुख्तार हो गये । यह चीज़ उस वक्त नहीं आ सकी, खैर आज हम इसे करने जा रहे हैं आज भी देर नहीं है । प्राचीन भारतीय सिक्कों की बदौलत ही हमें आज पुरानी हिस्ट्रियां मालूम होती हैं और सिक्कों के ही बल पर मुहंजदारो सभ्यता का पता लगता है और पता चलता है कि उस समय भारत की क्या अवस्था थी । उन सिक्कों के ही आधार पर हमें सात हज़ार वर्ष अपनी पुरानी सभ्यता का पता लगता है और मालूम होता है कि उस काल में हमारे देश और समाज की यथा अवस्था थी । आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है कि हम अपने सिक्के को नेशनलाइज़ करने

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

जा रहे हैं और नेशनलाइज़ एक ही सैंस में नहीं कि हम उस के अन्दर क्वीन की तस्वीर नहीं रखना चाहते, या गवर्नमेंट आफ इंडिया अंग्रेज़ी अक्षरों में लिखा हुआ नहीं देखना चाहते, वरन् हम अशोक चक्र को फिर अपनी जगह पर क़ायम देखना चाहते हैं, हम उस सिस्टम को फिर क़ायम करना चाहते हैं जो हिन्दुस्तान का सिस्टम है और जिस देश के अन्दर सब से पहले डेसीमल सिस्टम मालूम हुआ और जैसे कि मैं कई दफ़ा यह कह चुका हूं कि दुनिया के अन्दर हमारा सिर ऊंचा है कि डेसीमल सिस्टम हम ने क़ायम किया और मैथमेटिक्स में दुनिया आज तक उतनी तरक्क़ी नहीं कर सकी जितनी हमारे पूर्वजों ने की थी । मैं नहीं समझता कि डेसीमल सिस्टम को अपने काम में लाने में हमें क्या हिचकिचाहट हो सकती है । श्री के० सी० सोधिया की तक़रीर को सुन कर तो मुझे हैरानी हो गई क्योंकि उन्हों ने कहा कि डेसीमल सिस्टम तो जरूर हमारा है, लेकिन यह क्या वजह है कि हम अपने सिस्टम को ऐडाप्ट कर लें । मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि इस का सारे देश में साइकालोजिकल एफ़ैक्ट होगा और चूंकि यह सिस्टम हमारा है, सारा देश इस को मुबारकबाद कहेगा और कहेगा कि ठीक किया । अब इस के सम्बन्ध में जो एक प्रैक्टिकल दिक्क़त है, उस को मैं ज़रूर चाहता हूं कि वह किसी तरह से हल हो जाय । मैं चाहता हूं कि इस का नाम शतांश न रक्खा जाय और ही इस का नाम सतम्स रक्खा जाय, वरना इस को लोग शैतान कहेंगे । मैं चाहता हूं कि इस का नाम पैसा रक्खा जाय या पाई रक्खा जाय। मैं ने काश्मीर में देखा है, वहां पर दूर दूर से गांव के अन्दर बच्चे आते हैं और पैसा, पैसा मांगते हैं । आज हिन्दुस्तान में काश्मीर से कन्याकुमारी तक यह पैसे का लफ्ज़ हमारे जिस्म के अन्दर और हमारे रग रेशों के अन्दर अच्छी तरह से पेवस्त हो चुका है और मैं यक़ीन के साथ कह सकता हूं कि आज इस मुल्क के अन्दर कोई शख्स ऐसा आप को नहीं मिलेगा जो लफ्ज़ पैसे से नावाक़िफ़ हो । आज लोग लफ्ज़ पैसे को नेशनल एफ़ैक्शन से देखते हैं । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि आप इस का नाम पैसा रक्खें ताकि उस के अन्दर कोई तबदीली नहीं होगी । दिक्क़त यह हो सकती है कि आज जो हम बिल पास कर रहे हैं, उस की दफ़ा २ में यह दर्ज है कि यह ऐक्ट तब फ़ोर्स में आयेगा जब सैंट्रल गवर्नमेंट उस के लिये गज़ट में डेट मुक़र्रर करेगी और उस के मुताबिक़ नया सिक्का लीगल टेंडर नहीं बनता, अलबत्ता यह पैसा लीगल टेंडर है जो आज मौजूद है । नया सिक्का जो बनेगा वह तो गवर्नमेंट जब उस के रायज होने की तारीख मक़र्रर करेगी, तब से वह लीगल टेंडर बनेगा । इसी वास्ते हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने रूलिंग दी कि इस बिल के ज़रिये हम कुछ नई चीज़ नहीं बना रहे हैं । इस के अन्दर हम एक डेट मुक़र्रर कर रहे हैं कि जिस तारीख से यह लीगल टेंडर हो जायगा जो बिल्कुल सही चीज़ है ।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर आज हम यह समझें कि तीन वर्ष के बाद यह चीज़ रायज होगी तो क्या नतीजा होगा, अगर यह दोनों सिक्के साथ चलते रहे तो या पुराना पैसा भी चलता रहे और नया पैसा भी चलता रहे, हमारी इकन्नी भी चलती रहे, दुअन्नी, चवन्नी भी चलती रहे और साथ ही नई इकन्नी, दुअन्नी और चवन्नी भी चलती रही तो गड़बड़ी होगी । जैसा गाडगील साहब ने कहा, हमारे तुलसीदास किलाचन्द साहब ने फरमाया, इन दोनों सूरतों में लोगों को एक आने में ५ पैसे का और दुअन्नी में १०

का मुगालता हो जायेगा। इस में बिल्कुल शक नहीं है। अगर गांव वाले २ आ० देंगे तो उन को ८ पैसे की ही चीज़ मिलेगी, १० पैसे की नहीं मिलेगी। इस वास्ते मैं तजवीज करता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया एक दिन मुकर्रर करे, जो ढाई, तीन साल बाद हो। उस से पहले सब क्वायन्स बनी रहें। इस ढाई, तीन साल के अन्दर गवर्नमेंट लोगों को अख्त्यार दे कि अगर वह चाहें तो अपने पुरान क्वायन्स को नये क्वायन्स से तब्दील कर लें, ताकि जिन के पास ६४ पैसे का रुपया है उन को ६४।१०० का नुक्सान न हो जाय।

श्री कामत : नुक्सान होगा ही।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : नहीं नुक्सान नहीं होना चाहिये। इस तरह से हर एक आदमी को दिक्क़त होने का जो खतरा है, वह नहीं होगा और वह अपने पैसे, दुवन्नी, चवन्नी की पूरी कीमत सरकार से एक्सचेंज में ले लेगा। नये एक्सचेंज में लेने के बाद भी अगर दोनों सिक्के चलते रहे तो या तो आप यह करें कि दो मेटल्स के क्वायन्स बनायें या अगर एक कापर का पैसा हो तो दूसरा कांसे का पैसा हो। ऐसा करने से दिक्कत कम हो जायगी। यह कहना कि यहां के लोग बेवकूफ़ हैं, दकियानूसी हैं, इस को समझ नहीं सकेंगे, यह बिल्कुल गलत है। कुछ अर्सा हुआ पंजाब हाई कोर्ट में एक मुकदमे के सिलसिले में जब वकील ने कहा कि यहां के लोग पुराने जमाने के आदमी हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं, तो अदालत ने कहा कि यह कहना कतई गलत है। आज यहां के गांव के रहने वाले बड़े होशियार हैं, अपन नुक्सान और फायदे को समझते हैं। अगर आज एक कानून को पास किया जाय तो दो महीने के अन्दर आप देखेंगे कि सारे हिन्दुस्तान में ढिंढोरा पिट जायगा। मुझे याद है, सन् १९०७ की बात है, जब मैं कलकत्ते में पढ़ता था तो एक चीज़ हुई। जब नया पैसा चला था तो एक अफवाह फैल गई कि जो नया पैसा सरकार ने बनाया है उस के अन्दर सोना है। नतीजा यह हुआ कि एक एक पैसा ढाई ढाई आने और तीन तीन आने में बिका। प्रसिडन्सी कालेज में इस का तजुर्बा किया गया कि आया इस पैसे के अन्दर सोना है या नहीं। क्या उस वक्त की सरकार इतनी बेवकूफ थी कि कापर का पैसा दे कर उस में सोना रख देती। लेकिन सारे हिन्दुस्तान के अन्दर यह जिक्र हुआ और बच्चे बच्चे ने अपने पैसे बाजार में ले जा कर उस की कीमत वसूल करनी शुरू कर दी। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह ख्याल गलत है कि हम को इस के समझने में इतना अर्सा लगेगा या जमींदारों और मजदूरों का नुक्सान होगा। आप एक पुराने पैसे के एवज़ दो नये पैसे देने शुरू कर देखें तो बिजली की तरह यह बात फैल जायगी कि नया पैसा बन गया है और सारे पुराने पैसे फौरन वापस आ जायेंगे। इस वास्ते मेरी निहायत अदब से अर्ज़ है कि आप इन सिक्कों को दो, ढाई साल बाद रायज करें और लोगों को खुली छूट हो कि वह अपनी चीज़ों को एक्स्चेन्ज कर लें, या उन्हें इस के लिये ६ महीने का टाइम दे दें जिस में वह लोग एसा कर लें। सिर्फ सवाल यह रह जाता है कि जब लोग अपने सिक्कों को चेन्ज कर लेंगे तो वह उन को अपनी जेब में नहीं रक्खेंगे, वह उन को इस्तेमाल करना चाहेंगे। इस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन अगर आप सिक्का जरा दूसरे किस्म का छांटें, अगर यह पैसा कापर का है तो दूसरा नया पैसा किसी और दूसरे रंग का हो, किसी दूसरे मेटल का हो, तो इस से बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। लोग जानेंगे कि एक तरह के पैसे रुपये में ६४ मिलते हैं और दूसरी तरह के १०० मिलते हैं। लेकिन अगर आप को

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कन्फ्यूजन का डर है तो आप यह कीजिये कि नये सिक्के को लीगल टेन्डर कर दें और उन को एक या दो वर्ष बाद रायज करें। दोनों को साथ न चलाइये। दूसरी तजवीज़ यह है कि दोनों सिक्के साथ चलते रहें तो ऐसा कर दें कि दोनों इन्टरचेन्जबुल न हो सकें। इस की तरकीब यह है कि नये सिक्के का रंग और मेट्ल ऐसा बना दें जिस से लोगों को साफ मालूम हो जाये। या इन दोनों पैसों की एक्सचेंज वेल्यू मुक़र्रर कर देवें, कोई दिक्कत नहीं रहेगी।

जहां तक इस सिस्टम का सवाल है, इस के अन्दर देर हर्गिज़ नहीं करनी चाहिये। यह बहुत सही चीज़ है। मेरे एक लायक दोस्त ने फरमाया कि हमारा ट्रेड विलायत से ज्यादा है, कांटिनेन्टल कन्ट्रीज़ से कम है, इस के फ़िगर्स भी दिये। लेकिन मुझे मेरे दोस्त माफ करें अगर मैं उन की तवज्जह इस तरफ दिलाऊं कि हमारे ट्रेड का ट्रेन्ड बिल्कुल दूसरा होता जा रहा है। हमारा ग्रेट ब्रिटेन से जो पहले ८७ परसेन्ट के करीब ट्रेड था, अब वह उतना नहीं रहा, आज वह दूसरी तरफ चल रहा है। आज दुनिया की जितनी प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं उन के साथ हमारे ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। आज हम कल के साथ बन्धे नहीं रहना चाहते। इस वास्ते मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि किसी भी नुक्ते ख्याल से यह जो रिफार्म हम आज करने जा रहे हैं वह अव्वल दर्जे का रिफार्म है, साइकालोजिकल रिफार्म है। अपने सिक्कों के अन्दर अब जो हम तस्वीर देखेंगे वह हम को इन्स्पिरेशन देगी कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर अंग्रेज की हुकूमत नहीं है, आज हमारे सिक्कों पर क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर नहीं है। मैं बहुत अदब से अर्ज़ करता हूं कि मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं और मैं इस में कोई दिक्कत नहीं देखता। जब इस के अन्दर यह चीज़ मौजूद है कि हम लोग एक तारीख मुक़र्रर कर सकते हैं जिस तारीख से हम नये सिक्के को लीगल टेंडर बना देंगे आज आप इस को लीगल टेन्डर नहीं बनाते इस का भी आप को अख्त्यार है।

एक सजेशन यह आया कि जिस तरह के वेटस वग़ैरह हैं, उन वेट्स वग़ैरह को भी साथ ही ठीक कर दिया जाय।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मैं कहना चाहता हूं कि जहां तब लैंड का ताल्लुक़ ह, आज भी हिन्दुस्तान के बड़े हिस्से में २० बिस्वांसी का एक बिसवा होता है और २० बिस्वा का एक बीघा होता है हिन्दुस्तान के बड़े हिस्से में यह लैंड रिफार्म हो चुका है और वह बड़ी आसानी से इस मीट्रिक सिस्टम में फिट इन हो सकता है। २० भी तो १०० का पांचवां हिस्सा ही है, इस में कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री वी० जी० देशपांडे: यह कहीं भी प्रचलित नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: यह सारे पंजाब और उत्तर प्रदेश में प्रचलित है।

श्री वी० जी० देश पांडे: यह केवल दसवें भाग में हुआ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: इस का अभिप्राय दसवां भाग नहीं। खैर, यह दूसरी चीज़ है। आखिर आप इस बिल में यह चीज़ मानते हैं कि आप के यहां यह मीट्रिक सिस्टम चले। एक बड़े हिस्से में यह रायज है, आप ने भी मान लिया है कि इस को जल्दी से जल्दी ऐडाप्ट करना चाहिये।

इस वास्ते मैं न दो बातें अर्ज़ की हैं। एक तो यह कि मैं चाहता हूं कि जो सेन्ट का नाम है उस को पैसा ही रखना चाहिए

उस का नाम सेन्ट वग़ैरह न रक्खा जाये और न उस का नाम शतांश ही रक्खा जाय, जिस में लोगों को नाम की दिक्कत न पड़े । इस का नाम पैसा ही रक्खा जाय और जैसा जनाब वाला ने फरमाया है, उस को दो साल तक लीगल टेंडर न बनाया जाय, इतने अर्से के बाद ही इस को लीगल टेंडर बनाया जाय, जिस में लोगों को कन्फयूजन न हो और इस को आसानी से ऐडाप्ट कर लिया जाय । लेकिन यह खयाल दिल से निकाल दिया जाना चाहिये कि यहां के लोग बेवकूफ हैं और काफी अर्से तक उन को तकलीफ होगी । ऐसा होने का कोई चांस नहीं है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मैं इस विधेयक के विरोध में हूं । हमें यह नहीं बताया गया है कि इस विधेयक को इतनी जल्दी पारित करने की क्यों आवश्यकता हुई और इसे कार्यान्वित करने में कितना व्यय होगा । इस से अनेक वित्तीय समस्यायें पैदा हो जायेंगी । अनेक सदस्यों ने यह पहले ही बता दिया है कि दशमलव प्रणाली सहसा लागू करने से गांवों में कितनी गड़बड़ फैलेगी और अपढ़ लोगों को काफी चकमा दिया जायगा ।

अतएव पहले इस प्रणाली का प्रचार किया जाना चाहिये । स्कूलों में अध्यापकों को इसे पढ़ाना प्रारम्भ करना चाहिये । उस के बाद यह कार्य किया जाना चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या इस के लिये दो वर्ष काफी होंगे ?

श्री रामचन्द्र रेड्डी : जी हां ! लगभग तीन वर्ष समझिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तब तो यह विधेयक ठीक है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : हमारे देश में शिक्षा का अत्यन्त अभाव है और ऐसे काम से बड़ी गड़बड़ फैलेगी । श्री तुलसीदास ने कहा है कि अनेक देशों में यह प्रणाली न होते हुए भी उन अनेक देशों ने बराबर उन्नति की है । ब्रिटेन, पाकिस्तान, बर्मा, आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमरीका, आदि देशों में अब भी पुरानी प्रणालियां प्रचलित हैं । ज्ञापन में यह बताया गया है कि इस का प्रचार करने में पन्द्रह बीस वर्ष लग जायेंगे और लगभग दस वर्ष तक एक करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च होंगे ।

यह भी बताया गया है कि नापतोल प्रणाली में भी परिवर्तन होना चाहिये किन्तु अभी इस कार्य को हाथ में नहीं लिया गया है जबकि इस की अधिक आवश्यकता है और देश में विभिन्न प्रकार की नापतोल की प्रणालियां प्रचलित हैं । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं और यह सुझाव रखता हूं कि जनता की राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाय ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : उपाध्यक्ष महोदय, पंडित ठाकुर दास भार्गव जैसे व्यक्ति ने जब यह कहा कि १९४६ में कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध नहीं किया था तो मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही । महात्मा गांधी ने स्वयं २४ मार्च, १९४७ के 'हरिजन' में कहा था कि इस विधेयक को एसेम्बली से बाहर फेंक दिया जाना चाहिये । इस से अधिक और क्या कहा जा सकता है ।

श्री तुलसीदास ने अपने भाषण में बताया है कि हम ने अपनी गणना-प्रणाली में अच्छे अच्छे ढंग निकाल लिये हैं जैसे :—

> इतने रुपये का एक मन तो एक
> रुपये का कितना होगा, आदि

इसी प्रकार मन, सेर और छटांक का हिसाब है । हमारा निजी गणित है जैसे कि इंगलैण्ड की निजी फारनहाइट प्रणाली है । उन का पाउण्ड, शिलिंग और पेंस में हिसाब होता है ।

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

हमारे हिसाब-किताब के मुहावरे हमारी जबान पर चढ़े हुए हैं जैसे हम कहते हैं—भई, सोलह आने सही है। ये सोलह आने ही हमारी गणना प्रणाली के प्राण हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि नई प्रणाली चालू करने की जरूरत ही क्या है ? हमारे देश में करोड़ों अपढ़ लोग हैं। महात्मा गांधी जैसे महापुरुष जब इस के विरोधी थे तब यह प्रणाली हम पर क्यों थोपी जा रही है। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाये। इसे रद्द कर दीजिये।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं यह स्वीकार करता हूं कि यद्यपि मैं यदा-कदा सभा में उपस्थित रहा हूं, तथापि मैं इस मामले के तर्कों को पूरी तरह नहीं समझ सका। जहां तक मैं समझा हूं और जैसाकि कुछ आलोचकों ने कहा है, मुझे तो यही ज्ञात होता है कि इस सम्बन्ध में गम्भीर भ्रांति और निर्मल भय है। यह, केवल एक चीज़ को, इसलिये बदलने का प्रश्न नहीं है कि वह पुरानी हो गई है ; बल्कि यह टंकन के सम्बन्ध में बुनियादी दृष्टिकोण है। निःसन्देह, यह विधेयक केवल टंकन से ही सम्बन्ध रखता है तथापि बाटों तथा नापों के सम्बन्ध में भी यह एक बुनियादी दृष्टिकोण हैं। कुछ समय पश्चात हम इस सभा में बाटों तथा नापों तथा अन्य संबंधित बातों के संबंध में एक अन्य विधेयक रखने वाले हैं। मैं निवेदन करता हूं कि यह सारी प्रक्रिया, पंचवर्षीय योजना अथवा भारत के विकास —चाहे वह औद्योगिक विकास हो अथवा कृषि विकास—से, घनिष्ट रूप से सम्बन्धित है।

बाटों तथा नापों को लीजिये। सभी जानते हैं कि भारत में यह विभिन्न प्रकार के हैं, इन में कोई एकरूपता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत है कि कम-से-कम एकरूपता तो होनी ही चाहिये ; चाहे प्रणाली कोई ही क्यों न हो। सेर को ही लीजिये। यह विभिन्न प्रकार के हैं। इस में एकरूपता होनी चाहिये। अन्यथा एकरूप विकास नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि इन बातों में भारत में एकरूप विकास नहीं हुआ है। हम पुरानी स्थानीय रिवाजों तथा प्रथाओं से चिपके रहे हैं। इस में तब तक कोई हानि नहीं है, जब तक कि हम कोई बड़े पैमाने पर योजना नहीं बनाते और आगे नहीं बढ़ते। लेकिन ऐसा करने पर ये चीजें हमारे मार्ग में रुकावटें पैदा करती हैं। निःसन्देह जहां तक औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति का सम्बन्ध है, इस बात से कि आप के बाट कौन से हैं बहुत अन्तर पड़ सकता है। वस्तुतः जहां तक विज्ञान का सम्बन्ध है, सारे विश्व में केवल एक ही प्रणाली है और यह प्रणाली है मीट्रिक प्रणाली। हो सकता है, रोजमर्रा की लेनदेन में कोई अन्य प्रणाली उपयोग में आये। वस्तुतः इंगलैंड जैसे अत्यधिक रूढ़िवादी देश में भी—इंगलैंड अत्यधिक रूढ़िवादी देश है—वे अपनी पुरानी प्रणाली को छोड़ने के लिये विवश हो रहे हैं। अन्यथा हम से उन के मार्ग में रुकावट पैदा होगी। टंकन का ही प्रश्न लीजिये। प्रतिदिन के, सभी वस्तुओं की लेनदेन में क्योंकि हम उस वस्तु के आदी हो गये हैं इसलिये हमें उस समय वे चीज़ें ही सरल मालूम होती हैं। लेकिन वस्तुतः यह एक जटिल प्रणाली है। चाहे यह आप के दुकानदार का हिसाब हो अथवा यह लेखापाल अथवा महालेखा-परीक्षक का हिसाब हो, इस से कठिनाई ही होती है। सांख्यकी में तो इस से और भी अधिक कठिनाई होती हैं। माननीय सदस्य जानते होंगे

कि अब यंत्र ही सांख्यकी तैयार करते हैं। निःसन्देह यह आश्चर्यजनक बात है कि हमारे पास सोचने वाले यंत्र हैं। हमारे पास ऐसे यंत्र हैं जो याद करते हैं। हमारे पास ऐसे यंत्र हैं जोकि पांच मिनट में इतना काम कर सकते हैं जितना कि आदमियों का एक पूरा दल छः महीनों में भी नहीं कर सकता है। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मीट्रिक प्रणाली की भांति कोई निश्चित प्रणाली न हो। यंत्र के लिये सोचना असम्भव है। सोचने से मेरा तात्पर्य वास्तव में सोचने से नहीं है। वह तो केवल आप की बताई बातों को पुनः उद्धृत करता है। आप जो कुछ भी कहते हैं यंत्र उसे याद कर लेता है। यह सारी प्रगति अवरुद्ध हो जायेगी। वस्तुतः हम ने हाल में भारत में भी काफी अच्छा हिसाब लगाने वाले यंत्रों का निर्माण किया है। हम सर्वेक्षण तथा अन्य बातें भी इन की सहायता से करते हैं। ये सारे सर्वेक्षण, यदि हमारे पास ऐसे यंत्र नहीं होंगे जोकि जनगणना का स्मरण करें और बतायें तो ये सारे सर्वेक्षण बहुत जटिल हो जायेंगे।

मैं सभा से यह निवेदन करना चाहता हूं, कि हमारे योजना तथा विकास कार्यों के लिये, जिन के लिये हम वचनबद्ध हो चुके हैं, हमें ऐसी प्रणाली तथा माप को अपनाना होगा जिसे न केवल अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है प्रत्युत जो इस प्रयोजन के लिये सब से सरल है। अन्यथा हमारी प्रगति अवरुद्ध हो जायेगी और हमारे विचार और कार्य के पृथक पृथक मार्ग हो जायेंगे। अर्थात् औद्योगिक तथा अन्य कार्यों में हम एक प्रकार का ढंग अपनाते हैं तथा अन्य छोटी-छोटी बातों में दूसरा ढंग अपनाते हैं। जिस से गड़बड़ फैलेगी। यह सच है कि प्रत्येक परिवर्तन में प्रारंभ में कठिनाइयां होती हैं। पहिली बात जो मैं सभा को बताना चाहूंगा यह है कि यदि किसी देश को मीट्रिक प्रणाली को विकसित करने का श्रेय दिया जा सकता है तो वह भारत है। भारत को इस बात का गर्व है कि लगभग डेढ़ हजार वर्ष पहिले उसने—बिल्कुल सही समय तो उपलब्ध नहीं है—उन बुनियादी बातों का विकास किया जिन पर मीट्रिक प्रणाली विकसित हुई है। निःसन्देह किसी प्रतिभावान व्यक्ति की सर्वप्रथम खोज शून्य के चिन्ह की थी। जैसे जैसे यह अरब से होता हुआ यूरोप तथा अन्य देशों को पहुंचा इस ने वहां का बौद्धिक नकशा बदल दिया। वह अंशतः बिल्कुल मीट्रिक प्रणाली तो नहीं थी, तथापि जिस आधार पर उस का विकास हुआ वह मूलतः भारतीय प्रणाली थी। वह प्रणाली दूसरे देशों में विकसित होती गई क्योंकि हम अपेक्षाकृत स्थिर रहे, हमें इस बात का हर्ष तथा गर्व होना चाहिये कि हम उसी बात पर लौट रहे हैं जिस की उत्पत्ति सर्वप्रथम भारतीय मनीषी अथवा मनीषियों के मस्तिष्क में हुई। लेकिन यह भावुक तर्क है।

वास्तविक बात तो यह है कि यह परिवर्तन आधुनिक विश्व के प्रत्येक देश में होना है। संसार इस से नहीं बच सकता। जितना ही आप विलम्ब करेंगे यह उतना ही कठिन हो जायेगा क्योंकि यदि वस्तुओं की गणना दूसरे देशों से की जायेगी तो आप को कदम कदम पर उन्हें परिवर्तित करना होगा, बदलना पड़ेगा। इस से न केवल विलम्ब होगा, अपितु गड़बड़ी भी होगी।

मैं बिल्कुल ठीक से तो नहीं जानता कि कौन से पत्र परिचालित किये गये हैं, किन्तु यह विशेष प्रश्न देश के सम्मुख कई वर्षों से उपस्थित है। इस सम्बन्ध में कई सावधानी से विश्लेषित किये गये प्रतिवेदन भी हैं। मैं यथार्थ अवधि तो नहीं जानता, तथापि मेरे विचार से साढ़े आठ वर्ष पूर्व, जब हम भारत सरकार में आये तो हम

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सरकार के रूप में इस प्रश्न पर भी सर्वप्रथम विचार करना था। हमने सरकार के रूप में इस का समर्थन किया। तब जैसा कि सभा को ज्ञात है, कई प्रकार की मुसीबतें आईं। स्वतंत्रता मिली, विभाजन हुआ और दूसरी कठिनाइयां पैदा हुईं। उन सब से मार्ग में रुकावटें आईं और इसे स्थगित कर दिया गया। अब हाल में, विशष कर द्वितीय पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में, हम यह अनुभव करने लगे हैं, कि हमें परिवर्तन की प्रक्रिया अभी से प्रारम्भ करनी चाहिये क्योंकि इस प्रक्रिया में समय लगगा। मैं केवल टंकन के सम्बन्ध में ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि अन्य वस्तुओं के बारे में भी कह रहा हूं। निःसन्देह हमें जनता की शिक्षा तथा तत्सम्बन्धी बातों के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ना चाहिये। पूर्णरूपेण परिवर्तन होने में दो, तीन, चार या पांच वर्ष लग सकते हैं। यदि हम इसे अभी प्रारम्भ नहीं करेंगे तो यह हमारे विकास तथा योजना के कार्य पर गम्भीर प्रभाव डालेगा तथा कई तरह से बाधा पहुंचायेगा। फलतः, बाद में हमें इसी मार्ग को अपनाना होगा। मीट्रिक प्रणाली को लागू करने की इच्छा होते हुए भी उपयुक्त कारण से इसे आवश्यक समझा गया है।

मैं कुछ भावुक तर्कों को अच्छी तरह समझ सकता हूं। मैं भावुक शब्द का उपयोग किसी बुरे अर्थ में नहीं कर रहा हूं क्योंकि कई चीज़ों के सम्बन्ध में, जिन से हमारा सम्बन्ध रहता है, हम भावुक होते है। कुछ भी हो जब हमें कठिन समस्याओं का सामना करना होता है, और जब हम देखते ह, कि कोई वस्तु वास्तव में देश के लिय अच्छी है, जिस को अपनाने पर देश का बहुत लाभ होगा और यदि हम उसे नहीं अपनायेंगे, तो उस से हानि होगी। ऐसी दशा में तर्कों की भावना हमें नहीं बहा सकती।

एक माननीय सदस्य ने, जिन्हों ने अभी भाषण दिया, जनता से सम्मति लेने के सम्बन्ध में कहा है। जैसाकि मैं कह चुका हूं, यह कोई नई बात नहीं है किन्तु मैं स्वीकार करता हूं कि सामान्यतः इस प्रकार के मामले में जो वैज्ञानिक तथा टैक्निकल प्रकार के होते हैं, सामान्यतः जनता से सम्मति नहीं ली जाती है। जैसे गणित के सूत्रों अथवा सापेक्षवाद के सिद्धान्त पर जनता की सम्मति नहीं ली जाती। बाहर जाना अच्छा नहीं है, हमें उस का दायित्व लेना चाहिये तथा देश को बताना चाहिये। यदि हम उसे ठीक सोचते हैं तो वह ठीक है।

जहां तक नामकरण का सम्बन्ध है —मैं केवल टंकन के सम्बन्ध में ही कह रहा हूं—रुपये का ही प्रश्न है। रुपया आज से नहीं प्रत्युत बहुत प्राचीन काल से देश में बहुत प्रचलित रहा है। पैसा तथा अन्य शब्द भी हैं। रुपये को बदलने का कोई प्रश्न नहीं है। मेरा अपना मत यह है—क्योंकि मैं इस की शब्दावली तो नहीं जानता— कि पैसा अच्छा शब्द है और यदि यही रहे तो ठीक है। यदि पैसे का मूल्य थोड़ा सा बदल जाय तो कोई बड़ी बात नहीं। पैसा अवश्य रहना चाहिये। केवल कठिनाई यह है कि संक्रांतिकाल में पैसे के मूल्य के सम्बन्ध में गड़बड़ी होना सम्भव है। गड़बड़ी हो सकती है और कुछ लोग गड़बड़ी का अनुचित लाभ भी उठायेंगे। इस से बचने के लिये इस प्रश्न पर सावधानी से विचार किया जा सकता है। यह प्रश्न विचारणीय है। इसी प्रकार रुपया भी बहुत प्राचीन और प्रचलित नाम है। कदाचित् सभा

जानती है कि इंडोनेशिया में भी एक सिक्का रुपये के नाम से प्रचलित है। यद्यपि उस का मूल्य इस रुपये से भिन्न है। वस्तुतः उसका मूल्य इस रुपये से कहीं कम है। लेकिन यह दूसरी बात है। यह प्रगट है कि यह शब्द भारत से ही इंडोनेशिया गया इसलिये यह नाम बदलने मात्र का प्रश्न नहीं है। रुपये की जड़ें काफी मजबूत हैं। श्रीलंका में भी रुपया चलता है किन्तु वहां बहुत समय से सट भी प्रचलित है। वस्तुतः मैं नहीं जानता कि श्रीलंका में यह परिवर्तन कब हुआ किन्तु मुझे इतना स्मरण है कि भारत में भी इस को लाने की बातें हो रही थीं; किन्तु सफल नहीं हुई। इसलिये मेरा निवेदन है कि आधुनिक टैक्नोलोजी (प्रोद्योगिकी) और विज्ञान के महान् विकासों को ध्यान में रखते हुए हमें दशमलव प्रणाली को, जोकि मूलतः भारत की ही खोज है, अपना लेना चाहिये।

जहां तक नाम रखने का प्रश्न है, हमें यथासम्भव पुराने भारतीय नाम रखने चाहियें। मैं इस बात पर जोर दे कर कह सकता हूं कि वस्तुगत दृष्टि से देखने पर आज के जगत में इस पर तर्क करने की कोई गुंजायश ही नहीं है परिवर्तन करने पर हमें कुछ कठिनाइयों का अवश्य सामना करना पड़ेगा किन्तु देर से परिवर्तन होने पर ये कठिनाइयां बढ़ जायेंगी। कुछ भी हो परिवर्तन तो करना ही होगा।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सभा इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करे।

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा कल को भी जारी रहेगी।

इस के पश्चात् लोक-सभा, शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

GIPD—HS—174 LSD 21-5-56—190.